Wednesday, 17 July, 1957

लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ३, १९५७

(१५ जुलाई से २६ जुलाई, १९५७)

2nd Lok Sabha

Preservation Unit
Fumigated
On 18/11/83
Parliament Library

दूसरा सत्र, १९५७

(खंड ३ में संख्या १ से २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

98 L.S.D.

विषय-सूची

(द्वितीय माला, खण्ड ३—अंक १ से १० — १५ जुलाई से २६ जुलाई, १९५७)

पृष्ठ

अंक १—सोमवार, १५ जुलाई, १९५७

सदस्यों द्वारा शपथ-ग्रहण १५४९

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ८, २१ और ९ से १९ . . १५४९–७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २० और २२ से ३६ . . . १५७१–७८

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ५ और ७ से २७ . . . १५७८–८८

डा० अ० ना० सिंह का निधन . . १५८८

स्थगन प्रस्ताव १५८८–९२

(१) डाक तथा तार कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल . . १५८८–८९

(२) केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल . १५८९

(३) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल . . १५८९–९०

(४) दिल्ली के थोक व्यापारियों की हड़ताल . . . १५९०

(५) आसाम में तेल शोधनशाला का स्थापित किया जाना . १५९०–९२

(६) बौद्ध धर्म अंगीकार करने वालों का कथित उत्पीड़न . १५९२

(७) उत्तर प्रदेश में खाद्य स्थिति . १५९२

सभापटल पर रखे गये पत्र १५९३–९४

अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की शुद्धि १५९४

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . १५९४–९५

राज्य-सभा से सन्देश . १५९५

रेलवे संरक्षण बल विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . . १५९५

सदस्य द्वारा पद त्याग . . १५९५

रेलवे संरक्षण बल विधेयक . १५९५–१६२६, १६२८–३५

विचार किये जाने का प्रस्ताव . . १५९५

खण्ड २ से खण्ड १९ पर विचार किया गया . १६१८–२६, १६२८–३५

खण्ड २० विचाराधीन .

विशेषाधिकार का प्रश्न १६३६–३७

दैनिक संक्षेपिका १६३८–४०

अंक २—मंगलवार, १६ जुलाई, १९५७

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३७ से ४०, ७४, ७५, ४१ से ४३, और ४५ से ५१	१६४१–६८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ४४, ५२ से ७१, ७३ और ७६ से ९३ . .	१६६८–८४
अतारांकित प्रश्न संख्या २९ से ६६	१६८५–९७
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	१६९७–९८
प्रश्नों के बारे में	१६९८
१५ जुलाई की कार्यवाही के बारे में . .	१६९८–९९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र . .	१६९९
कार्य मंत्रणा समिति—	
तीसरा प्रतिवेदन	१६९९
रेलवे संरक्षण बल विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में	१६९९–१७०७, १७११
खण्ड २०, २१, अनुसूची और खण्ड १ . .	१६९९–१७०३
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . .	१७०३
धन कर विधेयक—	
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव . .	१७०७–२४
दैनिक संक्षेपिका . . .	१७२५–२८

अंक ३—बुधवार, १७ जुलाई, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९४ से १०६, १०८ से ११० और ११४ से ११७	१७२९–५४
तारांकित प्रश्न संख्या १०२ के उत्तर में शुद्धि . .	१७४८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १०७, १११, ११३ और ११८ से १३१ .	१७५४–६०
अतारांकित प्रश्न संख्या ६७ से ८३ . . .	१७६०–६६
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	१७६६–६९
प्राक्कलन समिति	
बैठकों की कार्यवाही का सारांश . .	१७६९
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
प्रथम प्रतिवेदन	१७७०
तारांकित प्रश्न के उत्तर की शद्धि	१७७०

पृष्ठ

जानकारी के लिये प्रश्न १७७०

धन कर विधेयक—

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . . १७७०–७३

सौंपने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ १७७३

व्यय कर विधेयक १७७३–१८१०

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव १७७४

सौंपने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ १८१०

अनुदान की मांग (रेलवे) १८१०–१३

इन्फ्लुएंजा महामारी के सम्बन्ध में चर्चा १८१३–२४

दैनिक संक्षेपिका १८२५–२८

अंक ४—गुरुवार, १८ जुलाई, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३४ से १४३ और १४५ से १५० . . १८२९–५१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३३, १४४, १५१ से १५३ और १५५ से १५८ १८५१–५५

अतारांकित प्रश्न संख्या ८४ से १०० और १०२ से ११३ . . १८५५–६५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . १८६६–६८

याचिकायें १८६८

डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तावित हड़ताल के संबंध में वक्तव्य १८६८–७१

सूती वस्त्र (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क) विधेयक—पुरःस्थापित किया गया . १८७२

अनुदानों की मांगें—रेलवे—

मांग संख्या—१ . . . . १८७२–१९०९

दैनिक संक्षेपिका . . १९१०–१३

अंक ५—शुक्रवार, १९ जुलाई, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५९ से १७०, १७२, १७४ से १७७, १७९ और १८० . १९१५–३९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७१, १७३ और १८१ से १९७ . १९३९–४७

अतारांकित प्रश्न संख्या ११४ से १४८ १९४७–६०

स्थगन प्रस्ताव—

(१) असैनिक उड्डयन विभाग कर्मचारी संघ द्वारा हड़ताल की सूचना . १९६०

(२) अन्तर्राज्यीय बिक्री कर . . . १९६१

पृष्ठ

जानकारी के लिये प्रश्न १९६१

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १९६१–६२

सभा का कार्य १९६२

आगामी सप्ताह के लिये सरकारी कार्य सम्बन्धी विवरण . . १९६२–६३

समिति के लिये निर्वाचन १९६३

दिल्ली विकास (अस्थायी) प्राधिकार १९६३

अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९६३–८६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

प्रथम प्रतिवेदन १९८६–८७

द्वितीय वेतन आयोग की नियुक्ति सम्बन्धी संकल्प . . १९८७–२००८

कार्य मंत्रणा समिति—

चौथा प्रतिवेदन २००८

जाति के आधार पर छात्रवृत्तियां न देने के सम्बन्ध में संकल्प . २००८

दैनिक संक्षेपिका २००९–१३

अंक ६—सोमवार, २२ जुलाई, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९८, २०० से २०६, २०८, २१०, २१४, २१६ से २२०, २२२ से २२४, २२६ से २२८ और २३१ . . २०१५–४०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९९, २०७, २०९, २१२, २१३, २२१, २२५, २२९, २३०, २३२ से २३७ और २३९ से २४४ . . २०४०–४८

अतारांकित प्रश्न संख्या १४९ से १६४ . . . २०४८–५३

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २०५३–५४

समितियों के लिये निर्वाचन—

(१) भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्था, खड़गपुर . . २०५४

(२) अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद् . २०५४

कार्य मंत्रणा समिति—

चौथा प्रतिवेदन २०५४

धोतियां (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क) संशोधन विधेयक—

पुरस्थापित किया गया २०५५

अनुदानों की मांगें—रेलवे २०५५–८३

नौसेना विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २०८४–९८

दैनिक संक्षेपिका २०९९–२१०१

अंक ७—मंगलवार, २३ जुलाई, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४७ से २५१, २५४ से २५६, २५८ से २६१, २६३, २६४ और २६८ से २७० . २१०३–२७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४५, २५२, २५३, २६२, २५ से २६७ और २७१ से २८७ . . . . २१२७–३६

अतारांकित प्रश्न संख्या १६६ से १६८, १७० से १८१ और १८४ से २०३ . . . . . २१३६–४९

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . २१४९

नौ-सेना विधेयक . . २१४९–५७

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २१४९

सौंपने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ २१५७

अनुदानों की मांगें—

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय . २१५७–८४(ग)

अणुशक्ति विभाग २१८४(घ)–८४(छ)

दैनिक संक्षेपिका २१८४(ज)–८४(ञ)

अंक ८—बुधवार, २४ जुलाई, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २८८ से २९५, २९७, २९९ से ३०३, ३०६, ३०८ और ३०९ . . . २१८५–२२०६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २९६, २९८, ३०४, ३०५, ३०७ और ३१० से ३२६ . . . . . २२०७–१६

अतारांकित प्रश्न संख्या २०४ से २२४ और २२६ से २३४ . . २२१६–२९

बागान जांच समिति के सम्बन्ध में . . . २२२९

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . २२२९

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा सकल्पों सम्बन्धी समिति—

दूसरा प्रतिवेदन २२२९

याचिका २२३०

"एयर फ्रांस" की घटना के सम्बन्ध में वक्तव्य . . २२३०

समितियों के लिये निर्वाचन—

(१) भारतीय चिकित्सा गवेषणा परिषद . . २२३०

(२) केन्द्रीय देशी चिकित्सा पद्धति गवेषणा संस्था . . २२३१

अनुदानों की मांगें—

अणु-शक्ति विभाग . . . २२३१–३६

प्रतिरक्षा मंत्रालय २२३६–६७

दनिक संक्षेपिका २२६८–७१

अंक ६—गुरुवार, २५ जुलाई, १६५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३२७ से ३३४, ३३६, ३४० से ३४७, ३४६ और ३५० २२७३–६६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३३५, ३३७, ३३८ और ३५१ से ३६६ . २२६७–२३०४

अतारांकित प्रश्न संख्या २३५ से २६४ . २३०४–१५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . २३१५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

नहरी पानी विवाद के सम्बन्ध में . २३१५–१८

स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में—

टाटानगर के समीप दो रेलगाड़ियों में टक्कर . २३१८–१६

विधान परिषद् विधेयक—

पुरःस्थापित २३१६

अनुदानों की मांगें—

प्रतिरक्षा मंत्रालय २३२०–५४

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय . . २३५५–६२

दैनिक संक्षेपिका २३६३–६५

अंक १०—शुक्रवार, २६ जुलाई, १६५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६७, ३६८, ३७० से ३७३, ३७५ से ३८५ और ३८७ से ३८६ . . . . २३६७–६२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६६, ३७४, ३८६, ३६० से ४०१ और ४०३ से ४०८ . . . . . २३६२–२३६६

अतारांकित प्रश्न संख्या २६५ से २७७ और २७६ से ३०० . . २३६६–२४१४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

टाटानगर रेल दुर्घटना . . . २४१४–१५

विदेशी विनियम विनियमन (संशोधन) विधेमक––

पुरःस्थापित २४१५

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में . . २४१५

अनुदानों की मांगें —

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय . २४१७–६१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति––

दूसरा प्रतिवेदन २४६२

विधेयक पुरःस्थापित किये गये––

(१) साधु तथा सन्यासी (पंजीयन) विधेयक . . २४६२
(२) स्त्रियों के साथ छेड़छाड़ के लिये दण्ड सम्बन्धी विधेयक २४६२
(३) कारखाना (संशोधन) विधेयक . . २४६३
(४) राष्ट्रीय उत्सवों तथा त्यौहारों की सवेतन छुट्टी विधेयक २४६३
(५) व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक २४६३
(६) भारतीय शस्त्र (संशोधन) विधेमक . २४६४
(७) व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक २४६४
(८) संसद् पुस्तकालय विधेयक . . २४६४
(९) बाल विवाह रोक (संशोधन) विधेयक . २४६५
(१०) भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक . . २४६५

केन्द्रीय सरकार कर्मचारी (अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना में सम्मिलित होने का विकल्प) विधेयक––

विचार का प्रस्ताव २४६५–७०

दैनिक संक्षेपिका २४७२–७४

समेकित विषय सूचियां (१५ से २६ जुलाई, १९५७) १–६

नोट—मौखिक उत्तर वाल प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

बुधवार, १७ जुलाई, १९५७

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

विदेशी मुद्रा

+

*९४. श्री सूपकार :
श्री खुशवक्त राय :
श्री रूप नारायण :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में कितने भारतीय विद्यार्थी व्यापारी, प्रतिनिधिमण्डल और रोगी व्यक्ति विदेश गये ;

(ख) उन के विदेश जाने से विदेशी मुद्रा के साधनों में प्रतिवर्ष कितना ह्रास हुआ ;

(ग) क्या विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा की और रोगी व्यक्तियों के लिए रोग के उपचार की सुविधायें इस देश में उपलब्ध थीं ; और

(घ) क्या सरकार का इस प्रकार की विदेश यात्रा पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) तथा (ख). इस सम्बन्ध में सूचना प्राप्त की जा रही है और ज्योंहि वह प्राप्त हो जायेगी उस का विवरण सभा की मेज पर रख दिया जायेगा।

(ग) तथा (घ). कुछ मामलों में उच्च शिक्षा की और बीमारियों के इलाज की जिन सुविधाओं के लिये पहले विदेशी मुद्रा दी जाती थी वे भारत में ही उपलब्ध हैं। सरकार ने प्रतिबन्ध कड़े करने के लिये कार्यवाही की है और अब किसी को इलाज के लिये तभी विदेश जाने दिया जायेगा जब उसे कोई ऐसा रोग हो जिस के इलाज का भारत में संतोषजनक प्रबन्ध नहीं है। जहां तक विद्यार्थियों का सम्बन्ध है केवल उन्हीं को विदेशी मुद्रा दी जायेगी जो विदेशी विश्वविद्यालयों में या उच्च टैक्नीकल शिक्षा लिये जायेंगे, लेकिन साथ ही यह शर्त भी है कि विदेशी संस्थाओं में दाखिल होने के लिये वे भारत में जो परीक्षा पास करें उस में उन को कम से कम ५० प्रतिशत नम्बर मिले हों।

†**कुछ माननीय सदस्य :** उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा जाना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री अंग्रेजी रूपान्तर भी पढ़ दें ।

[इस के पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया]

†**श्री सूपकार :** क्या इन नियमों के बनाये जाने के पूर्व इस बात के जानने के लिये कोई आंकड़े जमा किये गये थे कि बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को विदेश जाने की अनुमति देने में कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होती है । और विदेश जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या पर प्रतिबन्ध लगा कर कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होगी ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) :** कोई निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं थे ।

†**श्री सूपकार :** ये प्रतिबन्ध लगाकर सरकार कितनी विदेशी मुद्रा की बचत करना चाहती है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** हमें ठहरना और देखना होगा ।

†**श्री सूपकार :** क्या पिछले सालों में जो विद्यार्थी बाहर भेजे गये थे वह ऐसे थे जिन्हें पचास प्रतिशत अंक नहीं मिले थे और यदि ऐसा है तो उन्हें कितने प्रतिशत अंक मिले थे ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** हम नहीं जानते, परन्तु वर्तमान वचनों को पूरा किया जायेगा ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या भारत सरकार द्वारा जिन विद्यार्थियों को विदेशी विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने के लिये छात्रवृत्तियां दी जा चुकी हैं वे बनी रहेंगी और क्या उन विद्यार्थियों को वहां जाने दिया जायेगा अथवा क्या उन में से भी छंटनी की जायेगी ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी:** मुझे ठीक ठीक नहीं मालूम । यह प्रश्न छात्रवृत्तियों से सम्बन्धित है । यदि हम छात्रवृत्तियां मंजूर करेंगे तो केवल उन्हीं प्रयोजनों के लिये जिन्हें हम आवश्यक समझते हैं ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** उन के सम्बन्ध में क्या होगा जो पहले दी जा चुकी हैं ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** वर्तमान समस्त वचनों का पालन किया जायेगा ।

†**श्री ब० स० मूर्ति :** क्या मैं जान सकता हूं कि जो ५० प्रतिशत अंक निश्चित किये गये हैं वे अंक योग में हैं या प्रत्येक विषय में ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** इस का निर्णय वह प्राधिकारी करेगा जो उन की छानबीन करेगा ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़ :** क्या विदेशों में उच्च अध्ययन के लिये अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के उम्मेदवार भी भेजे जाते हैं ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी:** मैं समझता हूं कि प्रत्येक मामले का निर्णय गुणों पर करना होगा । हो सकता है कि यदि जो शर्तें रखी गयी हैं उनमें कोई ढ़िलाई की बात सोची जाये तो संभवतः वह

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुसूचित जातियों के उम्मेदवारों के मामले में की जायेगी जो अन्य मामलों के सम्बन्ध में उपयुक्त हों ।

†**श्री रंगा :** इस मामले के सम्बन्ध में वह निर्णय करने में क्या सरकार ने इस देश में अर्थशास्त्र और समाज विज्ञानों तक के संबंध में उच्च अध्ययन के लिये उपलब्ध सुविधाओं के अत्याधिक अभाव पर विचार किया है ताकि उन नौजवानों के वैध दावे, जो विदेश जा कर शिक्षा प्राप्त करना चाहते है, नष्ट न हो जायें ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** मुझे भय है कि मेरे माननीय मित्र किसी प्रयोजन वश ऐसा कह रहे हैं । संभवत: वह उस समय की बात सोच रहे हैं जब वह अध्ययन करते थे और सुविधायें उपलब्ध नहीं थीं । आज तो मैं समझता हूं इन विषयों के हमारे यहां ऐसे ऐसे प्रोफैसर हैं जो उतने ही विख्यात हैं जितने कि भारत के बाहर का कोई भी व्यक्ति ।

†**श्री रंगा :** क्या यह सच नहीं है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** हमें गुण दोषों पर तर्क नहीं करना चाहिये । यह विदेशी विनिमय का मामला है ।

†**श्री रंगा :** क्या यह सच नहीं है कि हमारे यहां सुविधाओं का अभाव है । दिल्ली स्कूल आफ इकानामिक्स में प्रवेश के लिये वहां उपलब्ध सुविधाओं से कई गुने अधिक विद्यार्थी प्रवेश के लिये इच्छुक रहते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** इसलिये ऐसे अधिक स्कूल खोले जाने चाहियें ।

दिल्ली में बम विस्फोट

\+

†*९५. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या गृह कार्य मंत्री २४ मई, १९५७ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या २१४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय दिल्ली में बम विस्फोटों संबंधी जांच किस अवस्था में है ?

†**गृह कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार):** अभी भी जांच पड़ताल चल रही है । पटाकों के विस्फोटों से उत्पन्न सात मामले मुकदमे के लिये भेजे गये थे । इन में से पांच का खात्मा हो गया है जिन में दोष सिद्ध हो गये और दो पर अभी न्यायालय में विचार हो रहा है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या दिल्ली के बम विस्फोटों और श्रीनगर के बम विस्फोटों के बीच कोई संबंध पाया गया है ?

†**श्री दातार :** इस अवस्था में यह सूचना दे देना लोकहित में नहीं होगा ।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आई है कि इतने लम्बे अर्से से इन अपराधियों को जो दण्ड नहीं दिया जा सका है उस कारण से जनता में बड़ा असन्तोष है तथा वे कौन से कारण हैं जिन की वजह से इतनी देरी लगी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री दातार : असंतोष की बात नहीं है । इन्वैस्टीगेशन अभी चालू है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या इन आरोपों में कोई पाकिस्तानी भूत-पूर्व सैनिक भी सम्मिलित हैं ?

†**श्री दातार :** इस अवस्था में, इन नाजुक जांच पड़तालों के दौरान में मैं कोई भी रहस्योद्घाटन लोकहित में नहीं करूंगा ।

†**श्री राधा रमण :** क्या सरकार को यह ज्ञात है कि दिल्ली में अभी हाल में भी ऐसे ही विस्फोट हुए थे और क्या उस के संबंध में कोई जांच की गई थी और यदि हां, तो क्या परिणाम हुआ ?

†**श्री दातार :** समस्त विस्फोटों के संबंध में, हाल के विस्फोटों को सम्मिलित करते हुए, जांच की गई है परन्तु मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि हाल के विस्फोट पटाकों के विस्फोट थे ।

दीर्घकालीन ऋण पर पूंजी वस्तुओं का संभरण

+

†*९६. **श्री श्रीनारायण दास :**
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री नौशीर भरूचा :
श्री पाणिग्रही :
श्री मोहम्मद इमाम :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
श्री बहादुर सिंह :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दीर्घकालीन ऋण पर पूंजी वस्तुओं के संभरण के लिये ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरीका, फ्रान्स व अन्य विदेशों के साथ बातचीत अन्तिम अवस्था में पहुंच गई है;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो वह मामला किस अवस्था में है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत):** (क) से (ग). दीर्घकालीन ऋण पर पूंजी वस्तुओं के संभरण के लिये फ्रान्स के अतिरिक्त अन्य किसी भी बाहरी देश के साथ बातचीत नही की जा रही है । फ्रांसीसी सरकार के साथ चर्चा अभी चल रही है ।

†**श्री श्रीनारायण दास :** क्या किन्हीं गैर-सरकारी अभिकरणों से कोई बातचीत चल रही है ?

†**श्री ब० रा० भगत :** यह प्रश्न सरकारों से संबंधित है । ऐसे अनेक गैर-सरकारी अभिकरण, गैर-सरकारी व्यक्ति और व्यापारी हैं जो आस्थगित भुगतानों के लिये करार अथवा प्रबन्ध कर रहे हैं । यदि पृथक प्रश्न रखा जाये तो मैं उस प्रश्न का उत्तर दे सकूंगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री श्रीनारायण दास**: क्या इस संबंध में किसी देश के साथ कोई करार किया गया है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : जी, नहीं ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : ब्रिटेन में तथा भारत में भी ऐसे अनेक समाचार प्रकाशित हुए हैं कि जब प्रधान मंत्री राष्ट्रमंडलीय प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन में गये थे तो उन्होंने वित्त मंत्री से भारत को ऋण दिये जाने की संभावना की चर्चा की थी। क्या इन समाचारों का कोई आधार है और क्या कोई बातचीत प्रारम्भ हुई है अथवा वे केवल समाचार मात्र हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)**: मैं नहीं समझता कि प्रधान मंत्री पूंजी वस्तुओं के लिये दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था और इस प्रकार के अन्य मामलों पर कैसे चर्चा कर सकते हैं ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा**: १९५६–५७ में हमें संयुक्त राज्य अमेरीका से लगभग ४०० लाख डालर का ऋण मिला था । १९५७–५८ में हमें अमरीका से कितना ऋण मिलेगा ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : ये मामले इस प्रश्न से संबंधित नहीं हैं । प्रश्न केवल दीर्घकालीन ऋण पर पूंजी वस्तुओं के संभरण के सम्बन्ध में सरकारों से बातचीत के संबंध में है ।

†**श्री पाणिग्रही** : क्या अमरीकी निर्यात तथा आयात बैंक ने पिछले कुछ महीनों में दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिये किसी आर्थिक सहायता का वचन दिया है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : श्रीमान्, यह बात मैं अभी सुन रहा हूं ।

†**श्री कासलीवाल** : दीर्घकालीन ऋण पर पूंजी वस्तुओं के सम्बन्ध में क्या मैं जान सकता हूं कि जब ऋणों के लिये बात चीत की जाती है तो क्या राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम कोई गारण्टी देता है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं नहीं समझता कि ऐसा एक भी मौका आया हो जब राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम से कोई गारण्टी देने को कहा गया हो; सलिये यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : कुछ समय पूर्व माननीय मंत्री ने अमेरीकी सरकार अथवा वहां के किसी गैर-सरकारी स्रोत से कुछ ऋण मिलने के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया था । उस वक्तव्य का क्या आधार है ? क्या कुछ गैर-सरकारी उद्योगपतियों अथवा व्यापारियों से लिखा पढ़ी की गई है, और यदि हां, तो क्या ऐसा ऋण मिलने की कोई संभावना है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता । यह प्रश्न केवल दीघकालीन ऋण पर पूंजी वस्तुओं के संभरण से संबंधित है ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा**: मैं पूंजी वस्तुओं के संभरण के लिये ऋण के संबंध में पूछ रही हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह संभरण के लिये है न कि स्वयं पूंजी वस्तुओं का संभरण ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : तो कौन सभरण करने जा रहा है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम अगला प्रश्न ले रहे हैं ।

सरकारी कर्मचारियों के लिये अनिवार्य सामूहिक बीमा

†*९७. **श्री राधा रमण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अपने कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिये कोई अनिवार्य सामूहिक बीमा करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या जीवन बीमा निगम और राज्य सरकारों से इस मामले में परामर्श किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सुझाव के संबंध में उन के क्या विचार हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)**: (क) से (घ). सरकार बीमा की एक वैसी ही योजना चालू करने के प्रश्न की जांच कर रही जैसी कि माननीय सदस्य ने बताई है । वह इस विषय पर राज्य सरकारों तथा जीवन बीमा निगम के साथ लिखा पढ़ी कर रही है ।

†**श्री राधा रमण** : क्या सरकार का विचार इस योजना के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों को कुछ विशेष लाभ देने का है, और यदि हां, तो वे क्या हैं ?

†**श्री ब० रा० भगत** : स्वभावतः ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वे कौन कौन से हैं ?

†**श्री ब० रा० भगत** : योजना की जांच की जा रही है, और जब वह अन्तिम रूप से तय नहीं हो जाती यह ठीक ठीक बताना कठिन है कि सरकारी कर्मचारियों को क्या लाभ होंगे ।

†**श्री राधा रमण** : इस योजना के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक हो जायेगा और वह कब तक लागू की जायेगी ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)**: हम जल्दी करने का भरसक प्रयत्न करते हैं । परन्तु यह पूर्णतया हमारे ऊपर ही निर्भर नहीं है । हमें राज्य सरकारों को भी इस मामले में राजी कराना है क्योंकि हम बिना राज्य सरकारों के सहयोग के कोई योजना प्रारम्भ नहीं करना चाहते । इसलिये यह बहुत हद तक राज्य सरकारों की इच्छा पर निर्भर है । यदि राज्य सरकारें पर्याप्त संख्या में अपनी सहमति अथवा असहमति प्रकट करती हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं ।

†**श्री तंगामणि**: क्या सामूहिक बीमा के अन्दर आने वाले औद्योगिक श्रमिकों को निगम के अन्तर्गत लिया जा रहा है और यदि हां, तो क्या उस का विस्तार सरकारी कर्मचारियों तक भी किया जायेगा ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : यह नई चीज है और मुझे उत्तर देने के लिये पूर्व सूचना मांगनी पड़ेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]. Compulsary Group Insurance.

†**श्री तंगामणि** : जब गैर-सरकारी कम्पनियां थीं तो बहुत से श्रमिक बीमा योजना के अन्तर्गत थे। यदि सरकार द्वारा हस्त किये जाने के पश्चात् वह ठीक चलता रहा है तो क्या उस का विस्तार सरकारी कर्मचारियों तक भी किया जायेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह उस प्रश्न का उत्तर देने के लिये पूर्व सूचना चाहते हैं।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : चूंकि मजूरी भुगतान अधिनियम में दोष होने के कारण श्रमिकों द्वारा पहले ले लिये गये सामूहिक बीमा-पत्र निरस्त होने जा रहे, क्या सरकार मजूरी भुगतान अधिनियम में संशोधन करने का विचार करेगी ?

†**श्री ब० रा० भगत** : माननीय सदस्य जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के बीमा पत्रों का निर्देश कर रहे हैं और उस के लिये मैं पृथक सूचना चाहता हूं।

†**श्री त्रि० ना० सिंह** : क्या भारत में जीवन बीमा व्यापार का कोई ऐसा क्षेत्र भी है जिस को नये निगम द्वारा हस्तगत नहीं किया गया है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मेरे पास अभी जो सूचना है, जो मेरे मस्तिष्क में है, उस के अनुसार मैं नहीं समझता कि कोई चीज छोड़ दी गई है। हो सकता है कि कुछ चीज छूट गई हो और मैं ठीक ठीक जानना चाहूंगा इसलिये मैं पूर्व सूचना चाहूंगा।

†**श्री त्रि० ना० सिंह** : जीवन व्यापार से संबंधित सामूहिक बीमा का प्रश्न है और वह हस्तगत नहीं किया गया है। कोई संदेह क्यों उत्पन्न होना चाहिये ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : जो प्रश्न उठाया गया था वह औद्योगिक संस्थानों और जीवन बीमा निगम के संबंध में था। इसलिये यह किसी प्रकार के जीवन बीमा के हस्तगत न किये जाने का प्रश्न नहीं है। हम जिस प्रश्न का उत्तर अभी दे रहे हैं वह सर्वथा भिन्न है।

†**श्री च० द० पांडे** : इस तथ्य को देखते हुए कि बीमा व्यापार में गत एक वर्ष में ६८ करोड़ रुपये की कमी हुई है, क्या सरकार यह अनिवार्य बीमा ऐच्छिक बीमा की असफलता के कारण हुए नुकसान को पूरा करने के लिये लागू करने की सोच रही है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मेरे मित्र के प्रश्न में अनेक पूर्व कल्पनायें हैं, जो श्रीमान्, मुझे वचनबद्ध करती हैं चाहे मैं जो भी उत्तर दूं। इसलिये मैं अध्यक्षपीठ से इस प्रश्न का उत्तर न देने की कृपा चाहूंगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या बीमा अनिवार्य करने का कोई प्रस्ताव है ?

† **श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : समय समय पर अनेक प्रस्ताव रखे गये हैं, परन्तु कोई प्रस्ताव निश्चत रूप धारण नहीं कर सका।

†**श्री नारायणन कुट्टि मेनन** : उन मामलों में जिन में कर्मचारी उस समय बीमा पत्र ले चुके थे जब वे गैर-सरकारी कम्पनियों के अन्तर्गत थे, कम्पनियां उनके वेतनों में से कटौती कर के प्रव्याजि वसूल कर लेती थीं। अब जब उन्हें निगम द्वारा हस्तगत कर लिया गया है, निगम उन के वेतनों में से कोई कटौती नहीं कर रहा है क्योंकि मजूरी भुगतान अधिनियम में कुछ कठिनाई है मेरा प्रश्न यह था कि क्या सरकार श्रमिकों के वेतनों में से प्रव्याजि की कटौती को सहज बनाने के लिये मजूरी भुगतान अधिनियम में संशोधन करने का विचार कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** मैं इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये पूर्व सूचना चाहता हूं ।

†**श्री फीरोज गांधी:** मैं एक बात के संबंध में जानकारी करने के लिये खड़ा हुआ हुं । माननीय वित्त मंत्री ने अभी अभी कहा था कि वह अमुक प्रश्न का उत्तर इसलिये नहीं दे सकते कि उन्हें एक न एक ओर से वचनबद्ध होना पड़ेगा । इस प्रकार का उत्तर बहुत अनिश्चयात्मक है ।

†**अध्यक्ष महोदय:** संभवत: माननीय सदस्य वकील हैं। उन्हों ने 'उत्तर निर्देशक प्रश्न'[2] के संबंध में अवश्य पढ़ा होगा । वह इस प्रकार है : "तुम ने अपनी मां को कब पीटा था ?" उस ने उत्तर दिया : 'कल' । वह यह मान लेता है कि उस ने अपनी मां को पीटा है । यदि वह कहता है : 'नहीं' मैं ने अपनी मां को नहीं देखा, तो वह एक न एक ओर वचनबद्ध हो जाता है । यहां इस प्रश्न में दो बातें हैं । माननीय सदस्य ने कहा कि ६८ करोड़ रुपये की कमी हुई है । स्पष्टत: माननीय मंत्री उस को स्वीकार नहीं करना चाहते । फिर अनिवार्य बीमा का प्रश्न है । प्रश्न के महत्व को देखते हुए वह उन को अलग अलग करके उत्तर दे सकते थे । कोई माननीय सदस्य दो प्रश्न पूछते हैं । प्रश्न पूछने में विशेषज्ञ नहीं होते । इसलिये माननीय मंत्री पहले प्रश्न का या दूसरे प्रश्न का अथवा दोनों का उत्तर दे सकते हैं । इसलिये मैं ने दूसरा प्रश्न पूछा था जो अनिवार्य बीमा के संबंध में था और उन्हों ने उस पर उत्तर दिया था । दूसरे प्रश्न को अलग से रखा जायेगा । कि क्या ६८ करोड़ रुपये की कमी आई है अथवा नहीं और मैं उसे स्वीकार करूंगा ।

†**श्री च० द० पांडे :** वह एक पहले प्रश्न के उत्तर में इस का उत्तर दे चुके हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** तो फिर उन्हों ने यह प्रश्न क्यों किया ?

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास

\+

*९८. **श्री केशव :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री भक्त दर्शन :
श्री विभूति मिश्र :

क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री २१ मई, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास को चलाने के लिये क्या सरकार ने कुछ राशि दी है; और

(ख) क्या उस ने कार्य करना शुरू कर दिया है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

†**श्री केशव :** यह पुस्तक न्यास किन-किन राज्यों के लिये बनाया गया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** यह एक राष्ट्रीय पुस्तक न्यास है और सम्पूण देश के लिये है ।

---

†मूल अंग्रेजी में
[2]Leading question.

†श्री श्रीनारायण दास : इस न्यास के लिये कितनी राशि का उपबन्ध किया गया है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये २५ लाख रुपयों का ।

†श्री दी० चं० शर्मा : इस बात की आशंका है कि जो पुस्तकें यों भी प्रकाशित हो रही हैं उन्हीं को फिर से प्रकाशित कर यह पुस्तक न्यास केवल उसी काम को दुबारा करेगा । क्या यह आशंका उचित है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने अभी कार्य शुरू नहीं किया है ।

†श्री ब० स० मूर्ति : क्या विभिन्न राज्यों में इस पुस्तक न्यास की शाखायें हैं और क्या उन शाखाओं ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : इन सब बातों पर न्यास की पहली बैठक में, जो पहली अगस्त को होने वाली है, विचार किया जायेगा ;

श्री भक्त दर्शन: क्या मैं जान सकता हूं कि वे कौन से विशेष कारण हैं जिन के कारण इस ट्रस्ट के कार्य के प्रारम्भ होने में देरी हो रही है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : कुछ तो इसलिये कि इस के बोर्ड के जो मैम्बर थे उन की नियुक्ति करनी पड़ी थी और कुछ उस के नियम वगैरह बनाने में वक्त लगा ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस ट्रस्ट के जिम्मे कोई खास खास सब्जैक्ट्स दे दिये हैं जिन पर किताबें लिखी जायेंगी, या जनरल बात की गई है ।

डा० का० ला० श्रीमाली: जो गवर्नमेंट का रेज्योल्यूशन है, नं० एफ १४१५६/बी–६, १५ जून, १९५७ का, उस में सब बातें विस्तार से दी गयी हैं कि गवर्नमेंट की पालिसी इस ट्रस्ट के मुताल्लिक क्या होगी ।

†श्री रंगा : क्या न्यास की राज्य शाखाओं को प्रकाशकों के साथ साथ लेखकों की प्रतिनिधि-संस्था बनाने की सरकार की कोई योजना है, या ये राज्य सरकारों द्वारा नामजद की जायेंगी ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : व्यौरे की ये बातें न्यास द्वारा तय की जायेंगी । इसकी पहली बैठक पहली अगस्त को होगी और न्यास उसी में इन सभी मसलों पर विचार करेगा ।

केरल में अल्लापडी घाटी का विकास

+

†*९९. { श्री अ० क० गोपालन :
श्री नारायणन् कुट्टी मेनन :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने केरल राज्य की अल्लापड़ी घाटी का जिसमें मूल आदिमजातियों के लगभग १५,००० लोग रह रहे हैं, विकास करने की ओर कोई ध्यान दिया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या इसके बारे में सरकार के पास कोई स्पष्ट सुझाव आये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इन आदिमजातियों के अत्यधिक पिछड़ेपन का ख्याल करते हुए क्या सरकार स्वयं कुछ कार्यवाही आरम्भ करेगी?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) जी हां,। संभवत: तात्पर्य मलाबार जिले की अट्टापड़ी घाटी से है। इस घाटी का विकास करने का उत्तरदायित्व प्रारम्भिक रूप से राज्य सरकार पर है और केन्द्रीय सरकार केवल राज्य सरकार की सहायता करती है।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री अ० क० गोपालन** : क्या इन पहाड़ी पट्टियों के बारे में किसी संगठन की ओर से सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है?

†**श्रीमती आल्वा** : हमें कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। हमने केरल सरकार को योजना प्रस्तुत करने के लिये पुन: स्मरण करा दिया है।

†**श्री० अ० क० गोपालन** : क्या वहां रहने वाली पर्वतीय जातियों के बारे में सरकार के पास प्रारम्भिक सूचना अथवा जानकारी है। यदि नहीं तो क्या सरकार इस दिशा में कोई कार्यवाही करेगी?

†**श्रीमती आल्वा** : केरल राज्य सरकार द्वारा एक योजना तैयार की गई थी जो केन्द्रीय खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के पास भेजी गई थी और केन्द्र द्वारा १,९१,००० रुपये केन्द्र द्वारा स्वीकृत कर दिये गये थे।

†**श्री कोडियान** : अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये केन्द्र द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं आरम्भ की गई हैं?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या सम्पूर्ण राज्य में ? यह अल्लापाड़ी घाटी से सम्बन्धित है।

†**श्री कोडियान** : सम्पूर्ण भारत में ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है।

†**श्री जयपाल सिंह** : क्या विशेष अधिकारी ने कभी यह क्षेत्र देखा है ? यदि नहीं तो इसका क्या कारण है ?

†**श्रीमती आल्वा** : इस प्रश्न के उत्तर के लिये पूर्व सूचना चाहिये। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है।

कोयला उत्पादन की लागत

†*१००. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन मंत्री** २१ मई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १९० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला उत्पादन की लागत का परीक्षण करने के लिये नियुक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इसका परीक्षण किया है; और

(घ) यदि हां, तो निर्णय का स्वरूप क्या है?

†**इस्पात, खान तथा ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) उत्पन्न नहीं होते हैं।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या यह समिति भारत के विभिन्न राज्यों के सम्पूर्ण कोयला क्षेत्रों का दौरा करेगी अथवा अपना कार्य केवल बिहार-बंगाल कोयला क्षेत्रों तक ही सीमित रखेगी?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : उन्होंने कुछ कोयला खानों को देखा है। कुछ आंकड़े और उपबन्ध हो जाने पर, यदि अन्य कोयला खानों को देखने की आवश्यकता हुई तो वे उन्हें देखने में हिचकिचाहट नहीं करेंगे ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : यह समिति अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत करेगी?

†**सरदर स्वर्ण सिंह** : मेरा विचार है इसमें तीन या चार महीने लगेंगे ।

†**श्री साधन गुप्त** : क्या सरकार लागत जांच समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने तक कोयले की कीमत बढ़ाने की अनुमति देगी?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : अब यह लोक सम्पदा है। त्रिदलीय चर्चा के परिणामस्वरूप अपीलीय न्यायाधिकरण के पंचाट को भूतकालिक तथा भावी समय में लागू करने का समझौता कर लिया है और यह भी तय कर लिया है कि कीमत में वृद्धि कर दी जाये। मूल्यवृद्धि की घोषणा भी कर दी गई है।

†**श्री च० द० पांडे** : क्या यह सम्भव है कि जांच समिति के प्रतिवेदन को ध्यान में रखते हुए जो कुछ घोषणा की गई है उसके अतिरिक्त भी मूल्य वृद्धि होगी?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं समिति की सिफारिशों के बारे में पहले से निर्णय नहीं करना चाहता हूं।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण का पंचाट २७ महीनों की अवधि तक लागू होगा, इस प्रतिवेदन की परीक्षा न कर मूल्य वृद्धि की अनुमति क्यों दी गई है?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मेरा विचार है कि इस सम्बन्ध में कुछ भ्रम उत्पन्न हो गया है। श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के पंचाट के दो भाग हैं। एक है वेतन वृद्धि और दूसरा भूतकालिक प्रभाव के फलस्वरूप संचित राशि का परिशोधन। अतः अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा प्रदत्त वेतन में भावी वृद्धि के तत्पश्चात इसे देना होगा। जहां तक बकाया राशि का सम्बन्ध है यह समझौता हो गया था कि उसका परिशोधन भी किसी अवधि के अन्तर्गत किया जाय। २७ महीने की अवधि प्रायः काल्पनिक है। जांच समिति का प्रतिवेदन सरकार के समक्ष प्रस्तुत होने पर सही चित्र का अनुमान लगाया जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

माध्यमिक विद्यालयों[1] के अध्यापकों के वेतन

+

१०१. **श्री पुन्नूस :**
श्री वासुदेवन् नायर :
श्री दी० चं० शर्मा
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :

क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें बताया गया हो कि :

(क) माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के वेतन में वृद्धि करने के लिए राज्यों को राजकीय सहायता देने की केन्द्रीय सरकार की जो योजना है उसके अधीन किन राज्यों ने १९५७–५८ के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं; और

(ख) इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी रकम की मंजूरी दी गई है।

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) इस योजना के अधीन अभी तक किसी भी राज्य ने प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किए हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता

†**श्री पुन्नूस :** क्या सरकारी स्कूलों के अध्यापकों और गैर-सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के बीच कोई विभेद किया गया है?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** जी नहीं, कोई विभेद नहीं है,

†**श्री पुन्नूस :** इस योजना के लिये कुल कितनी रकम बटित की गई है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** जब हमें राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हो जायेंगे तभी कुल राशि का निर्णय किया जाएगा। हमने राज्य सरकारों को बता दिया है कि स्कूलों के अध्यापकों के वेतन बढ़ाने के कारण जो खर्च बढ़ेगें उसके ५० प्रतिशत तक की सहायता दी जायेगी।

†**श्री रंगा :** क्या यह सच है कि कुछ राज्यों ने भारत सरकार को सुझाव दिया है कि अध्यापको के वेतन बढ़ाने में जो उन्हें अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा उसके अपने हिस्से के रूप में खर्च के लिए उन्हें ऋण रूप में कुछ रकम दी जाए?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के संबंध में हमें आन्ध्र सरकार ने इस सम्बन्ध में लिखा है।

†**श्री जांगड़े :** केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों में माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों का वेतन राज्यों में माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतन से किस प्रकार बैठता है?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** अनुकूल रूप से ही बैठता है।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या सरकार हमें बतायेगी कि राज्य सरकारों को यह सहायता देने से केन्द्र की वित्तीय दायित्व कितना होगा?

---

†मूल अंग्रेजी में
[1]Secondary schools.

†डा० का० ला० श्रीमाली : अभी राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही हम उनका निर्णय कर सकते हैं।

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या शिक्षा मंत्रालय में स्वयं राज्यों को दिए जाने वाले अनुदानों के सम्बन्ध में कोई अनुमान लगाया है?

†डा० का० ला० श्रीमाली : जब तक हमें राज्य सरकारों से निश्चित्त प्रस्ताव प्राप्त नहीं होते तब तक कोई अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

निवृत्त सैनिक पदाधिकारी

†*१०२. { +श्री वारियर : श्री कुन्हन :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या यह सच है कि निवृत्त सैनिक पदाधिकारियों को पदाधिकारियों की कमी के कारण सैनिक सेवा के लिए फिर बुलाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सैनिक सेवा के लिए फिर से बुलाये गए या सेवा निवृत्ति की आयु के बाद सेवा में रखे गए ऐसे पदाधिकारियों की संख्या कितनी है ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) सैना में पदाधिकारियों की कमी के कारण सरकार ने वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार सेवा-निवत्ति तथा सैनिक सेवा से मुक्त किए गए पदाधिकारियों को पुनः नियोजित करने का निर्णय किया है।

(ख) यह जानकारी देना लोकहित के दृष्टिकोण से उचित नहीं है।

†श्री वारियर : क्या सरकार इन पदों के सम्बन्ध में कनिष्ठ पदक्रम पदाधिकारियों की पदोन्नति के प्रश्न पर सहानुभूति से विचार नहीं करना चाहती है?

†सरदार मजीठिया : मैं समझ नहीं सका कि माननीय सदस्य का कनिष्ठ पदक्रम पदाधिकारियों से क्या अभिप्राय है।

†श्री वारियर : अनायुक्त अधिकारी।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न का सार यह है कि निचले पदाधिकारियों की पदोन्नति करने या उन्हें अवसर देने की अपेक्षा निवृत्त व्यक्तियों को वापिस बुलाने का क्या उद्देश्य है।

†सरदार मजीठिया : बात यह है कि पदाधिकारियों की कमी है। पदोन्नति द्वारा आप कमी को पूरा नहीं कर सकते हैं। आपको इन्हीं पदसिथतियों (रैंक्स) पर इन पदाधिकारियों को रखना होगा। कुछ ऐसे पदाधिकारी जिन्होंने सेवा-निवृत्ति की आयु सीमा को पार नहीं किया है आपको उन्हें वापिस बुलाना ही होगा और उन्हें रखना होगा।

†श्री वारियरः क्या कनिष्ठ आयुक्त अधिकारियों में ऐसे कोई अधिकारी नहीं हैं जिन्हें पदोन्नत किया जा सके? क्या कुछ मामलों में सरकार ऐसा नहीं कर रही है?

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** दस वर्ष बाद कोई व्यक्ति उन्नति करके ऊपर आ जाएगा। माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि क्योंकि अन्य व्यक्ति चले गए हैं इसलिए इन व्यक्तियों को भेजा जाना चाहिये इसका यही मतलब निकलता है।

†**श्री जयपाल सिंह:** इस कमी को देखते हुए, जो कि मेरे विचार में कोई नई बात नहीं है, क्या नए व्यक्तियों को लिए जाने के लिए भर्ती का काम तेज़ कर दिया गया है और बढ़ा दिया गया है?

†**सरदार मजीठिया :** पदधिकारियों की नई पदस्थितियों में भर्ती का काम तेज़ कर दिया गया है। और यथा समय इसका प्रभाव प्रगट हो जाएगा।

†**श्री जोकीम आल्वा :** भाग (ख). के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा है कि वह वापिस सेवा पर बुलाये जाने वाले पदधिकारियों की संख्या नहीं बता सकते हैं। हमारी प्रतिरक्षा सेनाओं को अब तक बिल्कुल ब्रिटिश सेनाओं की भांति हीं बनाया गया है। हाऊस आफ कामन्स में प्रस्तुत किए गए ब्रिटिश प्राक्कलनों में स्थल सेना, नौ सेना तथा वायु सेना के सभी पदाधिकारियों तथा सैनिक की संख्या प्रतिवर्ष दी जाती है। मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वे ब्रिटिश लकीर पर चलना चाहते हैं या जनहित में संख्या न बता कर वर्तमान नीति को अपनाते रहना चाहते हैं?

†**सरदार मजीठिया :** जैसा कि आप जानते हैं संख्या बताने से सेना की रचना प्रगट हो जाती है। इसे बताना जन हित के लिए ठीक नहीं समझा जाता है, इसलिए मैं इसे नहीं बता रहा हूं।

†**श्री हेम बरुआ :** इन सेवा निवृत्त पदाधिकारियों को वापिस बुलाने से क्या भारतीय सेना के स्तर पर भी प्रभाव न होगा?

†**सरदार मजीठिया :** निश्चय ही स्तर में कोई कभी न होगी।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति :** वापिस गए ये पदाधिकारी कितने समय तक काम पर लग रहेंगे?

†**सरदार मजीठिया :** जब तक उनकी आयु *५० वर्ष की नहीं हो जाती।

†**श्री अ० सिं० सरहदी :** पदाधिकारियों को सामान्य रूप से वापिस बुलाया जाता है या निवृत्ति के स्वरूप के अनुसार ऐसा प्रतिबन्ध है?

†**सरदार मजीठिया :** जैसा कि मैंने कहा है, उन्हें निवृत्ति के बाद ही बुलाया जाता है। हम कमी की बात को अवश्य ही ध्यान में रखते हैं। उस संवर्ग में आने वाले पदाधिकारियों को और जिन्हें तुरन्त ही निवृत्त किया जाता है उन्हें हम निवृत्त नहीं करते हैं।

†**श्री अ० सिं० सरहदी :** कौन से संवर्ग ऐसे हैं जिसके पदाधिकारियों को वापिस नहीं बुलाया जाता।

†**सरदार मजीठिया :** यह संवर्ग का प्रश्न नहीं है। हम संबंधित मामले के कागजों को और पदाधिकारियों की उपयुक्तता को देखते हैं और राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें वापिस बुलाते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

*यह संख्या बाद में प्रतिरक्षा उपमंत्री ने शुद्ध करके '५२' कर दी। देखिये पृष्ठ संख्या १७४८

†**श्री जयपाल सिंह :** इस बात को देखते हुए कि वापिस बुलाये जाने वाले पदाधिकारियों में से बहुत से पदाधिकारियों को उस समय कमीशन दिया गया था जब कि स्तर भिन्न थे क्या सैनिक चुनाव बोर्ड के द्वारा वर्तमान स्तरों के अनसार उन्हें चुना जाता है।

†**सरदार मजीठिया :** सैनिक प्रधान कार्यालय में तदर्थ आधार पर एक चुनाव बोर्ड है। वे संबंधित मामले के कागजों को देखते हैं और पदाधिकारियों की उपयुक्तता की बात पर भी विचार करते हैं।

भारतीय पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र

+

†*१०३. { **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारतीय पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र को माउन्ट आबू से किसी अन्य स्थान पर स्थान्नन्तरित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसका कारण क्या है;

(ग) प्रशिक्षण केन्द्र राजस्थान में हो क्यों नहीं रह सकता है; और

(घ) क्या राजस्थान के मुख्य मंत्री से इस मामले पर बातचीत की गई थी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार):** (क) से (घ) मामला विचाराधीन है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या जांच पूरी की जा चुकी है और यह मामला मंत्रालय में केवल विचाराधीन ही है या अभी जॉच पड़ताल की जा रही है।

†**श्री दातार :** मामले की जांच की जा रही है।

†**श्रीमती अ० काले :** क्या स्कूल नागपुर में खोला जायेगा ?

†**श्री दातार :** कई जगहें विचाराधीन हैं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या कई जगह विचाराधीन हैं क्या कुछ जगहों के संबंध में अग्रेतर पूछताछ की जा रही है या जांच का काम पूरा कर लिया गया है और निणय के लिए केवल मंत्रालय पर ही मामला टिका हुआ है?

†**श्री दातार :** सरकार के सामन कई जगहें हैं इन स्थानों पर पदाधिकारियों को भेज कर इन सभी स्थानों के दावों पर विचार करना होगा। अब यही किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

व्यापारियों से वित्त मंत्री की भेंट

+

†*१०४ { **श्री हेडा ।**
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तथा व्यापा ी समुदाय के बीच आपसी विश्वास का वातावरण विकसित करने के लिए हाल ही में कलकत्ता में वित्त मंत्री की कुछ व्यापारियों के साथ बातचीत हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत का परिणाम क्या हुआ है?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) :** (क) तथा (ख) यह ठीक है कि पिछले जून में कलकत्ता में कुछ प्रतिनिधि व्यापारियों ने मुझ से भेंट की थी। यह भी सच है कि कुछ प्रश्न मुख्यत: आयव्ययक प्रस्तावों से सबंधित पूछे गए थे और उनका उत्तर दिया गया था। मैं इस बातचीत का निष्कर्ष बता सकने में असमर्थ हूं।

†**श्री हेडा :** क्या वित्त मंत्री के लिए यह पहला अवसर नहीं है कि उन्होंने कुछ चुनी हुई जगहों पर व्यापारी समुदाय के आयव्ययक का करारोपण संबंधी प्रस्ताव समझाने की चेष्टा की है?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : जी. नहीं; सरकार के किसी भी सदस्य से यदि कोई मिलना चाहे और यदि व उचित सचना दें और उसकी सूविधा के अनुसार समायोजन करें तो सरकार का प्रत्येक सदस्य उन से भेंट करता है। इन लोगों से वित्त मंत्री का मिलना स्वाभाविक है। वस्तुत: स्वतंत्रता के बाद से यह लगभग परम्परा सी बन गई है कि वित्त मंत्री सयुक्त वाणिज्य मंडल के वार्षिक सम्मेलन में भाग लेता है। जिन विषयों पर बातचीत की गई उनका वे करारोपण प्रस्तावों और करों को लागू करने से संबंध था।

†**श्री हेडा:** भाग (ख) के उत्तर में वित्त मंत्री ने कहा है कि वह बातचीत का निष्कर्ष नहीं बता सकते हैं। एक प्रेस वक्तव्य में कहा गया है कि उन्होंने व्यापारी समुदाय को विश्वास दिलाया था कि द्वितीय योजना की शेष अवधि में कोई भी प्रमुख करारोपण प्रस्ताव न होगा। यह वचन अभी कहां तक पूरा होना बाकी है?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** यहां मई में मैंने आयव्ययक संबंधी जो भाषण दिया था उसकी उपान्त कंडिका में जो वचन दिया गया है उससे अधिक मैंने कोई वचन नहीं दिया था।

†**श्री विमल घोष :** प्रैस के समाचार में कहा गया था कि वित्त मंत्री न यह संकेत किया था कि यद्यपि आयव्ययक संबंधी प्रस्तावों में कोई परिवर्तन नहीं होगा तथापि कुछ सम योजन किया जा सकता है। क्या उन्होंने इस बैठक में इस बात का सकेत किया था कि ये समायोजन किस प्रकार के होंगे ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** मैंने उनसे यह कहा था कि ये प्रस्ताव जहां तक विधान के अधीन रहते हैं वे संसद के समक्ष हैं और विशिष्टतया धन कर तथा व्यय कर के प्रस्तावों को प्रवर समिति को सौंपा जायेगा। मैंने उन्हें यह वचन अवश्य दिया था कि यदि वे कुछ प्रशासी परिवर्त्तन या मामूली परिवर्तन चाहते हैं और उन प्रस्तावों को पेश करेंगे तो मैं उन्हें प्रवर समिति के सामने

† मूल अंग्रेजी

रख दूंगा। मैंने यह भी बता दिया था कि जहां तक इन में भारी परिवर्त्तन का संबंध है सरकार उन प्रस्तावों का समर्थन नहीं करेगी। मैं तब भी उन सूझावों को प्रवर समिति के सामन रखने के लिए बाध्य हूंगा।

आर्थिक विकास के लिये संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट निधि

†*१०५. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **वित्त** मंत्री सभा पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें बताया गया हो कि :

(क) आर्थिक विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट निधि की स्थापना की दिशा में क्या प्रगति की गई है; और

(ख) क्या वैधानिक ढांचे तथा संगठन संबंधी प्रशासन के काम को अन्तिम रूप दिया जा चुका है और उसे अनुमोदित किया जा चुका है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) तथा (ख). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २५]**

†**श्री श्रीनारायण दास :** विवरण से यह पता चलता है कि योजना तैयार करने के लिए सामान्य सभा द्वारा नियुक्त तदर्थ समिति ने अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिए हैं। क्या भारत सरकार के पास ये प्रतिवेदन प्राप्य हैं ?

†**श्री ब० रा० भगत:** यह प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक तथा सामाजिक परिषद को प्रस्तुत किया गया है।

†**श्री श्रीनारायण दास :** क्या ये प्रतिवेदन प्राप्य हैं?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) :** हम कुछ समय बाद उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। मेरे विचार में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक तथा सामाजिक परिषद की आजकल बैठक हो रही है। सम्भवत: उन्हें उनके सामने रखा जायेगा और वे उन पर वादविवाद करेंगे। ऐसा एक बार करने से वे सार्वजनिक प्रलेख बन जायेंगे और हम प्रतिवेदन की प्रतियां प्राप्त कर सकेंगे।

†**श्री कासलीवाल :** पिछले पांच वर्षों से इस निधि का मामला खटाई में पड़ा हुआ है। क्या अब किसी देश ने यह संकेत किया है कि वह इस निधि के लिए कितना अंशदान देने का इरादा रखते हैं?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** उन सभी देशों ने, जिन्हें इस निधि के लाभ की जरूरत है, यह बता दिया है कि वे मामूली अंशदान करेंगे। उन सभी देशों ने, जो प्रमुख रूप से अंशदान देने वालों में हैं, यह कहा है कि वे अंशदान नहीं दे पायेंगे।

†**श्री कासलीवाल :** क्या संयुक्त राष्ट्र ने निधि की कुल रकम का निर्णय कर लिया है?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी:** मैं स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता कि वह कितनी होगी परन्तु मैं इन में से एक बैठक के अवसर पर मौजूद था और मेरे साथी सरदार स्वर्ण सिंह दो बैठकों में शामिल हुए हैं और मेरे दूसरे साथी माननीय प्रतिरक्षा मंत्री भी विभिन्न बैठकों में सम्मिलित हुए हैं। रकम

---

†मूल अंग्रेजी में

[4]SUNFED Special United Nations Fund for Economic Development.

घटती बढ़ती रही है परन्तु यह बात स्पष्ट है कि वे राष्ट्र जो वास्तव में निधि के लिए अंशदान दे सकते हैं वे प्रस्ताव के पक्ष में नहीं हैं और मेरे विचार में हम में से भी किसी को इससे कुछ सैद्धान्तिक दिलचस्पी तो हो सकती है कोई व्यावहारिक दिलचस्पी नहीं हो सकती है।

ग्रेफ़ाइट उत्पादन

†*१०६. **श्री वें० प० नायर:** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की ग्रेफ़ाइट संबंधी आवश्यकता इस समय के देशीय उत्पादन से कहां तक पूरी होती है:

(ख) द्वितीय योजना के अन्त में अपेक्षित मात्रा का प्राक्कलन कितना है; और

(ग) दक्षिण भारत में ग्रेफ़ाइट के महत्वपूर्ण संसाधन कौन से हैं?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) से (ग). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २६]**

†**श्री वें० प० नायर:** विवरण में मैंने देखा है कि इस समय ग्रेफ़ाइट की मांग का केवल ७० प्रतिशत भाग ही देशीय उत्पादन से पूरा होता है। ग्रेफ़ाइट के अपिधम अयस् तथा लोहे की कई अन्य किस्मों में बनाने के काम आने के कारण मांग में संभाव्य वृद्धि को देखते हुए क्या सरकार की देशीय उत्पादन से समस्त मांग पूरा करने की कोई योजना है।

†**श्री के० दे० मालवीय :** भूतत्वीय रूप से सारे देश में ग्रेफाइट फैला हुआ है और जिन क्षेत्रों में हम इसके उत्पादन का विस्तार कर सकते हैं वहां हम धीरे धीरे सर्वेक्षण कर रहे हैं। परन्तु यह कोई अत्यन्त महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन नहीं है इसलिए स्वाभाविक रूप से हमें कुछ अधिक महत्वपूर्ण काम के कारण प्रतीक्षा करनी होगी।

†**श्री वें० प० नायर :** मैंने देखा है कि प्रथम महायुद्ध से पहिले ग्रेफ़ाइट संबंधी भारत का समस्त देशीय उत्पादन उन क्षेत्रों से होता था जो अब केरल राज्य में हैं और मैसर्स मौरगन क्रुसिबल्स ने २५,००० टन ग्रेफ़ाइट निकाला था। इसकी आवश्यकता तथा इसकी कमी को देखते हुए, क्या भारत सरकार का वहां ग्रेफ़ाइट खानों से इसे निकालने की कोई योजना है?

†**श्री के० दे० मालवीय :** ग्रेज़ाइट का अधिक भाग केरल में ही उत्पन्न होता है।

† **श्री वें० प० नायर :** अब नहीं।

† **अध्यक्ष महोदय :** वह कहते हैं कि अब ऐसा नहीं होता है।

† **श्री के० दे० मालवीय :** जी, हां। किसी क्षेत्र को ले कर उस में काम शुरू करना ग़ैर सरकारी क्षेत्र पर ही निर्भर करता है और यदि कुछ ऐसे गैर सरकारी पट्टे-धारी हैं जो वहां केरल में काम शुरू करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें कोई आपत्ति न होगी।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री वें० प० नायर :** क्या सरकार ने यह मालूम करने के लिए कोई काम किया है कि क्या प्राकृतिक ग्रेफ़ाइट को अणु शक्ति के उत्पादन में 'मोडरेटर' के रूप में उपयोग किया जा सकता है ?

†**श्री क० दे० मालवीय :** जहां तक हमें मालूम है प्राकृतिक ग्रेफ़ाइट आण्विक 'मोडरेटर' के रूप में उपयोग करने के लिए बहुत ही अच्छी वस्तु नहीं समझा जाता है । संश्लेषित ग्रेफ़ाइट का उपयोग किया जा रहा है ।

---

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री प्र० के० देव ।

†**श्री सूपकार:** उन्होंने मुझे प्रश्न पूछने की इजाजत दी है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** सब प्रश्न खत्म होने पर यदि समय होगा तो मैं उनसे कहूंगा ।

विदेशी जहाजी कम्पनियां

*१०८. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत ने १९५६–५७ में विदेशी जहाजी कम्पनियों को समुद्र पार के भाड़े के रूप में कितनी राशि दी ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) :** विदेशी जहाज़ी कम्पनियों को व्यापारिक माल की ढुलाई के भाड़े के रूप में १९५६–५७ में जो रकम अदा की गयी और जिसके सम्बन्ध में इस समय सूचना उपलब्ध है, वह लगभग ५८ करोड़ रुपये थी ।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** इस विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** स्पष्ट रूप से यह कार्यवाही की जा सकती है कि अपना टन भार बढ़ाया जाय और इस प्रयोजन के लिए हमें फिर विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी और जब विदेशी मुद्रा उपलब्ध होगी हो सकता है तब टन भार अर्जित करने के लिए प्राथमिकता का संकेत किया जा सके परन्तु इस समय तो मेरे विचार में प्रश्न व्यवहार्य नहीं है ।

†**श्री साधन गुप्त :** क्या अपनी विदेशी मुद्रा बचाने के लिए टन भार बढ़ा कर पिछले दिनों कोई प्रयत्न किया गया है; और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी विदेशी मुद्रा बचाई गई है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** मैं माननीय सदस्य से प्रश्न दुहराने का अनुरोध करूंगा ।

†**श्री साधन गुप्त :** विदेशी नौवहन के लिए अदायगी में विदेशी मुद्रा खर्च होती जा रही है क्या इसे बचाने के लिए पिछले दिनों टन भार बढ़ा कर कोई प्रयत्न किया गया है, और यदि हां, तो इस प्रकार के प्रयत्नों का क्या परिणाम हुआ है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** १९५६–५७ ?

†**श्री साधन गुप्त :** उस से पहिले ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** परन्तु प्रश्न का सम्बन्ध १९५६–५७ की अवधि के भाड़े से है ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** क्योंकि इस टन भार के उपयोग से इस देश को सदैव कुछ लाभदायक सामान ही लाया गया है इस लिए मेरे विचार में कोई रकम लुटाई नहीं जा रही है । दूसरे हमारे नौवहन में यद्यपि जिस रफ्तार से हम वृद्धि चाहते थे उस रफ्तार से नहीं हुई तथापि स्थिरता से वृद्धि होती रही है । और जहां तक पिछले पांच या छः वर्षों में हमारे टन भार में ठीक-ठीक हुई वृद्धि का सम्बन्ध है, मुझे इस प्रश्न के लिए सूचना चाहिये । मुझे शायद प्रश्न का एक भाग अपने साथी माननीय परिवहन मंत्री को उत्तर देने के लिए देना होगा ।

उमरेर (बम्बई) में खनिज निक्षेप

+

*१०९. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री रूप नारायण :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई राज्य के नागपुर जिले की उमरेर तहसील में क्रोमाइट, तांबा, सोना और लोहा प्रचुर मात्रा में हैं; और

(ख) क्या सरकार का खनिज सम्पत्ति से परिपूर्ण इस क्षेत्र का सर्वेक्षण करवाने और इस से लाभ उठाने का विचार है ?

खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) "भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग" ने रिपोर्ट दी है कि यहां बहुत ज्यादा मात्रा में खनिज पदार्थों वाला एक क्षेत्र है, जिसका व्यवसायिक रूप से शोषण किया जा सकता है ।

(ख) क्योंकि यह खनिज पदार्थ अप्रैल १९५६ की औद्योगिक नीति प्रस्ताव की सूची "ए"[५] में सम्मिलित कर लिये गये हैं । इसलिये इनके शोषण के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है । इस प्रश्न पर राज्य सरकार (बम्बई) की भी सलाह ली जा रही है ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस का काम अभी तक आरम्भ हुआ है या नहीं ।

श्री के० दे० मालवीय : अगर काम से मतलब जिओलाजिकल सरवे से है, तो वह तो चल रहा है, लेकिन औद्योगिक इस्तेमाल अभी शुरू नहीं हुआ है ।

---

*तारांकित प्रश्न संख्या १०२ के उत्तर में शुद्धि

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :** प्रश्न संख्या १०२ के उत्तर के सिलसिले में जो अनुपूरक प्रश्न पूछे गये थे उनमें से एक यह भी था कि पुनर्सवायुक्त पदाधिकारियों को किस उम्र तक नौकरी पर रखा जायेगा । इसका मैंने जो उत्तर दिया था उसे आपकी अनुमति से मैं शुद्ध करना चाहता हूं । मैंने ५० कहा था । उसे बदल कर ५२ कर दिया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[५]Schedule A.

*देखिये पृष्ठ १७४२

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--जारी

प्रतिरक्षा कर्मचारियों की नौकरी की शर्तें

†*११०. **श्री म० र० कृष्ण :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने प्रतिरक्षा सेवाओं में स्थायी[6] और अस्थायी[7] पदाधिकारियों को निवृत करने अथवा नौकरी से छुट्टी देने की शर्तें बदल दी है या बदलने वाली हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :** जी नहीं। लेकिन अस्थायी रूप से सरकार ने यह निश्चय किया है कि यदि सैनिक-कार्यालय के प्रधान इसे लोकहित में आवश्यक समझें तो निम्नलिखित श्रेणियों के पदाधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृति अथवा नौकरी से अनिवार्य रूप से छुट्टी देने की आयु पार कर लेने के बाद भी नौकरी में रोका जा सकता है :

(१) सेना में मेजर और उससे नीचे के मूल ओहदे वाले पदाधिकारी;

(२) नौ सेना में लेफ्टिनेंट कमांडर और उससे नीचे के मूल ओहदे वाले पदाधिकारी (शाखा-सूची में से पदोन्नत किये गये लोगों को छोड़कर); और

(३) वायु-सेना में स्क्वैड्रन लीडर और उससे नीचे के मूल ओहदे वाले पदाधिकारी।

† **श्री मं० रं० कृष्ण :** सेवानिवृति कर्मचारियों में से अल्पकालीन कमीशन देने के लिये भर्ती करते समय क्या उन क्षेत्रों के अधिक लोग लिये जायेंगे जिनके अधिक कर्मचारी प्रतिरक्षा सेवाओं में नहीं आ पाते या उनको उन्हीं अन्य क्षेत्रों से भर्ती किया जायेगा जिनको सेना में पहले से ही काफी प्रतिनिधित्व प्राप्त है ?

† **सरदार मजीठिया :** भर्ती करने की तो बात ही नहीं पैदा होती। इसमें तो केवल उन्हीं पदाधिकारियों को नौकरी पर रोक लिया जायेगा जिनकी सेवा-निवृत होने की बारी आ गयी होगी। भर्ती की तो बात ही नहीं है।

† **श्री मं० रं० कृष्ण :** कितने पदाधिकारी ४९ वर्ष के हो चुके हैं और इनकी कमी को पूरा करने के लिये कितने पदाधिकारी भर्ती किये जाने वाले हैं ?

†**सरदार मजीठिया :** मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस में भर्ती करने की तो कोई बात ही नहीं है। यह प्रश्न तो केवल उन पदाधिकारियों को नौकरी में रोके रखने से सम्बन्धित है, जिनके सेवा-निवृत होने की बारी आ गयी है और भर्ती की तो कोई बात ही नहीं उत्पन्न होती।

† **श्री मं० रं० कृष्ण :** उनकी संख्या कितनी है ?

† **अध्यक्ष महोदय :** किसकी संख्या ?

† **श्री मं० रं० कृष्ण :** उन पदाधिकारियों की संख्या जिनको यह रियायत मिलेगी और जो अन्यथा ४९ वर्ष की उम्र होने पर चले जाते।

† **सरदार मजीठिया :** लोक-हित में मैं यह जानकारी नहीं दे सकूंगा।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :** क्या सेना में यह आम तरीका नहीं है कि जब भी सेवा-निवृत्ति के कारण कोई स्थान रिक्त होता है तो निचले ओहदों में से पदोन्नति देकर उसे भर दिया

---

† मूल अंग्रेज़ी में

[6]Regular.

[7]Non-regular.

जाता है, और यदि यही तरीका है तो सामान्य-नियम से अब इस प्रकार अलग जाने का क्या कारण है ?

†**सरदार मजीठिया** : मैं प्रश्न को समझ नहीं सका ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या सेना में यह आम तरीका नहीं है कि जब भी कोई स्थान रिक्त होता है, नीचे के पदाधिकारियों को पदोन्नति दे कर उसे पूरा किया जाता है, और यदि है, तो सेवानिवृत्ति की आयु के हो जाने पर भी इन पदाधिकारियों को क्यों रोक लिया जाता है ?

† **सरदार मजीठिया** : यह केवल इसी कारण से किया जाता है कि इनकी बहुत कमी है और जिन पदाधिकारियों के सेवा-निवृत्त होने की बारी आ जाती है उन्हें भी नौकरी में रोक कर यह कमी पूरी की जाती है और ये उन नये पदाधिकारियों के अलावा होते हैं जिन्हें पदोन्नति दी जाती है ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : क्या सेना का यह आम कायदा नहीं है कि सेवा-निवृत्ति के कारण रिक्त होने वाले स्थानों को नीचे के पदों से पदोन्नति दे कर भरा जाता है, और यदि ऐसा कायदा है तो अब उससे हटने क्या कारण है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय अभी बता चुके हैं कि ये पदाधिकारी उनके अलावा होते हैं जिन्हें साधारण रीति से पदोन्नति दी जाती है । पदोन्नति के अधिकारी किसी भी व्यक्ति की पदोन्नति से वंचित नहीं रखा जाता; जो भी पदोन्नति पाने योग्य होता है उसे पदोन्नति दी जाती है । इन के अलावा भी ऐसे स्थान होते हैं जिन्हें भरना होता है ।

† **सरदार मजीठिया** : संभवत: माननीय सदस्य के दिमाग में यह बात है कि अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों को पदाधिकारियों की श्रेणी में पदोन्नति देनी चाहिये । जहां तक इस बात का सम्बन्ध है, हम ने उन लोगों के लिये दस प्रतिशत स्थान सुरक्षित कर दिये हैं जो उनके योग्य पाये जायें ।

†**श्री जयपाल सिंह** : प्रशासनिक पदाधिकारियों की तुलना में योधन* पदाधिकारियों का अनुपात कितना बैठता है ? योधन पदाधिकारियों की संख्या अधिक है या प्रशासनिक पदाधिकारियों की ?

† **सरदार मजीठिया** : यह जानकारी इस समय मेरे पास नहीं है । परन्तु इस का सम्बन्ध सामान्य ड्यूटियों वाले और प्रशासन शाखा के, दोनों प्रकार के कर्मचारियों से है ।

† **डा० सुशीला नायर** : अन्य सेवाओं के पदाधिकारियों की तुलना में सेना के पदाधिकारियों को अपेक्षाकृत जल्दी सेवा-निवृत्त कर देने का क्या कारण है और क्या यह सच नहीं है कि अपेक्षाकृत जल्दी अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिये जाने के कारण सेना की विभिन्न श्रेणियों में काफ़ी असंतोष व्याप्त है ?

† **सरदार मजीठिया** : यह नीति का सामान्य प्रश्न है । यदि आप मुझ से इसका उत्तर देने को कहें तो मैं दे दूंगा ।

† **अध्यक्ष महोदय** : जी नहीं । यह नीति का सामान्य प्रश्न है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

*Combatant

लोक सहायक सेना

*११४. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक सहायक सेना द्वारा विभिन्न राज्यों में १९५७ में अब तक कितने व्यक्ति किन-किन स्थानों पर प्रशिक्षित किये गये;

(ख) जनसाधारण पर इस प्रशिक्षण का क्या प्रभाव पड़ा और जिन व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया उन की योग्यता क्या थी; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर कितना धन व्यय किया गया और क्या सरकार का इसे किसी निश्चित योजना के अधीन जारी रखने का विचार है ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): (क) एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २७]**

(ख) लोक सहायक सेना में ट्रेनिंग पाये हुए व्यक्तियों में अनुशासन और आत्मविश्वास की भावनाएं और राष्ट्र सेवा में दिलचस्पी पैदा हो जाती है । इसका साधारण जनता पर जिस से उन का वास्ता पड़ता है, कुछ असर जरूर होना ही चाहिए ।

१८ से ४० साल तक के सभी भारत के तन्दुरुस्त मर्द (उन लोगों को छोड़ कर जिन्होंने अनुशासन में कुछ ट्रेनिंग पाई है जैसे कि भूतपूर्व सैनिक और भूतपूर्व एन० सी० सी० के छात्र) लोक सहायक सेना में भर्ती होने के अधिकारी हैं ।

(ग) १९५५-५६ और १९५६-५७ वर्षों में जो खर्च हुआ वह क्रमशः लगभग ७८ और ८० लाख रुपया है । योजना १-५-१९५५ को चालू की गई थी और फिलहाल सरकार का इसे १९६० तक चालू रखने का विचार है ।

श्री विभूति मिश्र : लोक सहायक सेना में जो सरकार की ओर से ट्रेनिंग दी जाती है तथा उसकी जो अवधि है, उस अवधि को बढ़ाने का क्या सरकार विचार कर रही है ताकि जिन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है उनको और अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी जा सके ?

सरदार मजीठिया : इस सवाल पर अभी विचार हो रहा है । मगर अभी तक जितनी ट्रेनिंग की अवधि है उसी पर काम चालू रहेगा ।

श्री विभूति मिश्र : सरकार जिन लोगों को ट्रेनिंग दे कर छोड़ देती है उनको दो तीन साल के बाद अभ्यास के तौर पर फिर ट्रेनिंग दी जाए, क्या इसका सरकार ने कोई इंतिजाम किया है ?

सरदार मजीठिया : अभी तक जिन लोगों को ट्रेनिंग देनी है उनकी तादाद ही बहुत ज्यादा है । अगर लोगों को दुबारा ट्रेनिंग देना शुरू किया गया तो यह काम और भी मुश्किल हो जायेगा ।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पिछले दो तीन वर्षों में कितने लोगों को ट्रेनिंग दी गई है ?

सरदार मजीठिया : आज तक करीब १,८५,००० मर्द इस में ट्रेनिंग पा चुके हैं ।

श्री विभूति मिश्र : सरकार ने आज तक लगभग दो लाख मर्दों को ट्रेनिंग दी है । ये लोग ठीक से अपना कार्य कर सकें, क्या इस ओर भी सरकार ने कोई ध्यान दिया है ? नये लोगों को आप ट्रेनिंग देते जाते हैं और जिन को आप दे चुके हैं वे भूलते जाते हैं ।

सरदार मजीठिया : ख्याल तो यह किया जाता है कि जो ट्रेनिंग इन कैम्पस में दी जाती है वह उनको दूसरे कामों में सहायता देगी और ऐसा हमें दिखाई भी दे रहा है कि यह ट्रेनिंग उनके लिए सहायक सिद्ध हो रही है ।

†**श्री गोरे :** क्या इन लोगों के लिये कोई प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम होगा ?

†**सरदार मजीठिया :** मैं पहले ही बता चुका हूं कि कोई प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम नहीं है ।

रूस को भारतीय सैनिक शिष्टमंडल

† *११५. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सैनिक कार्यालय के प्रधान के नेतृत्व में एक भारतीय सैनिक शिष्टमण्डल रूस गया है;

(ख) यदि हां, तो इस यात्रा का उद्देश्य क्या है; और

(ग) यह उस देश में कितने दिन रहेगा ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया):** (क) से (ग). सोवियत प्रतिरक्षा मंत्री, मार्शल जुकोव के निमंत्रण पर सैनिक के कार्यालय के प्रधान प्रतिरक्षा सेवाओं के अनेक पदाधिकारियों के साथ सोवियत नौ सेना दिवस का समारोह देखने के लिये मास्को गये हैं । यह दल व्यक्तिगत रूप से मार्शल जुकोव का अतिथि होगा और सोवियत संघ में लगभग १० दिन रहेगा ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** क्योंकि मानिक प्रदर्शन देखने गये हैं इसलिये क्या मैं यह जान सकती हूं कि क्या हमारा इरादा सोवियत नमूने के पोतों अथवा विमानों को भारत में आयात करने का है ?

†**सरदार मजीठिया :** यह प्रश्न तो इस से उत्पन्न नहीं होता । केवल प्रतिरक्षा मंत्री मार्शल जुकोव के निमंत्रण पर नौ सेना दिवस का समारोह देखने के लिये गये हैं ।

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** और कितने देशों ने हमारे सैनिक कार्यालय के प्रधान को निमंत्रण दिया है और कितने निमंत्रण स्वीकार कर लिये गये हैं ?

†**सरदार मजीठिया :** मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

†**श्री जयपाल सिंह :** मूल निमंत्रण तो काफी पहले की तारीख के लिये था, फिर अचानक उसे बदल दिया गया । हो सकता है कि मौसम की स्थिति का प्रभाव उस पर पड़ा हो । क्या मैं जान सकता हूं कि यह तारीख क्यों बदली गयी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: मूल निमंत्रण उसी समय दिया गया था जिस समय मार्शल जुकोव यहां आये थे, वह वहां के किसी समारोह के सम्बन्ध में नहीं था और उसे इस शर्त के साथ स्वीकार कर लिया गया था कि किसी सुविधाजनक तारीख को ही जा सकेंगे। बाद में, वायुसेना की परेड के दिन के लिए निमंत्रण दिया गया। वह तारीख बदल दी गयी, वायुसेना का प्रदर्शन ही अनेक कारणों से, जिन में मेरे ख्याल से खराब मौसम भी एक कारण है, टाल दिया गया और जहां तक मेरा ख्याल है यह अभी तक नहीं हो पाया है। फिर यह दूसरा निमंत्रण आया और उसे स्वीकार कर लिया गया।

रूरकेला में उर्वरक का कारखाना

† *११६. **श्री बहादुर सिंह** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन मंत्री** २९ मई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ६०८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी जर्मनी के मेसर्स बोचाको, रूरकेला में जिस उर्वरक के कारखाने की स्थापना करने वाले हैं उसके परियोजना प्रतिवेदन की मुख्य-मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : उर्वरक के कारखाने सम्बन्धी परियोजना प्रतिवेदन की खास-खास विशेषतायें निम्नलिखित हैं :—

(१) कारखाने की अधिकतम उत्पादन क्षमता १२०,००० टन नाइट्रोजन (५८०,००० टन कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट) कूती गयी है। लेकिन यह क्षमता इस बात पर निर्भर करेगी कि इस्पात के कारखाने की आवश्यकतायें पूरी करने के बाद कितनी कोक-ओवन गैस उपलब्ध हो सकेगी।

(२) परामर्शदाताओं ने कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करने की सलाह इसलिये दी है क्योंकि यह कच्चा माल सस्ती दर पर उपलब्ध है। उनका ख्याल है कि रूरकेला में यूरिया के उत्पादन में कठिनाई इसलिये होगी क्योंकि यहां काफी कार्बन डायोक्साइड उपलब्ध नहीं है।

(३) कार्य-पूंजी, सेवाओं (पानी बिजली और कर्मशाला) और रिहायशी बस्ती पर होने वाले पूंजी-व्यय को मिलाकर कुल १८ करोड़ रुपये की पूंजी-लागत कूती गयी है।

प्रतिरक्षा प्रधान-कार्यालय भवन[९]

† *११७. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में नये प्रतिरक्षा प्रधान कार्यालय भवन का निर्माण करने की योजना को अन्तिम रूप प्रदान किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना व्यय होने का अनुमान है; और

(ग) इस के निर्माण में विदेशी मुद्राओं की आवश्यकता होगी या नहीं और यदि होगी तो कितनी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[९]Defence Headquarters Building.

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में कथित शानशौकत वाले भवनों[10] का निर्माण स्थगित करने के बारे में क्या सरकार ने पक्का निश्चय कर लिया है या करने वाली है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : जी नहीं ।

प्रश्नों के लिखित ऊत्तर

क्योंझरगढ़ जिले में सोना

†*१०७. **श्री प्र० के० देव** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के क्योंझर जिले में पाये गये स्वर्ण अयस्क की किस्म और परिमाण पता लगाने के लिये क्या कोई विस्तृत जांच की गयी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) क्या वहां खान चलाना लाभदायक होगा ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

लौह अयस्क परियोजना

†*१११. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **वित्त** मंत्री १६ मई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ९४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लौह-अयस्क परियोजना के लिये रेल, पत्तन और अन्य प्रकार की जिन सुविधाओं की आवश्यकता थी, उनके सवेक्षण में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) क्या यांत्रिक पत्तन बनाने के लिये हुगली नदी के पश्चिमी तट पर स्थित ग्योंखाली स्थान का सर्वेक्षण कराने के प्रश्न की भी जांच की गयी है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) उड़ीसा के लौह-अयस्क के निर्यात के लिये सुविधाओं के बारे में क्षेत्र-कार्य पूरा हो चुका है और सर्वेक्षण प्रतिवेदन सितम्बर तक मिल जाने की आशा है ।

(ख) प्रश्न के भाग (क) में जिस सर्वेक्षण का उल्लेख किया गया है उसका इस योजना से कोई सम्बन्ध नहीं है । परन्तु मेरा ख्याल है कि परिवहन मंत्रालय इस समस्या पर विचार कर रहा है और उसका अध्ययन किया जा रहा है ।

---

† मूल अंग्रेज़ी में

[10]Pretige buildings.

त्रिपुरा में आदिम जातियों के छात्र

†*११३. **श्री दशरथ देब :** क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आदिम जातियों के कितने छात्र त्रिपुरा के ग़ैर-सरकारी माध्यमिक स्कूलों में पढ़ रहे हैं; और

(ख) यदि उनको कोई सहायता दी जा रही हो तो वह क्या है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

जीवन बीमा निगम

†*११८. **श्री अनिरुद्ध सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जीवन बीमा निगम ने ३० जून, १९५७ तक प्रत्येक प्रदेश में कुल कितने कितने रुपये के नये बीमे किये हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** जीवन बीमा निगम द्वारा २४ जून, १९५७ तक किये गये बीमों की राशियों का विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २८]** । इसके बाद के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

टेक्नीकल शिक्षा की अखिल भारतीय परिषद्[11]

†*११९. **श्री कालिका सिंह :** क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेक्नीकल शिक्षा की अखिल भारतीय परिषद् ने पांच इंजीनीयरिंग कालेज, २२ पोलीटेक्नीक और ६१ जूनियर टेक्नीकल स्कूल खोलने के प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो कुल अनुमानित खर्च और संस्थाओं की स्थापना के स्थान; और

(ग) क्या जिन राज्यों में संस्थाएं स्थापित की जायेंगी उनसे ख़र्च में हिस्सा बटाने के लिये कहा जायेगा; और

(घ) क्या नीति सम्बन्धी विषयों और उनकी स्थापना के बारे में राज्यों से परामर्श किया जायगा ।

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २९]**

---

† मूल अंग्रेज़ी

[11]All India Council for Technical Education.

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की वर्दियां

*१२०. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की वर्दी में कुछ परिवर्तन कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो वह कब तक हो जाने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां ।

(ख) बहुत जल्दी ।

डा० अम्बेडकर की मृत्यु

*१२१. **श्री बाजपेयी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वर्गीय डाक्टर बी० आर० अम्बेडकर की मृत्यु के कारणों की जांच कराने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख). श्री वासनिक के तारांकित प्रश्न संख्या ५७४-क की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिसका उत्तर २९ मई, १९५७ को दिया गया था । फिर भी, इस सम्बन्ध में आये प्रार्थना पत्रों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के डिप्टी इंस्पैक्टर जनरल आफ पुलिस को हिदायत दी गई है कि वह इस सम्बन्ध में और जांच करे ।

सौर्य शक्ति

†*१२२. **श्री म० कु० घोष :** क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोयला और पेट्रोल के विकल्प स्वरूप सौर्य शक्ति सम्बन्धी गवेषणा और शक्ति के अन्य स्रोतों पर १९५६-५७ में कितनी राशि खर्च की गई ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** घरेलू तथा औद्योगिक प्रयोजनों के लिये सौर्य शक्ति के उपयोग सम्बन्धी गवेषणा राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में की जाती है किन्तु यह कार्य प्रयोगशाला के सामान्य कृत्य के रूप में है और इस प्रकार की गवेषणा के सम्बन्ध में खर्च का प्रथक ब्यौरा नहीं रखा जाता है । पवन शक्ति को वृहद् स्तर पर उपयोग करने के लिये एक योजना के सम्बन्ध में ३४,७५२.६४ रुपये खर्च किये गये थे ।

विकलांग[12] बालकों के लिये स्कूल

†*१२३. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकलांग बालकों के लिये एक केन्द्रीय माडल स्कूल का प्रस्ताव अन्तिम रूप में पहुंच गया है;

मूल अंग्रेजी में

[12] Orthopædically 'Handicapped.

(ख) यदि हां, तो भवन निर्माण पर व्यय की राशि; और

(ग) उसके कर्मचारिवृन्द पर आवर्ती वार्षिक व्यय कितना है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

बीमा कर्मचारियों की भविष्य निधि

†*१२४. **श्री राधा रमण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बीमा व्यवसाय के उन कर्मचारियों और अधिकारियों के भविष्य निधि दावों की समस्या हल नहीं की है और न भुगतान किया है जिन्होंने बीमा समवायों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात त्यागपत्र दे दिया था अथवा जिन्हें अपना पुराना धन्धा छोड़ने के लिये विवश होना पड़ा था;

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है; और

(ग) क्या त्यागपत्र अथवा नौकरी समाप्त होने की तिथि से भुगतान की तिथि तक की अवधि के लिये उन्हें भविष्य निधि दावों पर ब्याज दिया जायेगा ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)**: (क) से (ग). बीमा व्यवसाय के उन कर्मचारियों और अधिकारियों के भविष्य निधि दावों का हल, जो पहली सितम्बर, १९५६ से जीवन बीमा निगम की सेवा में हैं, अवसर आने पर शीघ्र ही निबटारा किया जाता है। जिन व्यक्तियों ने पहली सितम्बर, १९५६ के पूर्व नौकरी छोड़ दी थी उनके दावे सम्बन्धित भविष्य निधियों के न्यासी के पक्ष में रहेंगे; निगम पर उनका उत्तरदायित्व नहीं है।

किसी भी अवस्था में सरकार पर इसका भार नही है।

व्हील एक्सल और टायर का कारखाना

†*१२५. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या सरकार ने तीनों में से किसी एक स्पात कारखाने में व्हील एक्सल और टायर कारखाना स्थापित करने का निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो किस इस्पात कारखाने में इसकी स्थापना की जायेंगी; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जायेगी ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). दुर्गापुर स्टील वर्क्स में व्हील क्सल और टायर प्लांट स्थापित किया जायेगा। इसके लिये एक ब्रिटिश समवाय—मेसर्स इण्डियन स्टैीलवर्क्स कंस्ट्रक्सन कम्पनी के साथ करार किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिरक्षा अधिकारियों के लिये पेंशनें

†*१२६. { श्री वारियर :
श्री कुन्हन :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा सेवाओं के अधिकारियों को पांच वर्षों के लिये अग्रिम एकमुश्त पेंशन प्राप्त करने का अधिकार है; और

(ख) क्या यह सुविधा अन्य पदधारियों को भी दी जाती है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)**: (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

न्याय प्रशासन[१३]

*†१२७. { डा० राम सुभग सिंह :
श्री हेडा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री कालिका सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री उच्च न्यायालयों द्वारा मामलों का शीघ्र निबटारा करने के लिये विगत महीनों में की गई कार्यवाही बताने की कृपा करेंगे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: निलम्बित मामलों के निबटारे का प्रश्न और उच्च न्यायालयों में शीघ्रतापूर्वक न्याय दान करने के विषय पर जून, १९५७ के प्रथम सप्ताह में राज्यों के मुख्य मंत्रियों की नई दिल्ली में आयोजित सभा में गृह मंत्री ने चर्चा की थी और इससे सहमति प्रकट की गई कि इस समस्या को अविलम्बनीय समझकर इसकी पूर्ति के लिये तरीके और मार्ग ढूंढ़े जायें। इस सुझाव के समनुरूप राज्य सरकारें अपने-अपने उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या पर आजकल विचार कर रही हैं; निम्नलिखित उच्च न्यायालयों के लिये अतिरिक्त न्यायाधीशों के अस्थायी पद की स्वीकृति दी गई है :

(१) पंजाब उच्च न्यायालय	चार अस्थायी पद प्रत्येक दो वर्षों के लिये
(२) इलाहाबाद उच्च न्यायालय	दो अस्थायी पद, प्रत्येक दो वर्षों के लिये
(३) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय	" "
(४) मद्रास उच्च न्यायालय	" "
(५) पटना उच्च न्यायालय	" "
(६) उड़ीसा उच्च न्यायालय	एक अस्थायी पद दो वर्षों के लिये
(७) राजस्थान उच्च न्यायालय	" "

भारत के मुख्य न्यायाधिपति इस बात से सहमत हो गये हैं कि इस समस्या को हल करने की दृष्टि से अन्य उपायों के लिये विभिन्न उच्च न्यायालयों की एक कान्फ्रेंस आयोजित की जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[१३]Administration of Justice.

उच्च न्यायालयों में होने वाली छुट्टियों की अवधि और प्रतिदिन काम के घंटों के बारे में भी विचार किया जा रहा है ।

न्याय में शीघ्रता बरतने के लिये प्रक्रिया सम्बन्धी विधि में आवश्यक परिवर्तन के प्रश्न का विधि आयोग परीक्षण कर रहा है ।

जेल के नियमों में संशोधन के लिए समिति

*†१२८. **श्री रूप नारायण :**
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री नारायणन् कुट्टी मेनन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बाता ने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जेल के नियमों में संशोधन के हेतु कोई समिति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति से कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये कहा गया है; और

(ग) इस समिति के सदस्य किस आधार पर चुने गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): (क) एक अच्छे नमूने का जेल मैनुअल तैयार करने के लिए सरकार ने एक छोटी सी समिति नियुक्त की है ।

(ख) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कोई निश्चित अवधि निर्धारित नहीं की गई है किन्तु जितनी जल्दी सम्भव हो सकेगा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

(ग) समिति में वे विशेषज्ञ हैं जिन्हें देश के भिन्न प्रदेशों के जेल प्रशासन तथा अन्य सम्बन्धित समस्याओं का अनुभव है ।

त्रिपुरा में बिक्री कर

†*१२९. **श्री दशरथ देव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या त्रिपुरा में निकट भविष्य में बिक्री कर लागू करने का विचार है ?

†***वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : सरकार ने त्रिपुरा के राज्य-क्षेत्र में फिलहाल किसी प्रकार का बिक्री कर न लगाने का निर्णय किया है ।

दिल्ली में तम्बुओं में स्कूल

*१३०. **श्री नवल प्रभाकर :**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री कोडियान :

क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में इस समय कितने ऐसे स्कूल तम्बुओं में चल रहे हैं जिनके लिये पक्के भवन बनाने का आदेश दिया गया है;

---

† मूल अंग्रेज़ी में

(ख) इस प्रकार के कितने भवन पहले ही बन रहे हैं; और

(ग) तम्बुओं में चलने वाले स्कूल तम्बुओं का कितना वार्षिक किराया दे रहे हैं ?

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) एक भी नहीं।

(ख) कोई नहीं।

(ग) तम्बुओं का वार्षिक किराया १,४७,००० रु० से लेकर १,८०,००० रु० तक है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के अन्तर्गत संध्या-कालीन कक्षाएं

†*१३१ **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री वाजपेयी :

क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब यूनिवर्सिटी केम्प कालेज जांच समिति की रिपोर्ट के फलस्वरूप तत्पश्चात् दिल्ली विश्वविद्यालय के अन्तर्गत संध्याकालीन कक्षाएं आरम्भ करने का निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इन कक्षायों का क्या स्वरूप है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** (क) जी हां।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

साहित्य अकादमी

६७. **श्री वाजपेयी :** क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साहित्य अकादमी पर सन् १९५४–५५, १९५५–५६ और १९५६–५७ में कितनी धनराशि और किस-किस मद में खर्च हुई; और

(ख) अकादमी ने १९५४–५५, १९५५–५६ और १९५६–५७ में किस-किस प्रकाशक द्वारा कितनी-कितनी पुस्तकें छपवाईं और उनमें से अब तक कितनी पुस्तकें बिकीं ?

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ३०]**

विदेशियों को पेंशनें

†६८. **श्री अनिरुद्ध सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशियों को प्रतिवर्ष दी जाने वाली पेंशन की रकम;

(ख) इसमें प्रतिवर्ष होने वाली कमी; और

(ग) यह कब तक समाप्त होगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)**: (क) और (ख). विदेशियों को दी जाने वाली पेंशनों का पृथक् ब्यौरा नहीं रखा जाता है। अतः यह जानकारी उपलब्ध नहीं है और लेखा अधिकारियों से वैयक्तिक पेंशन भुगतान आदेश का निर्देश करने पर यह जानकारी मालूम हो सकती है किन्तु इसमें अत्यधिक समय और श्रम लगेगा। यह रकम अधिक नहीं है क्योंकि पहली अप्रैल, १९५५ से स्टर्लिंग पेंशनों का दायित्व ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया है और उसके बदले में भारत सरकार द्वारा ब्रिटिश सरकार को बृहद् राशि दी गई है।

(ग) सेवा सम्बन्धी पेंशने मत्यु होने पर समाप्त हो जाती हैं और परिवार पेंशन नियमों में उल्लिखित घटना घटने पर बंद हो जाती हैं। इन घटनाओं का किसी निश्चित अवधि से सम्बन्ध स्थापित करना संभव नहीं है।

हिन्दी के प्रचार के लिये अनुदान

†**६९. श्री राम कृष्ण :** क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें हिन्दी के विकास एवं प्रसार के लिये १९५७-५८ में गैर हिन्दी भाषा-भाषी राज्य सरकारों और संगठनों को अनुदान के रूप में दी गई कुल रकम राज्यवार तथा संगठनवार दी गई हो ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: गैर हिन्दी भाषा-भाषी राज्य सरकारों को अपने-अपने क्षेत्रों में हिन्दी प्रचार के लिये १९५७—५८ के बजट में ५·० लाख रुपये का उपबंध है। हिन्दी संघठन में हिन्दी के प्रचार एवं विकास के लिये ७.६१ लाख रुपये की प्रस्तावित एकमुश्त राशि में से अनुदान दिया जायेगा। राज्यवार अथवा संगठनवार निधि आवंटन का ब्यौरा नहीं रखा गया है।

शिक्षा सम्बन्धी योजनाओं के लिये राज्यों को अनुदान

†**७०. श्री राम कृष्ण** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न योजनाओं की क्रियान्विति के लिये राज्य सरकारों को १९५६-५७ में योजनावार और राज्यवार कुल कितनी रकम दी गई है; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में उपयोक्त कार्य के लिये कुल कितनी रकम दी जायेगी ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) केन्द्र द्वारा सहायता प्रदत्त और केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजनाओं के बारे में जानकारी क्रमशः विवरण १ और २ में दी गई है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ३१]**

(ख) रकम की अदायगी इस बात पर निर्भर है कि इस वर्ष राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों को वस्तुतः कितने अंश तक क्रियान्वित किया जाता है। सहायता रूप में बजट का उपबंध और विभिन्न राज्यों के लिये अस्थायी बंटवारा विवरण तीन में दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ३१]**

---

†मूल अंग्रेजी में

अन्दमान और निकोबार द्वीप में छोटे पैमाने के उद्योग

†७१. **श्री दो० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २४ मई, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या २११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत अन्दमान और निकोबार द्वीप में छो॰ पैमाने के उद्योगों के विकास हेतु विभिन्न मदों के अन्तर्गत नियत की गई निधियों का एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : अन्दमान और निकोबार द्वीप की द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत "गृह तथा छोटे पमाने के उद्योगों के अधीन उपबंध पांच वर्ष से बढ़ा कर सात वर्ष कर दिया गया है। विभिन्न शीर्ष के अन्तर्गत नियत राशि बताने वाला एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ३२]**

अधिकारियों का स्थानांतरण

†७२. **श्री हरिश्चंद्र माथुर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत १२ महीनों में प्रत्येक राज्य से केन्द्र में और केन्द्र के प्रत्येक राज्य में कितने अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया था ;

(ख) इनमें भारतीय असैनिक सेवा[14] अधिकारी कितने हैं ;

(ग) ३० मई, १९५७ को भारतीय असैनिक सेवा अधिकारियों की कुल संख्या; और

(घ) प्रत्येक राज्य में और केन्द्र में कितने-कितने अधिकारी नियुक्त हैं ?

†**गह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). संलग्न विवरण में अपेक्षित जानका ी दी गई है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ३३]**

(ग) २४५।

(घ) संलग्न विवरण में जानकारी दी गई है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ३३]**

प्राथमिक शिक्षा .

†७३. **श्री वाजपेयी** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सम्पूर्ण देश में प्राथमिक शिक्षा के बारे में एकरूप पद्धति अपनाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : शिक्षा के केन्द्रीय परामर्शदाता बोर्ड द्वारा अनुमोदित शिक्षा का मूल प्रारूप सब राज्यों द्वारा प्राथमिक अवस्था के लिये स्वीकार कर लिया गया है। पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत स्कूलों को बुनियादी रूप में परिवर्तित किया जा रहा है और अन्य स्कूलों में बुनियादी शिक्षा की ओर प्रवृत्त करने का कार्य जारी है। इस दिशा में सामान्य हित की समस्याओं पर विचार करने के लिये प्राथमिक शिक्षा की अखिल भारतीय परिषद् हाल ही में स्थापित की गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[14]Indian Civil Service.

त्रिपुरा में परामर्शदाता परिषद्

†७४. **श्री दशरथ देब** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा प्रशासन के लिये परामर्शदाता परिषद् की पुनर्रचना सम्बन्ध कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) संविधान में इस प्रकार की परिषदों का वर्तमान में कोई उपबंध नहीं है ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता है ।

अमेरिका में भारतीय पुस्तकालयाध्यक्षों का प्रशिक्षण

†७५. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारतीय विश्वविद्यालयों के कुछ पुस्तकालयाध्यक्षों को अमरीकी लायब्रेरी टेकनीक सीखने के लिये भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वे भारत लौट आये हैं ;

(ग) उनकी सेवाओं का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला०श्रीमाली)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेवा नियुक्त हैं और वहां ही लौट गये हैं ।

सम्पदा शुल्क

७६. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री राम कृष्ण :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५६–५७ में तथा १ अप्रैल, १९५७ से ३० जून, १९५७ तक विभिन्न राज्यों से सम्पदा शुल्क के रूप में कुल कितनी प्राप्ति हुई; और

(ख) देय तथा अदेय मामलों की संख्या क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). सभा की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ३४]**

मूल अंग्रेजी में

भूतपूर्व आय-कर पदाधिकारी

७७. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे आय-कर पदाधिकारियों, आय-कर उपायुक्तों और आय-कर आयुक्तों की संख्या कितनी है, जो अभी निवृत्ति वेतन पा रहे हैं; और

(ख) आय-कर विभाग के इन सेवा-निवृत्त पदाधिकारियों में से किस वर्ग के कितने व्यक्ति इस समय गैर-सरकारी व्यावसायिक फर्मों में नौकरी कर रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) और (ख). आय कर विभाग के सेवा-निवृत्त [रिटायर्ड] पदाधिकारियों की संख्या के सम्बन्ध में, जिनमें गैर-सरकारी नौकरी पर लगे हुए व्यक्ति भी सम्मिलित हैं, तत्काल कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। ऐसी सूचना एकत्र करने पर जितना समय लगेगा और जितना परिश्रम करना होगा वह प्राप्त होने वाले परिणामों की अपेक्षा कहीं अधिक होगा।

उज्जैन में खुदाई

७८. **श्री राधेलाल व्यास** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री निम्न बातें बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) पुरातत्व विभाग द्वारा उज्जैन में कितने दिन तक खुदाई काम किया गया;

(ख) उस पर अब तक कुल कितना व्यय हुआ; और

(ग) क्या वर्षा ऋतु के बाद खुदाई का काम पुनः आरम्भ किया जायेगा ?

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) ९ मास और २८ दिन।

(ख) ९६,४६९ रु०।

(ग) जी, हां।

छंटनी शुदा सरकारी कर्मचारी

†७९. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्ट्रोल समाप्त हो जाने के पश्चात् विभिन्न राज्यों में राशनिंग और सिविल सप्लाई विभाग के कर्मचारियों की वहद् संख्या को जिसकी छटनी कर दी गई थी, पुनः नौकरी की सुविधाएं दी गई हैं।

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इनमें से कितने व्यक्तियों को आजतक नौकरी दी गई है।

(ग) इनमें से कितने व्यक्ति काम दिलाऊ दफ्तरों की मार्फत आये हैं; और

(घ) उनकी सेवा सम्बन्धी दशाओं के निर्धारण की क्या रीति है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हाँ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). छंटनी शुदा इन कर्मचारियों में से कितने आज तक नौकरी में लिये गये हैं इनकी निश्चित संख्या उपलब्ध नहीं है। काम दिलाऊ दफ्तरों की मार्फत इस प्रकार के २०८३ व्यक्तियों को केन्द्रीय सरकार की नौकरी में लिया गया है।

(घ) यदि सेवा में पहले कोई अन्तरावधि न हो, तो इस प्रयोजन के लिये निर्धारित नियमों के अनुसार वेतन निश्चय करने, अवकाश, वरिष्ठता आदि के लिये पुरानी सेवा को दृष्टिगत रखा जाता है।

दिल्ली के विद्यार्थियों को वृत्तियां

८०. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७ में दिल्ली प्रशासन द्वारा कितने विद्यार्थियों को वृत्तियां दी गईं ;

(ख) उन वृत्तियों की धनराशि क्या है ; और

(ग) उनमें से कितने विद्यार्थी अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के हैं ?

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) १७३०२ ।

(ख) ६,४१,९९७ रु० ।

(ग) अनुसूचित जातियां ७,०७५, अन्य पिछड़े वर्ग १०,०६० ।

भारतीय प्रशासन सेवा के परिवीक्षार्थी [१५]

८१. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रशासन सेवा की प्रशिक्षण शाला में इस समय भारतीय प्रशासन सेवा के कितने परिवीक्षार्थी प्रशिक्षण ले रहे हैं; और

(ख) उनको प्रशिक्षण देने के लिये कितने प्रशिक्षक लगे हुए है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): (क) ७२.

(ख) प्रिन्सिपल तथा वाइस-प्रिन्सिपल को मिला कर ८ प्रशिक्षक हैं। इसके अतिरिक्त संविधान तथा प्रादेशिक भाषाओं के पढ़ाने के लिए क्रमशः एक और दश अंश कालिक (पार्ट-टाइम) प्रशिक्षक और हैं।

स्टेनोग्राफी का स्कूल

८२. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टेनोग्राफी का प्रशिक्षण देने के लिये सरकार दिल्ली में एक स्कूल खोलना चाहती है; और

---

[१५] Probationers.

(ख) यदि हां, तो यह स्कूल कब से चालू हो जायेगा और इसमें कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सैलम जिले में खनिज पदार्थ

†८३. **श्री दरायस्वामी गौंडर** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य के सैलम जिले के हरूर तालुक में तीरथमलाय क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) तीरथमलाय में उपलब्ध लौह अयस्क की मात्रा कितनी है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी हाँ।

(ख) केवल लौह अयस्क खनिज ही वहाँ उपलब्ध है जिसे व्यावसायिक आधार पर निकाला जा सकता है।

(ग) अनुमानित संचिति ४७.५० लाख टन है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

कोयले वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) नियम

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: श्रीमान् मैं, कोयले वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २७ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत कोयले वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) नियम, १९५७ की जो दिनांक १२ जून, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २०४२ में प्रकाशित हुए, एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एस–१०२/५७]**

आश्वासनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विवरण

†**संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मैं, मंत्रियों द्वारा विभिन्न सत्रों में, जैसा कि प्रत्येक के सामने दिखाया गया है, दिए गए विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं के के बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के निम्न विवरणों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(१) पहला विवरण दूसरी लोक सभा का पहला सत्र, १९५७
[देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ३५]

---

†मूल अंग्रेजी में.

(२) अनुपूरक विवरण संख्या २ पहली लोक सभा का पन्द्रहवां सत्र, १९५७ **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३६]**

(३) अनुपूरक विवरण संख्या १८ पहली लोक सभा का बारहवां सत्र १९५७ **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ३७]**

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: मैं अखिल भारतीय सेवा अधिनियम १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्न अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ;

(१) भारतीय पुलिस-सेवा, (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ ग में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २४ नवम्बर, १९५६ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २७३५ ।

(२) अखिल भारतीय सेवा (भविष्य निधि) नियम, १९५५ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २६ जनवरी, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २७५ ।

(३) अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियम, १९५५ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २ फरवरी, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३४८ ।

(४) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३–ख में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २३ फरवरी १९५७ की अधिसूचना संख्या ५३९ ।

(५) अखिल भारतीय सेवा (भविष्य निधि) नियम, १९५५ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २३ मार्च, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ८५५ ।

(६) अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २३ मार्च, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ८५६ ।

(७) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३–ग में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १३ अप्रैल, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ११५२ ।

(८) भारतीय प्रशासनिक सेवा (भरती) नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाली बिनां दिनांक ४ मई, १९५७ की अधिसूचना सख्या एस० आर० ओ० १३७० ।

(९) भारतीय पुलिस सेवा (भरती) नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ४ मई, १९५७ की अधिसूचना संख्या १३७१ ।

(१०) अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ४ मई, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १३७२ । **[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एस–१०३–५७]**

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री दातार** : मैं अखिल भारतीय सेवा अधिनियम १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :—

(१) भारतीय पुलिस सेवा (भरती नियम) १९५४ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १७ अप्रैल, १९५७ की अधिसूचना संख्या १३/३१–५६–आई ए एस ३।

(२) अखिल भारतीय सेवा (भविष्य निधि) नियम, १९५५ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २ मई, १९५७ की अधिसूचना संख्या १३–३८–५६ ए आई एस (३)।

(३) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३–ग में कुछ संशोधन करने वाली २ मई, १९५७ की अधिसूचना १३।१९।५६ ए आई एस (३)।

(४) भारतीय पुलिस सेवा (भरती) नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ९ मई, की अधिसूचना संख्या १३।१५।५६ ए आई एस (३)।

(५) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २४ मई, १९५७ की अधिसूचना संख्या १३।१८।५६–ए आई एस (३)।

(६) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २४ मई, १९५७ की अधिसूचना संख्या १३।१८।५६–ए आई एस (३)

(७) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ४ जून, १९५७ की अधिसूचना संख्या १३।२३।५६ ए आई एस (३) (३)।

(८) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली २५ जून, १९५७ की अधिसूचना संख्या १३।२७।५७ ए आई एस (३) –ए। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस–१०३–५७]**

लोक-प्रतिनिधित्व (निर्वाचनों का संचालन तथा निर्वाचन याचिकाओं का निबटाया जाना) नियमों में संशोधन

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : मैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ की धारा १६९ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचनों का संचालन तथा निर्वाचन याचिकाओं का निबटाया जाना) नियम, १९५६ में आगे कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:—

(१) दिनांक १४ दिसम्बर, १९५६ का एस० आर० ओ० संख्या ३०६८।

(२) दिनांक ४ फरवरी, १९५७ का एस० आर० ओ० ४१२।

(३) दिनांक १६ नवम्बर, १९५६ का एस० आर० ओ० २७१९।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस–१०४।५७]

---

†मूल अंग्रेजी में

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)**: मैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५० की धारा २८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचक नामावलियों का तैयार किया जाना) नियम १९५६ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १० जनवरी, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १४० की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस–१०५/५७]**

लोक-प्रतिनिधित्व (निर्वाचक नामावलियों का तैयार किया जाना) नियमों में संशोधन

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : मैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५० की धारा २८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचक नामावलियों का तैयार किया जाना) नियम, १९५७ में आगे कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १३ जून, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १९८५ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस–१०६/५७]**

लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचनों का संचालन तथा निर्वाचन याचिकाओं का निबटाया जाना) नियमों में संशोधन

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)**: मैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ की धारा १६९ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचनों का संचालन तथा निर्वाचन याचिकाओं का निबटाया जाना) नियम, १९५६ में आगे कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १६ जुलाई, १९५७ के शुद्धि-पत्र के साथ दिनांक १८ जून, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १९९३–ए की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस० – १०७/५७]**

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)**: मैं समुद्र-सीमा-शुल्क अधिनियम १८७८ की धारा ४३–ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :—

(१) दिनांक १८ मई, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १५८१।

(२) दिनांक १८ मई, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १५८२ जिसमें सीमा-शुल्क प्रत्याहृत (ताम्र चूर्ण निर्मित वस्तुएं) नियम, १९५७ भी हैं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस०–१०८/५७]**

प्राक्कलन समिति

बैठकों की कार्यवाही का सारांश

†**सचिव** : मैं १९५६–५७ में हुई प्राक्कलन समिति की बैठकों की कार्यवाही के सारांश (खण्ड ६, अंक १–३) की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
पहला प्रतिवेदन

†**सरदार हुक्म सिंह (भटिंडा)**: म गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का पहला प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

तारांकित प्रश्न संख्या ५५२ के उत्तर की शुद्धि

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: २९-५-५७ को तारांकित प्रश्न संख्या ५५२ पर श्री ब० स० मूर्ति द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मैंने अन्य बातों के साथ यह बताया था कि सरकार ने आदिम जाति क्षेत्रों में ४३ गहन विकास खण्ड—बहुप्रयोजनीय परियोजना खण्ड—बनाने का निर्णय किया है जिन का कुल खर्च २७ लाख रुपये आयेगा । मैं वह ग़लत बता गया । सत्य यह है कि २७ लाख रुपये जो मैं ने बताये हैं वह एक खण्ड का व्यय है ।

जानकारी के लिये प्रश्न

†**श्री बा० चं० कामले** (कोपरगांव) : मैं ने कल नियम १९७ के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के एक विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में एक पूर्वसूचना दी थी । मैं जानना चाहता हूं कि उस के बारे में क्या हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य सभा में नये आये हैं । मामले की सूचना मिलने पर मंत्रालय से परामर्श किया जाता है । फिर यह निर्णय किया जाता है कि इस को अनुमति दी जाये अथवा नहीं । अगले ही दिन उन्हें आशा नहीं करनी चाहिये कि उस पर चर्चा होगी । कल उन्हें मालूम हो जायेगा कि उसे अनुमति दी गई है अथवा अस्वीकार कर दिया गया है ।

धन कर विधेयक—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब धन-कर विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर और आगे चर्चा होगी ।

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : अध्यक्ष महोदय, मैं उन दस सदस्यों का बड़ा कृतज्ञ हूं जिन्हों ने इस विधेयक पर कल अपने विचार व्यक्त किये । इन में से केवल एक सदस्य ने इस का विरोध किया है । मैं उन माननीय सदस्यों का भी आभारी हूं जिन्होंने इस विधेयक के विभिन्न खण्डों पर विचार किया तथा संभावित कमियों को बताया जिस से प्रवर समिति में उन कमियों को ठीक किया जा सके । मेरे विचार से उन को यह आशा तो इस समय नहीं होगी कि मैं उन के द्वारा उठाये गये प्रश्नों पर विस्तारपूर्वक कुछ कहूं परन्तु फिर भी यह मेरा कर्त्तव्य है कि मैं उन में से कुछ का उत्तर दूं यद्यपि प्रवर समिति उन सुझावों पर विचार करेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मेरे मित्र, श्री वें० प० नायर ने बताया कि धन कर का प्रशासन न्यायिक पदाधिकारियों को सौंपा जाना चाहिये । परन्तु मैं समझता हूं कि न्यायिक पदाधिकारी जो बड़े दक्ष तथा महत्व-पूर्ण व्यक्ति होते हैं, प्रशासन में सफल नहीं होते हैं । इस के अतिरिक्त कर उगाहने वाले विभाग को दो हिस्सों में भी नहीं बांटा जा सकता । इस में कोई सन्देह नहीं है कि हमें आय-कर पदाधिकारियों में से धन कर पदाधिकारियों को चुनना है । मैं उन को आश्वासन देता हूं कि धन कर के पदाधि-कारियों का उचित चुनाव होगा ।

इस के पश्चात् श्री वें० प० नायर ने कहा कि आय-कर के वकीलों को भी धन कर की पैरवी करने का अधिकार दिया जाना चाहिये । जी हां, हमें उन्हें यह अधिकार देना चाहिये परन्तु ऐसा करने से पूर्व हमें आय-कर वकीलों की अर्हताओं का पुनरीक्षण करना पड़ेगा । मेरे विचार से, एक भूतपूर्व आय-कर आयुक्त ने, बोर्ड को यह परामर्श दिया था कि अर्थशास्त्र का ग्रेजुएट आय-कर का वकील बन सकता है । हमें इस प्रकार की अर्हता का पुनरीक्षण करना पड़ेगा । एक एकाउन्टेन्ट या एक वकील जो आय-कर व्यवस्था को पूर्णतः जानता हो, को आय-कर का वकील बनने का अधिकार होगा । जब हम इन अर्हताओं का पुनरीक्षण कर देंगे तब मुझे पूरा विश्वास है कि जो कोई भी आय-कर पदाधिकारियों के समक्ष वकालत करेगा उस को धन तथा व्यय कर पदा-धिकारियों के समक्ष वकालत करने का अधिकार होगा ।

श्री नायर ने धन कर का निर्धारण करने के लिये संतुलन पत्र आदि लेने के बारे में भय प्रकट किया । जो कुछ भी सावधानी रखने का सुझाव उन्हों ने दिया है वह सभी सावधानियां रखी जायेंगी ।

श्री भरूचा ने इस का समर्थन करते हुए कई लाभदायक सुझाव दिये हैं । मैं उन का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने इस विधेयक पर इतनी गम्भीरता से विचार किया । अचल सम्पत्ति के मूल्यांकन का प्रश्न कि भवनों के अनुसार उन का वर्गीकरण करना ठीक होगा जिस से वर्गीकृत भवनों का मूल्य निर्धारित किया जा सकेगा, बड़ा उलझा हुआ प्रश्न है । परन्तु मैं वायदा करता हूं कि हम उन के इस सुझाव पर विचार करेंगे । उन्हों ने सुझाव दिया कि एक व्यक्ति के द्वारा किसी समवाय के अंशों पर लिया गया धन कर वापस दिया जा सकेगा । हम इस पर विचार कर चुके हैं । इस में कोई संदेह नहीं है कि एक छोटा अंशधारी जो केवल विनियोजन के विचार से अंशों में अपना धन लगाता है, इस विषय पर विचार किये जाने का अधिकारी है इसलिये हम ने छोटे अंशधारी को अर्नाजित आय पर अधिभार देने से मुक्त कर दिया है । मेरे विचार से इस प्रकार सहायता देना ठीक होगा बजाय इस के कि धन कर विधेयक में कुछ गड़बड़ी पैदा की जाये ।

श्री पोकर साहेब ने इस का पूर्णतः विरोध किया है । मैं उन के विरोध को स्वीकार करता हूं ।

श्री सूपकार तथा श्री मुहम्मद इमाम ने कहा कि ऐसी सम्पत्ति जिस से कोई आय नहीं होती हो, पर धन कर लगाना ठीक नहीं है । मैं उन का दृष्टिकोण समझता हूं । परन्तु इस का यह अर्थ होगा कि आप ऐसी सम्पत्ति जिस से कोई लाभ नहीं होता है उस को पड़ी रहने देना चाहते हैं क्योंकि कभी कभी सम्पत्ति केवल उस को रखने के लिये रखी जाती है । हमारा उद्देश्य ही एकदम उलटा है । हम नहीं चाहते कि एक व्यक्ति द्वारा अर्जित धन को, इकट्ठा हो जाने के बाद ऐसे ही पड़े रहने दिया जाये अपितु जो इस प्रकार धन इकट्ठा किया जाये उस पर आर्थिक आवश्यकतानुसार इस कर के नियम लागू किये जायें । उस को दूसरे व्यक्ति को उसे देने का अधिकार नहीं होगा ।

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

दूसरे जो व्यक्ति ऐसी सम्पत्ति को इकट्ठा किये रहता है जो उत्पादक न हो, उस को ऐसी सम्पत्ति रखने का कोई अधिकार नहीं है। यदि मैं ऐसा कहता हूं कि धन कर उसी सम्पत्ति पर लिया जायेगा जिस से आय होती हो तो हम जानबूझ कर इस विधेयक के विपरीत काम करेंगे। हमारी यह इच्छा है कि जो व्यक्ति किसी सम्पत्ति और धन को उत्पादन के काम में नहीं लाता तो वह संपत्ति उस के पास नहीं रहनी चाहिये। उस का आदान-प्रदान होना चाहिये। वह सम्पत्ति ऐसे व्यक्ति के पास जानी चाहिये जो उस से आय प्राप्त कर सके। इस का उद्देश्य यही है कि सम्पत्ति जिस से कोई व्यक्ति आय प्राप्त नहीं कर रहा हो तो उस व्यक्ति पर जुर्माना होना चाहिये।

मेरे मित्र श्री राजू ने धन कर की क्रियान्विति के सम्बन्ध में कुछ बड़ी उचित बातें कहीं। उन्हों ने स्थायी समवाय की जानकारी के लिये नियंत्रण तथा प्रबन्ध के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि इस से गड़बड़ी होगी। इस मामले में भी आय-कर अधिनियम के अधीन बताई गई दो बातें ही लागू होंगी। एक यह है कि पहली भारतीय आय पर अब भारतीय आय कितनी अधिक हुई है। यह धन-कर पर लागू किया जाना संभव नहीं है। इसलिये यदि हम आय-कर अधिनियम में बताई गई दूसरी बात मान लेते हैं तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। एक समवाय, चाहे स्थायी हो अथवा अस्थायी, पर, भारत में अवस्थित आस्तियों पर कर लगेगा। केवल यह अन्तर होगा कि यदि समवाय स्थायी है तो भारत में अवस्थित आस्तियों पर तो कर लगेगा ही अपितु विदेशी आस्तियों पर कर लगेगा। इसलिये गड़बड़ी की कोई संभावना नहीं रह जाती है।

इस के साथ साथ ही, भारतीय आय-कर अधिनियम में नियंत्रण तथा प्रबन्ध पूर्णतया वर्णित है और न्यायिक पदाधिकारियों ने इस का निर्वचन किया है। इसलिये, इस को लागू करने में कोई कठिनाई नहीं है। उदाहरणतः, भारत में अवस्थित एक शाखा का नियंत्रण तथा प्रबन्ध साधारणतः भारत में ही होगा। यह बात श्री राजू ने भी मान ली है। परन्तु मेरे विचार से मामले की और भी जांच की जानी चाहिये।

श्री राजू ने आगे कहा कि यह भी संभव है कि कोई व्यक्ति छट वाली आस्तियों पर ऋण ले कर, इस ऋण को आस्तियों में से कम करा लेगा और धन-कर कम देगा। ऋण वही माने जाते हैं जिन का मूल्यांकन किया जा सकता है तथा वह ऋण ऋण नहीं माने जाते हैं जो किसी बुरे इरादे से लिये गये हों। परन्तु फिर भी हम प्रवर समिति को एक सुझाव देना चाहते हैं कि वह स्पष्ट करे कि जो ऋण आस्तियों के कुल मूल्य से घटाये जायेंगे वह छट दी गई आस्तियों से सम्बन्धित नहीं होंगे।

मेरे मित्र श्री साधन गुप्त ने बचत प्रमाणपत्रों तथा सेविंग बैंक अकाउन्ट को दी गई छूट को पसन्द नहीं किया। परन्तु उन्हों ने यह भी कहा कि यह छट असीमित नहीं होनी चाहिये। धन लेने वाले के रूप में, मुझे जनता में उत्साह भी पैदा करना है कि जनता अपना धन बचत प्रमाणपत्रों में लगाये और साथ ही हमें ऋण से प्राप्त होने वाली आय के बारे में भी ध्यान रखना है। मैं समझता हूं कि हम ने इस विषय में ठीक ही निर्णय किया है।

श्री राजू ने चल सम्पत्ति के बारे में कहा कि यह सम्पत्ति बेची नहीं जा सकती है। परन्तु हम इस को अपने पास खींच सकते हैं। मैं उन का आभारी हूं कि उन्होंने इस ओर ध्यान आकर्षित कराया।

मैं ने अपने मित्रों द्वारा उठाये गये प्रश्नों का खुलासा तौर पर उत्तर दे दिया है। मैं यह कहना चाहता हू कि माननीय सदस्यों ने इस की बहुत अधिक आलोचना नहीं की है और यदि किसी की बातों का मैंने उत्तर नहीं दिया हो तो यह न समझें कि मैंने उन की बातों की सराहना नहीं की है।

माननीय सदस्यों को यह पता लगेगा कि विधेयक में अधिक संशोधनों की सभावना नहीं है परन्तु फिर भी प्रवर समिति मामलों पर विचार करेगी । विचार करते समय वह केवल माननीय सदस्यों को बातों पर ही केवल विचार नहीं करेगी, अपितु मैं उन लोगों के सुझाव भी प्रवर समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा जो इस में रुचि लेते हैं । मैं उन सुझावों को भी जिन को बेकार समझता हूं प्रवर समिति को दे दूंगा तथा प्रवर समिति ही उन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करेगी ।

जैसा कि मैं ने अपने पहले भाषण में बताया था, मैं प्रवर समिति से कुछ परिवर्तन करने के बारे में कहूंगा क्योंकि कुछ मामलों में, विदेशी विनिमय को छोड़ कर, मुझे अधिक रुचि नहीं है । इस विधेयक को अन्तिम रूप देने का काम मैं प्रवर समिति पर छोड़ता हूं । अन्त में, मैं एक बार फिर माननीय सदस्यों का आभार प्रदर्शन करता हूं कि उन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया ।

†**श्री शंकरय्या (मैसूर)**: राजाओं की निजी थैलियों के बारे में कुछ नहीं बताया गया कि इन पर कर लगेगा अथवा नहीं ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी**: जिस को छूट दी जायेगी उस का विधेयक में विशिष्टतया उल्लेख होगा अन्यथा अन्य सब पर कर लगेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"धन-कर लगाने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को श्री अशोक कु० सेन, श्री हेडा, श्री प्रफुल्ल चन्द्र बरुआ, श्री रा० जगन्नाथ राव, श्री मुहम्मद खुदाबख्श, श्री नरेन्द्रभाई नथवानी, श्री शिवराम रंगो राने, श्री आनन्द चन्द्र जोशी, डा० मेलकोटे, ज्ञानी गुरुमुख सिंह मुसाफिर, श्री सोमानी, श्री मुरारका, श्री फीरोज गांधी, श्री च० द० पाण्डे, श्री त्रिभुवन नारायण सिंह, श्री हजारनवीस, श्री मं० रं० कृष्ण, श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा, डा० राम सुभग सिंह, श्री नेमीचन्द कासलीवाल, श्री तैयब जी, श्री फतेहसिंहराव प्रतापसिंहराव गायकवाड़, श्री पेरियास्वामी गौंडर, श्री ब० रा० भगत, श्री उ० श्री० मल्लय्या, श्री रंगा, श्री नारायण कुट्टी मेनन, श्री प्रभातकार, श्री बिमल कुमार घोष, श्री लैसराम अचौ सिंह, श्री खाडिलकर, श्री मसानी, श्री कर्णी सिंहजी, डा० कृष्णस्वामी और प्रस्तावक की एक प्रवर समिति को सौंपा जाय और इसे १२ अगस्त, १९५७ तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

व्यय कर विधेयक

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)**: मैं प्रस्ताव करता हूं कि व्यय पर कर लगाने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को श्री अशोक कु० सेन, श्री हेडा, श्री प्रफुल्ल चन्द्र बरुआ, श्री रा० जगन्नाथ राव, श्री मुहम्मद खुदाबख्श, श्री नरेन्द्रभाई नथवानी, श्री शिवराम रंगो राने, श्री आनन्द चन्द्र जोशी, डा० मेलकोटे, ज्ञानी गुरुमुख सिंह मुसाफिर, श्री सोमानी, श्री मुरारका, श्री फीरोज गांधी, श्री च० द० पाण्डे, श्री त्रिभुवन नारायण सिंह, श्री हजारनवीस, श्री मं० रं० कृष्ण, श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा, डा० राम सुभग सिंह, श्री नेमचन्द्र कासलीवाल, श्री तैयब जी, श्री फतेहसिंहराव प्रतापसिंह राव गायकवाड़ श्री पेरियास्वामी गौंडर, श्री ब० रा० भगत, श्री उ० श्री० मल्लय्या,

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ति० त० कष्णमाचारी]

श्री रंगा, श्री नारायण कुट्टि मेनन, श्री प्रभात कार, श्री बिमल कुमार घोष, श्री लैसराम अचौ सिंह, श्री खाडिलकर, श्री मसानी, श्री कर्णी सिंहजी, डा० कृष्णस्वामी और प्रस्तावक की एक प्रवर समिति को सौंपा जाय और उसे १२ अगस्त, १९५७ तक अपना प्रतिवदन प्रस्तुत करने का अनुदेश दिया जाये ।"

इस विधेयक का, जो एक नियत सीमा से अधिक व्यक्तिगत व्यय पर एक वार्षिक कर लगाने की व्यवस्था करता है, मूल उद्देश्य आडम्बरपूर्ण व्यय पर रोक लगाना , बचत को बढ़ाना और लोगों के रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाना है । यह हमारे देश के कर के स्वरूप का एक अंग होगा । समाज के स्वरूप के अनुसार समान कर लगाने की व्यवस्था करने के अलावा यह कर आय-कर के अपवंचन की समस्या को हल करने में काफी सहायता करेगा । यद्यपि यह विधेयक १ अप्रैल, १९५८ से लागू होगा पर कुछ कारणों से आवश्यक है कि इसे इसी सत्र में पारित कर लिया जाय । एक कारण यह है कि कर देने वाली जनता यह जान जाये कि इस कर में क्या क्या बातें हैं । इस कर के लिये आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्था करने के लिये भी काफी समय मिल जायेगा ।

इस सभा में इस विधेयक पर जो चर्चा हुई है या बाहर जो चर्चा हुई है उस से पता लगता है कि इस विधेयक के मुख्य मुख्य उद्देश्यों से सभी लोग सहमत हैं यद्यपि कुछ सुझाव सुधार करने के लिये सुझाव भी आये हैं । मैं ने सुझावों पर विचार कर लिया है । यद्यपि विधेयक में कुछ परिवर्तन किये जायेंगे पर कर की मूल योजना तो वैसी ही रहेगी । विधेयक के उपबन्धों के सम्बन्ध में सब को भली भांति पता है मैं उन को दोहराऊंगा नहीं । मैं केवल उन्हीं सुझावों को लूंगा जिन पर प्रवर समिति अच्छी प्रकार विचार करे । कुछ उपबन्धों के अर्थ का स्पष्टीकरण करने वाले अनेक प्रक्रियात्मक मामलों तथा सुझावों के अलावा मैं निम्नलिखित मुख्य मुख्य बातों की ओर प्रवर समिति का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :

चर्चा के समय माननीय सदस्यों ने व्यय कर विधेयक के खण्ड ३ के परन्तुक की, जो देयता को केवल उन्हीं व्यक्तियों तक सीमित करता है जिन की आय आय-कर अधिनियम के अधीन ६०,००० से अधिक है, असंगतता की ओर ध्यान दिलाया था ।

मैं बता चुका हूं कि मुझे इस त्रुटि का पहले से पता था पर इस का उचित हल निकालने के लिये मैंने इसे प्रवर समिति के लिये छोड़ दिया था । इस बीच मैं ने इस पर ध्यानपूर्वक विचार कर लिया है और मैं समझता हूं कि इस परन्तुक को बदलना या निकालना पड़ेगा । व्यय कर के प्रयोजनों के लिये आय कोई आधार नहीं होनी चाहिये क्योंकि ऐसा होने पर आस्तियों को आय, सम्पत्ति की आय इस ऐक्ट में शामिल नहीं होगी ।

समिति विचार कर के इस परन्तुक को निकाल सकती है । उस के बाद व्यय कर निर्धारित करने के लिये व्यक्तिगत उपभोग पर वार्षिक व्यय ही एक आधार रह जायेगा । समिति कर-मुक्त सीमा पर भी यदि चाहे तो विचार कर सकती है । विधेयक में हम ने एक व्यक्ति के लिये उस की पत्नी को मिला कर २४,००० रुपये की छूट की व्यवस्था की गई है । यदि खण्ड ३ का परन्तुक स्वीकार कर लिया जाय तो यह राशि ३६,००० होनी चाहिये थी । इसी प्रकार एक संयुक्त हिन्दू परिवार के कर्त्ता तथा उस की पत्नी के लिये भी इतनी ही राशि की व्यवस्था है और परिवार के प्रत्येक सदस्य या निर्भर के लिये ५,००० रुपये की व्यवस्था है । इस मूल योजना में कुछ समायोजन करना आवश्यक होगा । मेरा विचार है कि एक व्यक्ति तथा उस की पत्नी के लिये २४,००० रुपये और ५,००० रुपये प्रति आश्रित के हिसाब से रखने के बजाय यह अच्छा होगा कि प्रवर समिति यह

सुझाव दे कि एक व्यक्ति उस की पत्नी तथा एक आश्रित के लिये सीमा ३०,००० रुपये कर दी जाये। चाहे किसी व्यक्ति के पत्नी या आश्रित हों या न हों पर उसके लिये सीमा ३०,००० रुपये की रहेगी। शेष आश्रितों के लिये ५,००० रुपये प्रति आश्रित के हिसाब से होने चाहियें। मैं समझता हूं कि एक बच्चे तथा पत्नी पर अधिकतम सीमा ३५,००० रुपये होनी चाहिये। इसी प्रकार के रूपभेद संयुक्त हिन्दू परिवार के बारे में भी हैं अर्थात् यदि खण्ड ३ का परन्तुक स्वीकार कर लिया जाता है तो अधिकतम सीमा ३६,००० रुपये हो जायेगी।

यह मान कर कि किसी व्यक्ति के एक पत्नी तथा २ बच्चे हैं हम ३५,००० रुपये की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का प्रस्ताव करते हैं। अन्यथा, यह सीमा केवल ३०,००० होगी। प्रवर समिति को इस मामले पर विचार करना चाहिये।

यह भी कहा गया है कि यह न्यूनतम उन व्यक्तियों पर कड़े रूप में लागू होगा जिन का सामान्य व्यय बहुत अधिक है और जो अपने पहले से बनाये कार्यक्रम के अनुसार व्यय कर रहे हैं। हमें बताया गया है कि उन के लिये यह कठिन होगा कि वे इतनी जल्दी इतना परिवर्तन कर लें। हो सकता है कि प्रवर समिति उन को परिवर्तन करने के लिये कुछ समय दे और उस के लिये कुछ अधिक अधिकतम सीमा निर्धारित कर दे यदि वह यह सिद्ध कर सकें कि पिछले तीन वर्षों में वह इस सीमा से बहुत अधिक व्यय करते रहे हैं ; वह यह सीमा ५,००० रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से कम होती जायेगी। पर साथ ही यदि वह निश्चित सीमा से अधिक व्यय करते हैं तो इस अधिक पर कर अवश्य लगाया जायेगा। कुछ मामलों में परम्परागत धार्मिक पूर्त व्यय की भी व्यवस्था करनी होगी। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य श्री राजू ने इसी बात की ओर संकेत किया था। यदि ऐसे पूर्व-व्यय उचित हैं तो उन के लिये हमें कुछ उपबन्ध अवश्य करना होगा।

भारत में रहने वाले अ-भारतीय नागरिकों के लिये भी कुछ परिवर्तन करना होगा। अधिकांश मामलों में, इस बात को देखते हुए कि वे कैसे और किन परिस्थितियों में काम करते हैं, आय करते हैं और व्यय करते हैं, उन को अपने देश में बच्चों की शिक्षा आदि के लिये धन भेजना ही पड़ता है। उन के धन बचाने तथा विदेश भेजने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। यदि वह धन बाहर भेज देते हैं और उसे बाहर किसी व्यवसाय में लगाते हैं तो भारतीय आय-कर उन पर कर लगायेगा। उन्हें दोहरे आय-कर से भी छुटकारा मिल जायेगा। विदेश में उन के खर्च के लिये कुछ रियायत की जानी चाहिये। इस प्रकार उन के लेखे, जोखे को देखने की कठिनाई कम हो जायेगी।

इन महत्वपूर्ण परिवर्तनों के अतिरिक्त कुछ सामान्य परिवर्तन भी आवश्यक हैं। वह परिवर्तन प्रक्रिया संबंधी हैं और उन के ब्योरे में इस समय जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

मुझे बताया गया है कि व्यय कर उतना सुदृढ़ नहीं है जितना कि धन कर। इस कर में जो त्रुटियां हैं उन को पूरा करना पड़ेगा। प्रवर समिति से वापस आने पर विधेयक पर चर्चा करने को हमें काफी अवसर मिलेगा।

मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि यह एक नया कर है। इस देश के कर के स्वरूप का ज्ञान रखने वालों का यह विचार है कि यह कर हमारे देश के लिये उचित है और हम इस कर द्वारा अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं। मैंने माना कि इस को सफल बनाने के लिये हमें लोगों के व्यक्तिगत व्यय की छानबीन करनी होगी।

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

यह भी कहा गया है कि व्यय कर का मूल विचार ही संविधान के उपबन्धों के विरुद्ध है—व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के विरुद्ध । मैं समझता हूं कि सभा तथा साधारण जनता भी इस बात को नहीं मानेगी ।

इस विधान को लागू करने में हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी । हमें यह देखना है कि किसी भी तरह से आय छोड़ी न जाय पर साथ ही हमें ध्यान देना है कि आय ही इस कर के लिये मुख्य वस्तु नहीं है क्योंकि यदि हमें इस कर से आय नहीं होगी तो हमें हमारी दूसरी तरफ से आय हो सकती है । यदि कोई व्यक्ति व्यय कर नहीं देता तो इस का अर्थ यह है कि वह व्यय नहीं करता । बचत द्वारा हमें धन सामाजिक कार्यों के लिये मिल जायेगा । यदि कोई धन इकट्ठा करता है तो वह धन-कर देगा । यदि अधिक धन बचेगा तो उसे किसी भी संस्था में लगाया जा सकेगा । यदि हमें पता लग जाय कि कितना धन बचाया गया है तो उस का उपयोग हम उस धन को कहीं लगा कर कर सकते हैं । इस विधेयक को लागू करने का परिणाम कुछ समय बाद दिखाई पड़ेगा ।

यदि कोई यह पूछे कि इस कर से आप को क्या आय होने जा रही है ; आप को केवल १० करोड़ रुपये की आय होगी । १० करोड़ से हमें निराशा होगी । हमारा प्रयोजन पूरा नहीं होगा और लोगों के व्यय में कमी नहीं होगी । यदि हमें लाभांश कर से अधिक धन मिलता है यदि हम लाभांश कर को लाभांश रोक कर बनाते हैं तो आधा उद्देश्य ही पूरा होगा । इसी प्रकार, धीरे धीरे, लोग ३०,००० से अधिक व्यय करना बन्द कर दें । यदि सभी लोग ३०,००० से अधिक व्यय नहीं करेंगे तो हमें कोई कर नहीं मिलेगा । में पर यह कर आवश्यक होगा ताकि आडम्बरपूर्ण खर्च पर नियंत्रण रहे ।

एक माननीय मित्र ने मुझ से एक प्रश्न पूछा था । उन्हों ने हंस दिया शायद वह समझते थे कि उस प्रश्न के भेद को मैं समझ नहीं पाया । उन्हों ने पूछा था कि क्या योजना काल में हम निर्माण कार्यों पर रोक लगाने जा रहे हैं । मैं ने कहा, नहीं । हमें निर्माण कार्य करना है । १९५९ तक हम काफी सीमेन्ट और काफी इस्पात पैदा करने लग जायेंगे । सरकारी और गैर सरकारी निर्माण-कार्य शुरू हो जायेगा । अभी जो रोक लगाई गई है वह केवल कुछ समय के लिये है । यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक भवन निर्माण करना चाहता है तो मैं कहूंगा कि वह नीव डाल दे । बाद में १९५९ में वह भवन बनवा सकता है । निर्माण कार्य में धन तो खर्च होगा ही और यदि व्यय नहीं होगा तो हमें कर नहीं मिलेगा । मान लीजिये कर से हमें १० करोड़ मिलता है पर इस से हमारे उद्देश्य पूरा नहीं होता । फिर भी धन तो मिलता है ।

वर्तमान अवस्था में मैं यह नहीं कह सकता कि मैं जो कुछ कहता हूं वह ठीक है दूसरे लोग जो कुछ कहते हैं वह गलत है । इन करों को लोग अजीब समझते हैं । धीरे धीरे कर के हो कर लगाना है । हम ने जो योजना सोची है मैं उसे बताऊंगा । हो सकता है प्रवर समिति उसे स्वीकार कर ले ।

जैसाकि मैं ने कल बताया था कि वह लोग जो ३०,००० रुपये खर्च नहीं करते वह इस व्यय कर का विरोध करते हैं । ३०,००० रुपये आय वालों से भी हिसाब मांगा जायेगा जहां पर कर अपवंचन का प्रश्न पैदा होगा । ३,००० रुपये या ४,००० रुपये पाने वाले व्यक्ति भी, जिन की शुद्ध आय, भविष्य निधि आदि काट कर, २,४०० रुपये मासिक पड़ेगी, कर की सीमा से बचे रहेंगे । लगभग ९९.७५ प्रतिशत व्यक्तियों पर यह कर नहीं लगेगा । हमें इस कर को धीरे धीरे करके लगाना है ताकि जनता इसे मंजूर कर सके । मैं इस समय इतना ही कहना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रस्ताव सभा के सामने है ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य)** : इस विधेयक को लाने के उपलक्ष में मैं माननीय वित्त मंत्री को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने डा० कलडोर के सुझावों का पालन करने की चेष्टा की है। डा० कलडोर का सुझाव था कि आय-कर, पूंजी लाभ कर, वार्षिक धन कर, व्यक्तिगत व्यय कर तथा सामान्य उपहार कर—इन पांचों करों को संगठित रूप में चलाया जाये। इस से अपवंचन में कमी होगी। माननीय मंत्री ने उपहार कर क्यों न जाने क्यों छोड़ दिया। सम्पदा शुल्क विधेयक से ७ करोड़ की आय का अनुमान था पर केवल १ करोड़ की आय हुई।

मुझे भी वित्त मंत्री की भांति समाजवाद के प्रति बड़ा अनुराग है। वित्त मंत्री को चाहिये कि वे बड़े बड़े व्यापारियों (कलकत्ते-बम्बई के) से कम मिला करें और उन से स्पष्ट शब्दों में कह दें कि हमें अपनी आर्थिक नीति के सहारे असमानता को दूर करना है।

इन व्यापारियों द्वारा जो बातें धन-कर तथा व्यय कर के बारे में कही जाती हैं उन को दबाया जाय। वित्त मंत्री प्रत्यक्ष करों द्वारा जनता को जितना चूस रहे हैं उस से दूना अप्रत्यक्ष करों द्वारा चूस रहे हैं। धनी जनता के सम्बन्ध में वे उदारता बरतते हैं और गरीब जनता के प्रति कड़ाई। न्यूनतम राशि जिस पर कर लगाया जा सकता है उसे कम कर देने के कारण गरीब जनता पर बोझा अधिक पड़ेगा और आयकर विभाग का काम भी बेकार में बहुत बढ़ जायेगा। व्यय-कर में बड़ी आय वालों को ही कुछ छूट दी गई है। इस व्यय-कर को १९५८ तक के लिये स्थगित करने की बात मुझे पसन्द नहीं है। इस एक वर्ष के बीच में बड़े बड़े धनी लोग अपने बचाव के साधन ढूंढ निकालेंगे। डा० कलडोर ने अपने प्रतिवेदन में कहा था कि व्यय-कर को तुरन्त ही लागू किया जाना चाहिये। फिर डा० कलडोर ने व्यय कर की दर जो निश्चित की थी उस से कम दर हमारे वित्त मंत्री ने रखी है। आज भारत की जो स्थिति है उस में व्यय को कम करने और बचत करने को प्रेरणा पैदा करने का प्रयत्न करना चाहिये। प्रवर समिति को चाहिये कि वह खण्ड ५ पर फिर से विचार कर के उस का संशोधन करे। उपखण्ड (च) को बदलने की विशेष आवश्यकता है क्योंकि उपहार कर हमारे यहां अभी नहीं है। डा० कलडोर का अनुमान था कि २०० से ३०० करोड़ रुपये तक का आयकर का अपवंचन होता है। पर गत वर्ष एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि लगभग १८० करोड़ का आय-कर बकाया है। सरकार को अब भी पता नहीं कि किस प्रकार आय-कर का अपवंचन किया जाता है। माननीय मंत्री ने लेखा-परीक्षकों को ठीक परामर्श दिया कि उन को अपनी ख्याति फिर से स्थापित करनी चाहिये। यह सच है कि वकीलों, लेखा-परीक्षकों, एकाउण्टेण्टों आदि की सहायता के बिना व्यापारी लोग आय-कर बचा नहीं सकते। अतः इन अपवंचन करने वालों तथा उस में सहायता करने वालों के लिये कठोर दण्ड की व्यवस्था होनी चाहिये। डा० कलडोर ने भी इसी बात पर जोर दिया है।

अब मैं आयकर विभाग के कर्मचारियों के साथ किये जाने वाले बर्ताव की बात को लेता हूं। मैं डा० कलडोर की राय से सहमत हूं कि इस विभाग के कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दिया जाय। वेतन बढ़ाने से उनकी कार्यकुशलता बढ़ेगी। मैं देखता हूं कि बड़े बड़े पदाधिकारियों के विरुद्ध की गई शिकायतों की जांच भी ठीक से नहीं कराई जाती। मैं कहना चाहता हूं कि हमें बड़े छोटे के भेद-भाव को छोड़ देना चाहिये। विभाग के बड़े पदाधिकारी जो चाहते हैं कर लेते हैं और करवा लेते हैं। छोटी श्रेणी के कर्मचारियों की कोई सुनवाई नहीं होती। मैं बड़े पदाधिकारियों के बारे में कुछ भी नहीं कहता पर छोटे कर्मचारियों के साथ भी अधिक अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिये।

मैं व्यय कर का स्वागत करता हूं पर मैं चाहता हूं कि इस के प्रशासन की व्यवस्था में परिवर्तन किया जाये। वित्त मंत्री ने सचिवालयीय उपाय के अपनाने की बात कही पर उस से ही काम नहीं

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

चलेगा । उन्हें आय-कर में भी आवश्यक परिवर्तन करना चाहिये । आय-कर लगाने तथा उसके संग्रह की व्यवस्था में भी परिवर्तन होना चाहिये । मैं निवेदन करता हूं कि इस विधेयक में कुछ परिवर्तन होना चाहिये तथा उद्देश्य की पूर्ति हो ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाडा) : श्रीमान्, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं क्योंकि व्यय पर कर लगाये बिना करारोपण की नीति अपूर्ण रह जाती है । अब तक तो हम ने निर्धनों पर ही कर लगाये हैं किन्तु यह कर बड़े बड़े धनवान लोगों पर ही लगेगा । यह बात अलग है कि इस से अधिक आय न हो किन्तु अमीरों को कर तो देना होगा । इस कारण यह कार्यवाही ठीक है ।

इस से धनवान लोगों को किसी प्रकार की हानि न होगी और न ही उन पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा । किन्तु हम ने एक नया क्षेत्र ढूंढ लिया है—हम अपने विकास कार्यों के लिये कुछ धन प्राप्त कर सकेंगे । कहा जा रहा है कि ऐसा कर किसी देश में नहीं लगाया है इसलिये कठिनाई होगी क्योंकि हमारी प्रशासनिक व्यवस्था भी दोषपूर्ण है । मैं समझता हूं कि यह विचार गलत हैं । यहां सभी लोग शान्ति तथा लोकतंत्रात्मक तरीके पर समाजवाद लाना चाहते हैं । इसी कारण सरकार ने भी मजबूर हो कर यह विधेयक रखा है । यदि इसे क्रियान्वित करते समय प्रशासनिक कठिनाइयां आये तो उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिये । काम शुरू करना ही ठीक है । यह ठीक है कि जब तक प्रशासनिक व्यवस्था को बदला नहीं जाता तब तक ऐसी कार्यवाही सफल नहीं होगी—इसलिये हमें इसी कारण से काम रोकना भी नहीं चाहिये । व्यवस्था ठीक करनी चाहिये ।

कुछ लोग कहते हैं कि इस प्रकार उन के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप किया गया है । यह बात गलत है । करदाता को सभी व्यय प्रकट करने होंगे—बहुत सी बातों पर छूट दी गई है । अपनी आय और विनियोजित सम्बन्धी व्यय ही बताने होंगे । बस केवल व्यय का भी हिसाब देना होगा—इसलिये यह बात गलत है कि व्यक्तिगत जीवन पर इस का कोई प्रभाव पड़ता है ।

मुझे इस बात पर प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री ने खण्ड ३ के पुनर्विलोकन पर सहमति दे दी है । कर आंकने का जो तरीका श्री काल्डोर ने बताया था वह ठीक प्रतीत होता है । उन्होंने कहा था कि व्यय प्रति वयस्क के आधार पर आंका जाये । १०,००० व्यय तक छूट दी जाये । माननीय वित्त मंत्री ने ३०,००० तक छूट दी है और उसे बढ़ा भी रहे हैं ।

यदि प्रवर समिति खण्ड ३ को ऐसे ही रखती है तो एक और कठिनाई होगी । जब ६०,००० आय से कम पर यह कर नहीं लगेगा—तब बहुत से ऐसे लोग बच जायेंगे जिन की आय ५९,००० है और व्यय थोड़ा करते हैं । इसलिये इस मामले में भी कर का अपवंचन हो सकता है ।

इस विधेयक से फजूलखर्ची बन्द होगी और बचत होगी—मैं इस का समर्थन करता हूं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (हिसार) : माननीय स्पीकर साहब, हाउस में दो दिन से जो वैल्थ टैक्स (धन कर) और एक्सपेंडीचर टैक्स (व्यय कर) बिल्स पर बहस चल रही है उस में बहुत से मेम्बर साहिबान ने फाइनेंस मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद पेश की है और बहुत सपोर्ट दी है । मुझे अफसोस है कि जो वजूहात दी गई हैं उन की बिना पर मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद नहीं दे सकता । मेरी राय में जब तक फाइव इअर प्लान मौजूद है, तब तक उस के लिये सरकार जो टैक्स लगाये वह सब जायज़ है और मेरी राय में जब तक हम फाइव इअर प्लान को पूरा न कर लें तब तक हम टैक्सों को इस तरह के खूबसूरत नाम न दें जैसे कि वैल्थ टैक्स या एक्सपेंडीचर

† मूल अंग्रेज़ी में

टैक्स । उस वक्त तक इन लुभावनी चीजों को हमारे सामने रखना गैर जरूरी है । अगर गवर्नमेंट इस से भी ज्यादा टैक्स लगाना चाहे तो जहां तक फाइव इअर प्लान का सवाल है मैं उस हद तक भी जाने को तैयार हूं । लेकिन वैल्थ टैक्स या एक्सपेंडीचर टैक्स, ये दो शक्लें मुझे स्वीकार नहीं हैं । अभी तक हिन्दुस्तान में गवर्नमेंट ने इनकम की कोई सीलिंग मुकर्रर नहीं की है और न वैल्थ की कोई सीलिंग मुकर्रर की है । जहां तक कांस्टीट्यूशन (संविधान) का सवाल उसमें भी आर्टिकिल १९ एफ० के मुताबिक यह फंडामेंटल राइट (मूलभूत अधिकार) है कि हर आदमी प्रापर्टी रख सकता है और वही उस का डिसपोजल भी कर सकता है । मेरी राय नाकिस में ये जो रेस्ट्रिक्शन डाले जा रहे हैं ये कांस्टीट्यूशन के भी बर्खिलाफ हैं और पबलिक पालिसी के भी बर्खिलाफ हैं । हमारे जैसे गरीब मुल्क में वैल्थ टैक्स के कोई मानी ही नहीं हैं । आप ने जो इंडीवीजुअल के लिये २ लाख और कुनबे के लिये तीन लाख की लिमिट रखी है मेरे खयाल में अमरीका जैसे देश में इतनी आमदनी और वैल्थ हर एक आदमी की होती होगी । गवर्नमेंट को यह नहीं समझना चाहिये कि इस मामले में जो लोग सपोर्ट दे रहे हैं वह जेनुइन हैं । मैं समझता हूं कि ९९ परसेंट आदमियों को यह टैक्स एफेक्ट नहीं करता । इसलिये जिन को यह वैल्थ टैक्स एफेक्ट नहीं करता उन की राय तो ग्रेट्यूशस है । उन को क्या किसी पर टैक्स लग जाये । और जो आपने ६० हजार की खर्चा टेक्स के लिये आमदनी रखी है यह भी बहुत आदमियों की नहीं होगी । इसलिये जिन को यह एफेक्ट नहीं करता वे यह राय खुशी से दे सकते हैं ।

इन दो टैक्सों की जरूरत गवर्नमेंट को इसलिये लाहक हुई कि पहले जो इनकम टैक्स के जरिये गवर्नमेंट ९३ परसेंट ले लिया करती थी उस में साढ़े सात करोड़ कम कर दिया है इस कमी को इन टैक्सों से पूरा करना चाहती है । बेहतर हो अगर फिलहाल गवर्नमेंट इन टैक्सों को न लाये और जो पुराने टैक्स थे उन्हीं को कायम रहने दे । आज जो टैक्स लगाया जा रहा है उस का नतीजा यह निकला है कि ऊपर वालों का टैक्स बढ़ गया है और कुछ स्लैब्स पर टैक्स कम हो गया है । सरकार ने इनकम टैक्स के लिये तीन हजार की लिमिट कर दी है । मैं चाहता हूं कि जहां तक फाइव इअर प्लान का सवाल है, हर एक आदमी जोकि दे सकता हो वह गवर्नमेंट को रुपया दे । इस में वैल्थ का सवाल नहीं होना चाहिये । यह तो पावरटी रिमोवल (गरीबी दूर करने का) सवाल है और पावरटी रिमोवल जरूर होना चाहिये । जिन आदमियों पर रुपया है और जो दे सकते हैं, जब तक उन पर टैक्स नहीं लगेगा तब तक हम अपने प्लान में कामयाब नहीं होंगे । अगर इस टैक्स का नाम फाइव इअर प्लान टैक्स रख दिया जाता तो देश में बहुत एनथ्यूजियाज्म (जोश) होता और लोग खुशी से टैक्स देते ।

मैं उन रीजन्स की हुज्जत में बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहता जोकि फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने इन बिलों को लाने के लिये दिये हैं । अगर वह पसन्द करते हैं कि इन को सोशल रिफार्म की शक्ल दी जाये तो ऐसा करना उन को मुबारक है । वह ऐसा कर लें । लेकिन मैं समझता हूं कि हर एक आदमी के प्राइवेट हिसाब में जाना और उस की हर प्राइवेट चीज़ को देखना हैरासमेंट के सिवा और कोई चीज़ नहीं है । ख़सूसन जब वैल्थ-टैक्स के सिलसिले में आप औरतों के ज़ेवरात की तफ़सील लेंगे, लोगों के इन्टर्नल मामलों में जायेंगे, उन का फ़ाइनेंशियल एक्सपीयर होगा (वित्तीय भेद खुलेंगे), तो उन में बड़ी डिस-सैटिसफ़ैक्शन (असंतोष) पैदा होगी । लोगों में वैसी ही डिस-सैटिस-फ़ैक्शन पैदा होगी, जैसीकि विलियम फ़र्स्ट के ज़माने में डूम्ज़डे बुक रखने से हुई थी । लोग कहते थे कि कैसी कमबख्त गवर्नमेंट आ गई है, जोकि हमारे घोड़ों, बैलों, डोमेस्टिक एनिमल्ज़ वगैरह की तफ़सील रख रही है । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट लोगों के वीयरिंग एपेरेल, डोमेस्टिक एनिमल्ज़ और दूसरी छोटी छोटी चीज़ों की तफ़सीलात रखने के झगड़े में न पड़े, क्योंकि इस से आम तौर पर पब्लिक में बड़ी डिस-सैटिसफ़ैक्शन होगी ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

अगर मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूं, तो सिर्फ एक वजह से और वह यह है कि हम को अपनी फ़ाइव इअर प्लैन के लिये रुपया चाहिये और उस रुपये को हासिल करना हमारा पहला फ़र्ज़ है। हम लोग अपने कन्ट्री को कमिटिड हैं कि हम उस को पावर्टी से निकालेंगे और उस का स्टैंडर्ड आफ़ लिविंग (जीवन स्तर) ऊंचा करेंगे। इस मकसद को हासिल करने का तरीका यह है कि हमारी फ़ाइव इअर प्लैन कामयाब हो और उस को कामयाब बनाने के लिये यह जरूरी है कि जिन लोगों के पास रुपया है और जो दे सकते हैं, वे रुपया दें। इस बात से मैं सोलह आने एग्री करता हूं। बाकी वजूहात की तफ़सील में नहीं जाना चाहता हूं। न मैं उन को रद्द करता हूं और न उन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। गवर्नमेंट से मेरी शिकायत एक दूसरी ही किस्म की है।

हम ने अपने कांस्टीच्यूशन में लिखा है कि हम एक ऐसा सिस्टम बनायेंगे, जिस में चन्द हाथों में कनसेनट्रेशन आफ़ वैल्थ नहीं होगी। हम ने लोगों से वायदा किया है कि हम उन को एम्पलायमेंट, से निकालेंगे, बैटर कन्डीशन्ज़ आफ़ वर्क और डिसेंट स्टैंडर्ड आफ़ लाइफ़ देंगे। जैसाकि मैं ने अभी कहा है, इस के लिये यह ज़रूरी है कि हमारी फ़ाइव इअर प्लैन कामयाब हो। इस बिल के लिये मेरे ख्याल में सब से बड़ी जस्टिफ़िकेशन यह है कि इस के ज़रिये हासिल किया हुआ रुपया ठीक ग़र्ज़ के लिये खर्च होगा—वह ठीक तरीके से खर्च होगा या नहीं, यह मझे मालूम नहीं है।

इस मौके का फ़ायदा उठा कर मैं जानाब का, दूसरे हाउस के चेयरमैन साहब का, प्राइम मिनिस्टर साहब का, दूसरे मिनिस्टर साहबान का और उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्हों ने अपनी सैलेरीज़ में टैन परसेंट कट किया है। मैं ने इस हाउस में तजवीज़ पेश की थी कि पन्द्रह परसेंट कट किया जाय, लेकिन मुझे खुशी है कि लोगों ने दस परसेंट कमी तो की है। मैं इतना वेन नहीं हूं कि मैं यह समझ लूं कि मेरी अपील पर लोगों ने ऐसा किया है, लेकिन वजह जो भी हो, यह दस परसेंट का कट कर के उन्हों ने एक निहायत अच्छा जैस्चर किया है और इस के लिये वे मुबारकबाद के मस्तहक हैं। जनाबे वाला, दूसरे हाउस के चेयरमैन साहब और मिनिस्टर साहबान ने जो मिसाल देश के सामने रखी है, मुझे उम्मीद है कि इस पार्लियामेंट के मेम्बरान और वे अफ़सरान, जिन की तनख्वाह एक हज़ार रुपये से ज्यादा है, उस को फ़ालो करेंगे। वह न तो वैल्थ टैक्स का और न एक्सपेंडीचर टैक्स का हिस्सा है—वह वालन्टेरी टैक्स है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सब से पहले तो मैं उस आर्ग्युमेंट से लड़ाई करना चाहता हूं, जोकि कल एक साहब ने पेश की थी। उन की राय यह थी कि नये टैक्सों के लिये नई मशीनरी कायम की जाय। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह ख्याल बिल्कुल ग़लत है। अब तक जो मशीनरी हमारे पास है, वह निहायत अजीब है। हमारे इनकम-टैक्स आफ़िसर हमारे पुलिस आफ़िसर हैं, हमारे सीक्रेट आफ़िसर हैं। उन के पास खबरें पहुंचती हैं और वही तहकीकात करते हैं, वही टैक्स लगाते हैं और जज भी वही हैं। एक ही शख्स जज, पुलिसमैन और विटनैस के फ़ंक्शन्ज़ (कृत्य) पर्फ़ार्म करता है।

इस सिलसिले में मुझे जो शिकायत है, वह दूसरी तरह की है। मैं ने पिछले से पहले साल, जबकि श्री देशमुख फाइनेंस मिनिस्टर थे, इस हाउस में शिकायत की थी कि हमारे देश में फ़सल तैयार खड़ी है, लेकिन उस को काटने वाला नहीं है। इस देश में बेशुमार ऐसे आदमी हैं, जिन पर टैक्स लग सकता है, लेकिन गवर्नमेंट ने न अब तक इस बारे में कोई सरवे किया है, वह न कोई टैक्स लगाना चाहती है और न वसूल करना चाहती है। मैं ने कहा था कि अगर गवर्नमेंट ठीक तरह से टैक्स वसूल करे तो टैक्स की आमदनी एक तिहाई बढ़ जायगी और मज़ीद टैक्सेशन की ज़रूरत न होगी। इस पर हमारे फ़ाइनेंस मिनिस्टर साहब सीखपा हो गये थे, बड़े नाराज़ हो गये थे, क्योंकि

उन का ख्याल था कि ३० करोड़ रुपये से ज्यादा इवेज़न नहीं होता, जबकि मेरा मत था कि इवेज़न बहुत ज्यादा होता है। खुद काल्डार की रिपोर्ट के मुताबिक २००, ३०० करोड़ का इवेज़न होता है—अब विभाग भी १७५ करोड़ का इवेज़न मानने लगा है—इवेज़न इस से ज्यादा होता है। मेरा अब भी मत है कि अगर गवर्नमेंट ठीक तरीके से इनकम-टैक्स वसूल करे और ट्रेन्ड, आनेस्ट और एफ़िशेंट आफ़िसर्ज़ हों, तो बिला शको शुबहा आमदनी बढ़ सकती है और ये तरह तरह के नये नये टैक्स लगाने की ज़रूरत न पड़ेगी, जिन से सात, दस या पन्द्रह करोड़ रुपये वसूल होंगे और जो दुनिया में कहीं भी जारी नहीं किये गये हैं। एक सरवे कलकत्ता में किया गया था। लोगों को नोटिस दिये गये, जिस का जवाब उन्हों ने दिया। लोग इनकम-टैक्स—पिछला इनकम-टैक्स—देने के लिये तैयार थे, लेकिन डिपार्टमेंट ने उस को वसूल न किया। पिछले दिनों हमारे सामने एक किताब आई थी, जिस में ये सब बातें वाज़ेह तौर पर दर्ज थीं। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास जैसे प्रासपरस टाउन्ज़ में बाज़ारों के कोनों पर जो दुकानदार बैठते हैं, उन की आमदनी टैक्सेबल से ज्यादा होती है, लेकिन आज तक किसी ने उन को नहीं पूछा कि तुम्हारे मुंह में कितने दांत हैं। अगर मौजूदा कानून से आप रुपया वसूल नहीं कर पा रहे, तो मैं यह कैसे उम्मीद करूं कि इन नये कानूनों से आप अपनी आमदनी बढ़ा सकेंगे और ये नये टैक्स वसूल कर सकेंगे। आप की मशीनरी एफ़िशेंट नहीं है। आप टैक्स लगाते जायें, लेकिन उन को वसूल न करें, तो फिर कन्ट्री में डिस-सैटिसफ़ैशन के अलावा और क्या हो सकता है? इस डिपार्टमेंट में किस तरह के आफ़िसर्ज़ हैं और डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, यह इस हाउस से छिपा नहीं है। पहले के बड़े ट्रेन्ड इन्सपैक्टर अब खत्म हो चुके हैं। इन्सपैक्टर साहबान की इन्स्टीच्यूशन ही खत्म हो चुकी हैं। बड़ी थोड़ी सर्विस वाले लड़के इनकम-टैक्स आफ़िसर और असिस्टेंट इनकम-टैक्स आफ़िसर लगा दिये जाते हैं। वे हिन्दी के हिसाब को समझ नहीं सकते हैं। वे टैक्स लगा देते हैं और वही ऊपर तक चलता है। मुझे एक आनेस्ट इनकम-टैक्स आफ़िसर के बारे में इल्म है कि जिन से यह उम्मीद की गई कि किसी साहब के लिये एक गाय सस्ते दामों पर दिला दें। वह ऐसा न कर सके। नतीजा यह हुआ कि उन का कैरेक्टर-रोल खराब कर दिया गया और उन की तरक्की रुक गई और वह अब तक रुकी पड़ी है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह अब तक अपनी गलती दुरुस्त नहीं कर सके?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं एक और अफ़सर का ज़िक्र करना चाहता हुं। वह जिस मकान में रहते थे, उस का एक हिस्सा मालिक-मकान के पास था और उस पर उन का काबू न था। वह हिस्सा ज्यादा खूबसूरत न था, उस में कोई फुलवाड़ी वगैरह न थी, वह प्लैज़ेन्ट टु लुक एट न था। हालांकि उस हिस्से पर इनकम आफ़ीसर साहब का काबू न था, लेकिन फिर भी डिपार्टमेंट के बड़े आफ़िसर बड़े नाराज़ हुए और उन्हों ने उन की लाग बुक पर लिख दिया कि यह आफ़िसर काबिल नहीं है, अपने एनवाइरेनमेंट को दुरुस्त नहीं रख सकता। वह नहीं जानते थे कि जिस शख्स ने ऐसा एनवाइरेनमेंट बनाया हुआ था, वह इनकम-टैक्स आफ़िसर की परवाह नहीं करता। वह आफ़िसर निहायत ईमानदार था। पब्लिक उस से बड़ी खुश थी, लेकिन इस के बावजूद उस को तंग किया गया।

जहां तक इनकम-टैक्स डिपार्टमेंट का सवाल है, वह बिल्कुल इनएफ़िशेंट, करप्ट और इन-एडिक्वेट है। उस के पास काम करने के लिये काफ़ी अफ़सर नहीं हैं। जब श्री देशमुख ने ३६०० से ४२०० की रकम रखी थी, तो इस की वजह यह थी कि उन के पास अच्छे आफ़िसर नहीं थे। मेरी समझ में नहीं आया कि इन दो सालों के अन्दर क्या इन अफ़सरों के अन्दर इतनी ज्यादा एफ़िशेंसी आ गई है कि ये इन टैक्सों का ठीक तरह से इतिज़ाम कर सकते हैं। मैं इस बात को नहीं मानता हूं। मुझे तो उस बुढ़िया की बात याद आती है जिस ने सुबुक्तगीन को कहा था कि तुम उस इलाके को छोड़ दो जिस का तुम इतिज़ाम नहीं कर सकते हो। तीन हजार की लिमिट को आप हाथ न

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

लगायें अगर इतिज़ाम नहीं कर सकते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि यह सारे का सारा मामला आप के काबू से बाहर है। जब तक सारे का सारा मामला ठीक नहीं होता तब तक मुझे भय है कि इनकम-टैक्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वह ठीक तरह से नहीं हो सकता है।

मैं अब एक निहायत ही जरूरी बात की तरफ आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं। सारे के सारे इनकम-टैक्स के ला के अन्दर जहां तक हिन्दु अनडिवाइडिड फैमिली का ताल्लुक है, उस को शुरू से ही निहायत अनफेयर, निहायत अनरीज़नेबल तरीके से पेश किया गया है। आप एक्सपेंडीचर बिल को ही देख लीजिये। इस के अन्दर क्या है। अभी हमारे एक दोस्त ने कहा है कि काल्डोर साहब भी कहते हैं कि इंडिविजुअल की आमदनी १०,००० रुपया की इजाज़त होनी चाहिये और ऐसे केसेज़ में जहां पर एक तो लड़का है और दो डिपेंडेंट हैं, तो उन को डिपेंडेंट की हैसियत से अलांउस होना चाहिये। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि हिन्दू अनडिवाइडिड फैमिली ऐसी भी है जिन के अन्दर तीस तीस मैम्बर होते हैं और यह चीज़ आप की रिपोर्ट में भी दर्ज है। पांच-पांच, दस-दस और पन्द्रह-पन्द्रह मैम्बर तो आम ही होते हैं। किसी भी हिन्दू फैमिली में कम से कम दो को-पार्सनर्स का होना तो लाजिमी ही है। लेकिन हम देखते हैं कि यह जो इनकम-टैक्स ला है इस सारे ला के अन्दर इडिविजुअल और हिन्दु अन-डिवाइडिड फैमिली को एक ही सतह पर रखा गया है जहां तक टैक्सेशन का सवाल है। फिर चाहे उस के अन्दर १० मैम्बर हों या दो मैम्बर हों। यह तो एक मानी हुई बात है और यूकलिड का कहना भी है कि 'दी होल इज़ ग्रेटर दैन दी पार्ट'। एक इंडिविजुअल और एक फैमिली को एक ही बेसिस पर आप कैसे रख सकते हैं। एक ही बेसिस पर ला कर उन पर टैक्स लगाना बिल्कुल नाजायज़ है। यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि यह सब क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। मैं जब से यह इनकम-टैक्स बना है, कोई ७०-८० सालों से, उस की थोड़ी सी हिस्ट्री अपने नये मैम्बरों की इनफार्मेशन के लिये यहां रखना चाहता हूं। यह एक जज़िया हिन्दू अनडिवाइडिड फैमिली पर लगता आ रहा है। अंग्रेज़ों ने जब इस टैक्स को हिन्दू अनडिवाइडिड फैमिली पर लगाया उस वक्त हिंदू अनडिवाइडिड फैमिलीस रिच होंती होंगी और मामूली दूसरे आदमी रिच नहीं होते थे। उन्हों ने इसको अपने एक और मतलब के लिए भी लगाया था। मैं इस हाउस के अन्दर सन् १९२७ में आया था और सन् १९२८ में यह झगड़ा शरू किया। हिन्दू अनडिवाइडिड फैमली और एक इंडिविजुअल को एक ही बैसिस पर रखना अनरीज़नेबल है। दुनिया के किसी और देश में इनको एक बेसिस पर नहीं रखा गया है। पहले सुपर-टैक्स (अधिकार) के लिए ७५,००० परिवार के लिये लिमिट रखी गई है और इंडिविजुअल के लिए ५०,००० की रखी गई थी। आज सुपर-टैक्स की लिमिट दोनों के लिए एक सी कर दी गई है। इसके आगे फाइनेंस मिनिस्टर ब्लैकेट साहब, शूस्टर साहब, लियाकत अली खां साहब तथा दूसरे वजीरों ने इसको तसलीम किया और कहा कि यह जो टैक्सेशन का सिलसिला है यह बहुत अनरीज़नेबल है। इस मामले को टैक्सेशन इन्क्वायरी कमिशन के सामने पेश किया जावे। वहां पर क्या कुछ हुआ इस सब चीज को मैं मिनिस्टर साहब की खिदमत में और इस हाउस में रख चका हूं और जरूरी हुआ तो मैं इसको फाइनेन्स बिल के वक्त भी पेश करूंगा और इस हाउस के सामने फिर रखूंगा। हमने बहुत झगड़ा किया। कुछ हुआ नहीं। उसके बाद जब हम झगड़ते चले गए तो एक नान-हिन्दू मिनिस्टर आए जिनका नाम सर जान मथाई था और उन्होंने इस पर गौर किया। उन्होंने कहा कि यह जायज नहीं है कि दोनों को एक ही सतह पर रखा जाए। अगर तीन हजार की लिमिट है और अगर ६ मैम्बर एक फैमिली में हैं और उनको अगर हम टैक्स करते हैं तो हम लेबरस को भी टैक्स करते हैं। अगर चार मैम्बर हैं तो आप यह न कहें कि हिन्दुस्तान में ३६०० की लिमिट रखी है या आपकी जो लिमिट है वह बहुत बड़ी है। मथाई साहब ने पहले साल लिमिट को ३,००० से ३,५०० कर दिया और अगले साल इसको दुगना कर दिया। यह एक कम्प्रोमाइज़

था, रिलीफ नहीं था। क्योंकि जिस घर के अन्दर दो या दो से ज्यादा कोपार्सनर होते हैं उनको उस सूरत में कोई रिलीफ नहीं था। इसके बाद यह मामला इनवैस्टीगेशन कमीशन के सामने पेश किया गया। वहां पर सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह दूसरे लोग थे। उन्होंने इसको देखा और देखने के बाद जो वजहात पेश कीं उनपर मैं जाना नहीं चाहता। इस चीज़ को मैं किसी और मौके पर अर्ज़ करूंगा। सारी चीज़ को देखकर उन्होंने एक पैलियेटिव ढूंढा। उन्होंने कहा कि जिस के अन्दर दो या दो से ज्यादा या तीन या तीन से ज्यादा कोपार्सनर्स हों उनकी टैक्सेबल लिमिट दुगनी या तिगनी कर दी जाए। इस तरह से जो रिलीफ मिला वह छोटी फैमिलीस को मिला। इसके बाद टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी बैठी। उसके सामने मैं गया। इस सारी चीज़ को मैंने उसके सामने नए सिरे से पेश किया। मैं इसमें नहीं जाना चाहता कि वहां पर क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। लेकिन एक बात मैं अवश्य अर्ज़ करना चाहता हूं और वह यह है कि मुझ से सवाल किया गया कि जो इनकम-टैक्स अनडिवाइडिड हिन्दू फैमिलीस से वसूल किया जाता है अगर वह वसूल नहीं किया गया तो जो गैप है उसको कैसे पूरा किया जाएगा। कहा गया कि अगर खजाना खाली रहे तो गवर्नमेंट किस तरह से चल सकती है। मैंने कहा कि मैं भी नहीं चाहता कि गवर्नमेंट का खजाना खाली हो। अगर गवर्नमेंट के पास रुपया नहीं होगा तो वह स्कूलों और अस्पतालों पर क्या खर्च करेगी और किस तरह से देश का भला होगा। मैंने आगे कहा कि खजाना पूरा करने के लिये आप हवा पर टैक्स लगायें, पानी पर टैक्स लगायें, लेकिन जो एक बेइंसाफी हो रही है उसको न होने दें। यह जो चीज़ है यह कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल १४ के खिलाफ है। एक इंडिविजुअल से आप उतना ही टैक्स वसूल करें जितना टैक्स वसूल करना आपके लिए जायज़ है और जायज़ नहीं है वह वसूल न करें। जिस वक्त लियाकत अली साहब यहां पर फाइनेंस मिनिस्टर थे, उस वक्त मैंने उनको हिसाब लगाकर बताया था कि जिस खानदान की आमदनी चार लाख होती है और चार मम्बर हैं और वह अनडिवाइडिड हिन्दू फैमिली है तो एक हजार रुपया महावार ही एक के हिस्से में आता है। अगर नान-हिन्दू फैमिली है और चार बेटे और बाप शामिल हैं और तजारत करते हैं तो उनकी आमदनी चार हजार के करीब आती है। मैंने इसके बारे में पिछली बार भी फैक्टस एंड फिगर्स दे कर बताया था।

आज इस बिल के अन्दर एलाउंस दिया गया है और डिपेंडेंट की तारीफ दी गई है। तारीफ पर मैं बाद में आऊंगा। हिन्दू फैमिली के जो डिपेंडेंट हैं उसके लिए एक प्राविजों रखा गया है जिसका सार यह है कि :

> "जहां अश्रितों पर व्यय किये गये धन को कर लगने वाले व्यय से घटाने की छूट होगी वहां हिन्दू अविभक्त परिवार में २,००० रुपये की सीमा रखी गयी है।"

औरों के लिए ५००० रखा गया है तो हिन्दू अनडिवाडिड फैमली के लिए २,००० ही रखा गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह किस लाजिक के आधार पर रखा गया है : यह चीज़ कांस्टी-ट्यूशन की दफा (धारा) १४ के खिलाफ जाती है। यह कौनसी चीज़ है जो आप हमारी आंखों के सामने करने जा रहे हैं। एक इंडिविजुअल के मुकाबले में एक फैमिली जिस में दस मैम्बर हो सकते है उसका एक्सपंडिचर जरूर अगर दस गुना नहीं तो कम से कम इतना ज्यादा कंसिड्रेबल जरूर होगा जिसका कोई ठिकाना नहीं। दोनों के लिए एक लिमिट भी रखना कहां का इंसाफ है। मैंने इस चीज़ को मनवाने के लिए अज़हद कोशिश की लेकिन मानी नहीं गई। लेकिन मैंने कभी भी इसका पीछा नहीं छोड़ा। मैंने यहां पार्लियामेंट में आकर प्रेजीडेंट साहब की खिदमत में एक अर्जी भेजी कांस्टीट्यूशन की एक खास दफा के तहत। लेकिन बिल हाउस में रखने की मुझे इजाजत नहीं दी गई। मैंने एक बिल भी भेजा था कि हिन्दू अनडिवाइडिड फैमिली का जिक्र इनकम-टैक्स ला में से हटा दिया जाए और मैंने चाहा था कि इसको किसी एग्जैक्टिव एक्शन के ज़रिये से न किया जाए बल्कि

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

इसका फैसला पार्लियामेंट में हो। इसकी भी इजाजत मुझे नहीं दी गई और मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट ने इसकी इजाजत मुझे नहीं दी। इसने प्रेज़िडेंट को परसवैलिटी का सवाल नहीं है। आज कंट्री नहीं चाहता कि कोई खराब बात की जाए और लोग नहीं चाहते कि उन्हें टैक्स अदा करने के लिए मजबूर किया जाए जो टैक्स अदा करने के मुस्तहिक नहीं हैं। लेकिन गवर्नमेंट इस गलती को न रियालाइज़ ही करती है और न ही इंसाफ करना चाहती है। यह जो लिमिट है इसको कम से कम तीन टाइम्स तो रखा जाए। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर सहिब ने तो इसको यक कलम खत्म ही कर दिया है। इसके अन्दर जो तमीज की गई है वह इतनी नावाजिब है जिसका कोई ठिकाना ही नहीं है। आप इस लिमिट को इस बिल से दुगना तो रखते। ऐसा न करके आपने इसको पौना ही कर दिया है। और उसके अन्दर जनाबवाला क्या रिआअत रक्खी है? एक इंडिविजुएल और एक अनडिवाइडेड हिन्दू फैमिली को जहां तक इनकमटैक्स के रेट का सवाल है, एक ही जगह रख दिया है। इस नक्ते नगाह से यह बिल इस किस्म का है कि या तो हाउस इस बिल को उठा कर फेंक दे या इस प्रोविजन को बिलकुल निकाल दे और इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं रहता। मैं उम्मीद करता हूं कि सैलेक्ट कमेटी इस चीज़ को बड़े गौर से देखेगी। मैं सैलेक्ट कमेटी के हर एक मैम्बर की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि वह इस पावइंट आफ व्यू को देखें जो मैं इस मौके पर पेश कर रहा हूं और इसके मुताबिक इसको दुरुस्त करें।

जनाबवाला मैं इस इनकम टैक्स ला की चूंकि मैं इन टैक्सों के हक में हूं, मैं उनकी दीगर बहुत सी बातों में नहीं जाना चाहता। जनाबवाला मुलाहिजा फरमायेंगे कि इन दो बिलों में और हमारे फाइनेंस ऐक्ट में प्रोसीजरल प्राविजंस एक से हैं और वह एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह या तो देश की जनता में ऐडमिनिस्ट्रेशन के लिए सैटिसफैक्शन हो सकता है या डिससैटिसफैशन हो सकता है। वह दिन वाकई मुबारिक दिन होगा जिस दन लोग खुद आ कर कहेंगे कि यह टैक्स हमारे जिम्मे है और हम खुशी से उसको सरकार के खजाने में दाखिल करने को तैयार हैं और सरकार हमसे वह टैक्स ले ले। भारत के स्वाधीन होने के बाद मैं समझता हूं बेशुमार आदमी हिन्दुस्तान में ऐसे मौजूद हैं जो यह नहीं चाहते की सरकार का एक पैसा भी जो उसको टैक्स की शक्ल में मिलना चाहिए वह उनके पास रह जाये और वह उसको खुशी खुशी देना चाहते हैं। उनकी शिकायत यही है कि ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ इनकमटैक्स ला हार्श और औप्रेसिव है। इस वैल्थ टैक्स के बारे में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब अपनी तकरीर में यह फरमाया कि मुझे नहीं मालूम कि कौन शख्स इसके खिलाफ हैं क्योंकि जिन लोगों पर यह टैक्स लगेगा वे लोग अपनी सीट्स पर से खड़े हो कर मुझे मुबारकबाद देते हैं और फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हर जगह जहां वे जाते हैं उनको यही सुनने में आता है कि यह वैल्थ टैक्स आपने बहुत अच्छा लगाया। इसके मुताल्लिक मेरी फाइनेंस मिनिस्टर साहब की खिदमत में गुजारिश यह है कि लोगों कि शिकायत यह है कि यह जो इनकमटैक्स ला बना हुआ है वह बिलकुल वन साइडेड है और पबलिक के हक में नहीं है। होना यह चाहिये कि इनकमटैक्स डिपार्टमेंट और उसके अफसरान हर एसेसी से उतना ही लें जितना वाजिब हो और एक पैसा ज्यादा न लें लेकिन हमारे देश में हालात ऐसे नहीं है और यहां पर उस इनकमटैक्स अफ़सर की तरक्की होती है जो ज्यादा टैक्स लगाता है। और इस तरह की इसमें चीज़े मौजूद हैं जिनसे यह वाज़ै हो जाता है कि यह जो इनकमटैक्स ऐक्ट बना हुआ है यह सारा का सारा वनसाइडेड और खास प्वाइंट आफ व्यू (दृष्टिकोण) से बनाया गया है। सन् १९५३ में यहां पर एक बिल आया था और में सेलेक्ट कमेटी का चैयरमैन था और हमने वहां पर बड़ी कोशिश की और इस पबलिक प्वाइंट आफ व्यू को रक्खा कि जितनी इसके अन्दर तरमीम हो सकती है की जाय। मैं श्री सी० डी० देशमुख का निहायत मशकूर हूं कि उन्होंने हमारे साथ कोआपरेट किया और उन्होंने कोशिश की वह चन्द एक मामले जिन

पर कि हम बहुत स्ट्रोंगली फील करते थे दुरुस्त हो जाये लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बावजूद उनके सारे कोआपरेशन के हम उसमें कामयाब नहीं होसके और हम वह तबदीली नहीं कर सके क्योंकि मिनिस्टरी वाले और बोर्ड आफ रेवेन्यू वाले कहीं ज्यादा मजबूत हैं और वह शायद अपने नुक्तेनिगाह से उसे दुरुस्त ही समझते हों और ऐसा मानते हों कि जो शख्स देश की आमदनी को बढ़ाता हो उसे हमें बुरा नहीं कहना चाहिये भले ही वह हार्श ही जाय। दर असल में इस ला का ऐडमिनिस्ट्रेशन इस तरह से होना चाहिये कि हर एक आदमी खुशी से टैक्स दे और यह महसूस न करे कि मेरे साथ ज्यादती हुई है।

सब से पहले मैं चन्द एक खामियां जो हमारे प्रोसीजरल मामले में हैं, उन की तरफ़ हाउस का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जहां तक इंसपेक्टिंग असिस्टेंट कमिश्नर का सवाल है, ज़ाहिर है कि यह अफ़सर बड़ा भारी ओहदेदार है लेकिन यह अफ़सर इनकम टैक्स अफ़सर को एसेसी की बैक पर सलाह देता है। असेसी उस के सामने नहीं आता और सिर्फ़ कागज़ात देख कर इनकमटैक्स अफ़सर को उस की बाबत सलाह दे देता है, असेसी की बैक पर सलाह दे देता है कि उस पर इतना टैक्स लगा दो। मैं ने इस के मुताल्लिक़ पहले भी अर्ज़ किया था और आज भी कहना चाहता हूं कि अगर इंसपैक्टिंग असिस्टेंट कमिश्नर असेसी को बुला कर और सारे मामले को सुन कर बाद में इनकमटैक्स अफ़सर को सलाह दे तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। बग़ैर असेसी को सुने हुए असेसी की बैक पर इनकमटैक्स अफ़सर को चुपचाप कोई बात कह दे, मैं उस के सख्त खिलाफ़ हूं। यह जो इंसपेक्टिंग असिस्टेंट कमिश्नर है, उस का ओहदा इस लिहाज़ से निहायत डेंजरस है यह घोस्ट अफ़सर है और बग़ैर असेसी को अपने सामने बुलाये और उस को सुने, इनकमटैक्स अफ़सर को उस की बाबत सलाह दे देता है। इस से लोगों को सख्त नुक़सान पहुंचता है और लोग सख्त नालां हैं। मैं चाहता हूं कि इस अफ़सर के यह अधिकार छीन लिये जायें या फिर कुछ और किया जाय। क्योंकि इस किस्म की चीज़ असेसी को बहुत दुःख देने वाली है। मैं अदब से अर्ज़ करूंगा कि इस को जितनी जल्दी हो सके दूर किया जाना चाहिये। आखिर जो लोग टैक्स देते हैं वह कम से कम इतना तो ज़रूर चाहते हैं कि जो अफ़सर उन के ऊपर टैक्स लगायें वह उन की कुछ तो सुन लें, वह उन की कहानी तो सुन लें और फिर बाद में मरज़ी के मुताबिक टैक्स भले ही लगा लें।

दूसरा बड़ा अफ़सर जो हमारे सामने आता है वह असिस्टेंट एपैलेट कमिश्नर है। और उस की बाबत हमारे एक दोस्त ने ठीक ही फ़रमाया था कि वह जूडिशल अफ़सर है। जनाब को मुझे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि हम ने अपने कांस्टीट्यूशन में सेप्रेशन आफ़ एग्ज़ीक्यूटिव और जुडिशरी के वास्ते एक खास आर्टिकल रक्खा हुआ है। यह अफ़सर ऐसा है जो इनकमटैक्स डिपार्टमेंट की प्रेस्टिज और रेपुटेशन को क़ायम रखने वाला है। आम तौर पर बड़ा अफ़सर जो मुक़र्रर होता है वह इंडिपेंडेंट व्यू लेता है लेकिन उस के अन्दर एक स्नैग मौजूद है जोकि मेरी समझ में नहीं रहना चाहिये। उस अफ़सर का प्रमोशन और ट्रांसफ़र वग़ैरह सब चीज़ें बोर्ड के अखत्यार में हैं। हम ने श्री देशमुख के ज़माने में कोशिश की थी कि इस को हाईकोर्ट के मातहत कर दिया जाय और इस को बिलकुल इंडिपेंडेंट रक्खा जाय। यह सही मानों में बिलकुल एक जुडिशल अफ़सर है और अगर इस को हाईकोर्ट के मातहत कर दिया जाय तो लोगों को बेहद फ़ायदा पहुंचे और एक साइकालिजकल सैटिसफ़ैक्शन लोगों को हो जायगा कि हमारा मामला गवर्नमेंट का जो एक कलेक्टिंग अफ़सर है उस के आगे वह जुडिशल अफ़सर के सामने जायगा जोकि बिलकुल इंडिपेंडेंट जुडिशल अफ़सर होगा। लेकिन दफ़ा १२ में यह लिखा हुआ है कि :

> इस अधिनियम को क्रियान्वित करने वाले सारे पदाधिकारी बोर्ड के आदेशों का अनुसरण करेंगे यदि वह आदेश व्यय कर अपीलीय सहायक आयुक्त के स्वविवेक में बाधा नहीं डालते।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

यही अल्फ़ाज़ वैल्थ टैक्स में थे और यही अल्फ़ाज हमारे इनकमटैक्स ला में हैं। मेरी अदब से गुज़ारिश है कि सेलेक्ट कमेटी इस चीज़ को दुरुस्त कर ले और इस को बोर्ड के मातहत न रख कर इस का प्रमोशन, ट्रान्सफ़र वगैरह सब कुछ हाईकोर्ट के मातहत कर दे तो वह बड़ा इंडिपेंडेंट जुडिशल अफ़सर होगा और ऐसा होने से लोगों की एक बहुत साइकालिजिकल सैटिसफ़ैक्शन होगा। अब जबकि इनकम टैक्स का दायरा वसीय होता जाता है, वैल्थ टैक्स, एक्सपेंडीचर टैक्स, और न जाने क्या क्या टैक्स आयेंगे, यह निहायत जरूरी है कि जो बेसिक शख्स है, जिस के हाथ में फ़ैसला देना है, उस को बोर्ड आफ रेवेन्यू से इंडिपेंडेंट बनाया जाय। यह बोर्ड आफ़ रेवेन्यू से ओवररिडेन नहीं है। अपेलेट असिस्टेंट कमिश्न को इंडेपेडेंस देना निहायत वाजिब होगा और इस से जनता को भी सैटिस्फैक्शन होगा। इस को सीधे हाई कोर्ट के नीचे रखना चाहिये।

इस के बाद मैं आप की तवज्जह अगली प्राविजन की तरफ दिलाना चाहता हूं। जहां पर सवाल आता है किसी असेसी का कि उस को क्या हक है, मैं अर्ज करता हूं कि असेसी का एक इंडिफी-सिवलराइट है और वह यह है कि जिस इनकम टैक्स आफिसर या किसी आफिसर के पास वह जाय तो उस की बहस सुनी जाय। यह नहीं कि उस को सुनने से इनकार कर दिया जाय। शायद जनाब यह खयाल फरमाते होंगे कि मैं एक एलिमेंटरी बात की तरफ तवज्जह दिला रहा हूं, लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस प्वाइंट पर यह दर्ज है कि अफसर एविडेंस को देखेगा, यह भी दर्ज है कि अगर वह टैक्स एन्हैन्स करता है तो उस को सुना कर करे। लेकिन यह प्राविजन नहीं है कि उस की एविडेंस के बाद उस की बहस को भी सुन लेगा। मैं जनाब की तवज्जह दफा १६ की तरफ दिलाना चाहता हूं जिस के अन्दर यह लिखा है कि उस की एविडेंस को सुने, लेकिन यह नहीं लिखा कि एविडेंस सुनने के बाद उस की बहस को सुन ले। वैल्थ टैक्स की दफा १६(५) एक्सपेंडिचर टैक्स की करेस्पांडिंग दफा है। उस में भी लिखा है कि **ट दि बेस्ट अ.फ हिज जजमेंट** फैसला करे, लेकिन यह दर्ज नहीं है कि उसे सुने। आखिर वह कैसे फैसला करेगा? अगर कोई शख्स कुसूर करता ही है और उस को हिअर नहीं किया जाता तो फैसला कैसे कर सकता है? दफ़ा १६ में तो यह कहा है कि उसे सुने भी नहीं, उस के बर्खिलाफ जो चीजें हैं, उन्हें जाहिर भी न करे। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की दफा ३४२ के मातहत यह नहीं होता। हाई कोर्ट मौका देता है। मान लीजिये कि इनकम टैक्स आफिसर के दिमाग में है कि यह चीज़ किसी शख्स के बर्खिलाफ है तो उस का फर्ज है कि वह उस को बतलाये कि तुम्हारे बर्खिलाफ यह यह चीजें हैं। लेकिन इस के लिये कोई प्राविजन नहीं है। अगर मेरी बात को सुने बगैर कोई मुझ पर दस रुपया टैक्स भी लगा दे तो मैं उसे नहीं भूलूंगा। मैं चाहता हूं कि सेलेक्ट कमेटी इस को दुरुस्त करे और जो प्राविजन मौजूद नहीं है, उस को पूरा करे।

आगे चल कर दफा १६ में क्या सूरत है? सारे हिन्दुस्तान में, और दो एक मुल्कों को छोड़ कर सारी दुनिया में ला आफ लिमिटेशन जारी है। हमारे यहां पुराने जमाने में कोई शख्स भी अपने कर्जे को जरूर देता था चाहे फिर वह उस के बाप दादे का ही क्यों न हो। लेकिन जब से ला आफ लिमिटेशन लगाया गया है तब से अगर कोई लाइबिलिटी हो, उस के खिलाफ लिमिटेशन हो जाता है। इनसान की आज जो भी जिन्दगी है, वह सारी की सारी लिमिटेड है और उस के हालात में तब्दीली होती रहती है। इस लिमिटेशन ऐक्ट को थोड़ा ही अर्सा हुआ है कि यह तरमीम की गई थी। जहां तक हमारे इनकम टैक्स की वसूलयाबी का सवाल है आप उस की तरफ देखिये। वह एक बिल्कुल वन साइडेड ला है और ठीक नहीं है। आप को चाहिये था कि ऐसी तरमीम लाते जिस से वह भी ठीक होता। उस में लिखा है :

> "वह खण्ड (क) के अधीन मामलों में किसी समय तथा खण्ड (ख) के अधीन मामलों में ६ वर्ष में किस भी समय. . . .।"

मेरी नाकिस राय में ए के वास्ते ६ साल और बी के वास्ते तीन इअर्स होना चाहिये था। मैं सेलेक्ट कमेटी से अर्ज़ करूंगा कि इस लाइफ़ की लिमिटेशन्स को देखते हुए ऐसी तरमीम करे कि यह ला बिल्कुल ठीक हो जाय। बिटवीन मैन टु मैन आज लिमिटेशन कानून हर मामले में लागू हैं। यह वाजिब नहीं है कि इन्कम टैक्स की वसूली के लिये मियाद का कानून लागू न हो।

आज मुझे लगता है कि आप का वैल्थ और एक्सपेंडीचर टैक्स कहीं बिखर न जाय। आज अगर हमारे मुल्क में ऐसे एसेसीज की तादाद सिर्फ ३६,००० है तो दूसरे मुल्कों में ३६०,००० होगी। यहां कौन वेल्दी आदमी है। देश में सही मानों में १००० आदमी से ज्यादा मालदार आदमी नहीं मिलेंगे। इस ३६००० में से बहुत से गरीब हैं, वह रिअली वेल्दी नहीं हैं, जब तक उन के पास रुपया है, वह अमीर हैं, आज सट्टा खेल डाला फिर कुल्लांच बन जाते हैं। सरकार जो रुपया उन को पकड़ने में खर्च करेगी क्या वह भी उन से मिल सकेगा। अभी हमारे मुकर्जी साहब ने बताया कि १८० करोड़ रुपया बकाया पड़ा हुआ है, आखिर सरकार ने कितने लोगों को जेलों में डाला है। कानून में कहीं पर कमी है जिस की वजह से इवेज़न होता है जो इस कानून में है। मैं बहुत दफा कह चुका हूं कि जो लोग गलत इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं, छिपा कर करते हैं, या झूठे इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं, सरकार उन से पूछती नहीं है, और अगर पूछती है तो उन पर वह क्या पेनैलिटी लगाती है। इंडियन पेनल कोड की १९३ धारा मौजूद है जिस में है कि अगर कोई शख्स झूठा रिटर्न देता है तो उस को कैद में भेजा जाय। उन पर सिर्फ कैद का असर होता है, दूसरी किसी चीज का असर नहीं होता। इन बड़े आदमियों में से दस बीस को कैद में भेज दीजिये, गलत रिटर्न आने बन्द हो जायें। लेकिन होता क्या है कि उस पर बढ़ा कर पैनेलिटी लगा दी जाती है, ड्योढ़ी पेनैलिटी लगा दी, उस का असर किस पर होगा ? ड्योढ़ी पेनैलिटी वसूल किस से होगी ? मैं कहना चाहता हूं कि इनकम टैक्स ला जैसा है, उस पर अमल नहीं किया गया। इस में भी कोई प्राविजन इस बात का नहीं है कि अगर कोई झूठा रिटर्न दे तो उस को कैद कर दिया जाय। इस तरह की कार्रवाई जालसाजी में शामिल होती है। लोग दो दो हिसाब रखते हैं। लेकिन उस के मुकाबले सरकार ने क्या किया ? क्या उस ने किसी आदमी को कैद किया ? मैं चाहूँगा कि आनरेबल फाइनेन्स मिनिस्टर साहब जवाब दें तो फिगर्स दें कि इस चीज के लिए कितने आदमियों को पेनली प्रोसिक्यूट किया गया। हमारी सरकार बिजिनेस नहीं चाहती, वह चाहती है कि पैसा आप ही वसूल होता रहे वरना क्या उस के काम करने का यह तरीका होता ? इस लिए मैं अर्ज करुंगा कि यह प्राविजन होना चाहिये कि अगर इन दि फर्स्ट इन्स्टेंस साबित हो जाय कि फलां शख्स ने गलत रिटर्न दिया है तो उस जुर्म करने वाले को जरूर कैद की सजा दी जाय, जुर्माना न किया जाय।

मैं जनाब की तवज्जह एक चीज की तरफ और दिलाना चाहता हूं। दफा २० जो हिन्दू ज्वाएंट फैमिली के मुताल्लिक है उस में बहुत डिस्क्रिमिनेशन है। मैं अर्ज करूंगा कि सेलेक्ट कमेटी उस डिस्क्रिमिनेशन को दूर कर दे। डेट आफ पार्टिशन के मुताल्लिक डिस्क्रिमिनेशन है जोकि वाजिब नहीं है। मुझे इस का बहुत अफसोस है कि मुझे वक्त नहीं मिला नहीं तो बहुत सी नई बातें उस बिल के बारे में अर्ज करता।

इस के बाद मैं एक दफा पर और आता हूं। दफा २३ के अन्दर अपील में अपेलेट कोर्ट्स एविडेंस को सुनेंगे लेकिन बहस सुनने की पाबन्दी नहीं है। उस में जो दफा है उस में लिखा है कि वह उसे जरूर सुनेंगे, लेकिन तब जबकि टैक्स एन्हैन्स करना होगा। ओरिजिनल टैक्स के लिये कोई प्राविजन नहीं है कि असेसी को सुना जायगा। यह गलत है। चौथे दफा २४ में लिखा है :

"अपीलीय न्यायाधिकरण दोनों पक्षों को सुन कर ऐसे आदेश देगी।"

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

मैं चाहता हूं कि यह जो आपार्चुनिटी है इनकम टैक्स आफिसर के बारे में यही फर्स्ट कोर्ट के बारे में भी होनी चाहिये । ऐसा नहीं होगा तो इनकम टैक्स आफिसर को अख्तियार है कि उस की बात को सुने या न सुने ।

अब मैं आप की तवज्जह दफा २५ की तरफ दिलाना चाहता हूं । यह दफा कमिश्नर साहब की पावर्स के बारे में है । लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है कि कमिश्नर साहब को यह अख्तियार तो दिया गया है कि अगर वह देखे कि सरकार को नुकसान हो रहा है तो असेसमेंट को रिवाइज़ कर दें, लेकिन इस में यह अख्तियार नहीं दिया गया है कि अगर कोई शख्स जोकि एग्रीव्ड हो उस की दरखास्त पर कमिश्नर साहब रिवाइज़ कर सकें या अगर वह खुद देखें कि किसी पर ज्यादा असेसमेंट हो गया है तो उस को कम कर दें । यह अख्तियार भी होना चाहिये ।

मैं हाईकोर्ट के रेफेरेंस के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता ।

अब मैं आप की तवज्जह दफा ३१ की तरफ दिलाना चाहता हूं । इस में अख्तियार दिया गया है कि अगर इनकम टैक्स अफिसर चाहे तो डिफाल्ट न समझें । इस में दिया गया है कि यदि किसी करदाता ने धारा २३ के अधीन अपील की है तो धन कर पदाधिकारी स्वविवेक से उस असैसी को छोड़ सकता है अर्थात् ऐसी अवधि तक दोषी समझे जब तक कि अपील का निर्णय न हो ।

जनाब वाला, यह ऐसा मामला है कि जैसे किसी शख्स पर डिग्री हो जाये, आर्डर पास हो जाय । अपीलेट कोर्ट को अख्तियार है कि डिग्री को बन्द कर दे, या सीक्यूरिटी ले ले या और किसी तरह बन्द कर दे । इस में इनकम टैक्स आफिसर को यह अक्ख्तियार दिया गया है जोकि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है । मैं चाहता हूं कि बड़ी अपीलेट कोर्ट के लिये भी यह अख्तियार होना चाहिये । मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि उसूल तो यह होना चाहिये कि जब तक किसी की अपील फैसल न हो जाये तब तक उस की जायदाद को नीलाम न किया जाये क्योंकि हो सकता है कि अपील में फैसला कायम न रहे । लेकिन इस का एक और भी पहलू है कि अपील फैसल होने में बहुत देर लगे और इस अर्से में असेसी अपनी जायदाद को ट्रांसफर कर दें । इसलिये कम से कम हायर कोर्ट्स को यह अख्तियार होना चाहिये और फर्स्ट कोर्ट को भी यह अख्तियार रहे तो मुझे ऐतराज नहीं है । अगर असेसी चाहे तो ऊपर से आर्डर ले आये और स्टे करवा ले । मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि यह चीज़ इस बिल में आनी चाहिये ।

इसके आगे इसमें सैक्शन ३५ है जो कि रेक्टीफिकेशन आफ मिस्टेक्स के बारे में है । इस रेक्टीफिकेशन के लिए चार साल की मियाद दी गयी है । मैं चाहता हूं कि इसमें गवर्नमेंट के लिए ो साल की और असेसी के लिए चार साल की मियाद रखी जानी चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो इस काम के लिए एक मुहकमा है जो कि हर एक चीज़ के पीछे पड़ा रहता है और अगर वह मिस्टेक करता है तो उसको ठीक करने के लिए दो साल की मियाद काफी होनी चाहिए । लेकिन एक प्राइवेट आदमी तो कुछ नहीं जानता न उसको सारे कायदे मालूम होते हैं । उसके लिए चार साल की मियाद रखनी चाहिए । अब मैं आपकी तवज्जह दफा ३३ की तरफ दिलाना चाहता हूं । इसमें जो प्रावीजन है वह इनकमटैक्स इनवेस्टीगेशन की लिगेसी है । मैं ने उस वक्त भी यह ऐतराज किया था कि इस तरह की लाइबिलिटी असेसी पर न डाली जाये । यह तो इनकमटैक्स आफिसर का फर्ज है । लेकिन उस वक्त तो वह चीज़ पास हो गयी । अब अगर इस बिल में से इस चीज़ को हटा दिया जाये तो बहुत अच्छा हो । लेकिन मुझे इसका हटाया जाना मुश्किल नजर आता है ।

अब मैं जनाब की तवज्जह दफा ३४ की तरफ दिलाना चाहता हूं । इस में लिखा हुआ है कि जब किसी कार्यवाही के बारे में किसी व्यय कर प्राधिकारी का क्षेत्राधिकार न रहे तो उसका उत्तराधिकारी पदाधिकारी उसी अवस्था से कार्यवाही आरम्भ कर सकता है जहां पहली ने उसे छोड़ा था । मुझे इस पर सख्त ऐतराज है । यह इनकम टैक्स का मामला सैमी क्रिमिनल सा मामला है । इसमें फाइन लिया जाता है ।

†**श्री अ० सिं० सरहदी** : मेरा औचित्य प्रश्न है । क्या खण्डों पर चर्चा करना इस समय ठीक है जब कि विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जायेगा ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह बातें इस कारण से कही जा रही हैं ताकि समिति इन पर विचार कर सके ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं चाहता हूं कि इसमें सिलेक्ट कमेटी असेसी को यह अख्तियार दे कि अगर वह चाहे तो डी नोवो प्रोसीडिंग्स शुरू करा सकता है । हो सकता है कि जो चीज़ पहले इनकमटैक्स आफिसर के सामने आई है और जिस की वजह से उस का इम्प्रेशन अच्छा हो गया हो वह चीज़ दूसरे आफिसर को जब वह उस के रूबरू पेश नहीं होगी अपील न करे । मैं नहीं चाहता कि प्रोसीडिंग लम्बा हो लेकिन अगर यह अख्तियार असेसी को नहीं दिया जायेगा तो जिस शख्स पर टैक्स लगता है उस के हुकूक खत्म हो जायेंगे । इसलिये मैं चाहूंगा कि असेसी को अख्तियार हो कि अगर वह चाहे तो प्रोसीडिंग्स को डी नोवो शुरू करवा सके ।

अब मैं जनाब की तवज्जह दफा ३६ की तरफ दिलाना चाहता हूं जोकि सरविस के मुताल्लिक है । सिविल प्रोसीज्योर कोड में यह कायदा है कि परसन पर सरविस होनी चाहिये । लेकिन इस में लिखा है :

"एक नोटिस आदि इस अधिनियम के अधीन डाक से भी दिया जा सकता है ।"

जनाब को मालूम है कि समन्स के लिये यह पहला उसूल है कि सरविस परसनल होनी चाहिये । अगर वह फेल हो जाये तो दूसरी तरह की सरविसस होती है । यहां पर पोस्ट का प्रावीजन है । यह मुनासिब चीज़ नहीं है । यह टैक्स का मामला है । इस में तो सरविस के बारे में और भी ज्यादा तवज्जह होनी चाहिये । मैं चाहूंगा कि सिलेक्ट कमेटी इस तरफ भी तवज्जह दे । इन मामलों में ये छोटी छोटी प्रोसीज्योर की बातें बहुत अहम होती हैं । इन की तरफ कम तवज्जह देना या तवज्जह न देना जायज नहीं है । इनकम-टैक्स प्रेक्टीशनर्ज़ के बारे में मैं कुछ अर्ज़ नहीं करना चाहता हूं । इस बारे में फ़ाइनेंस मिनिस्टर ने जो कुछ फ़रमाया है, मैं उस से मुत्तिफ़िक हूं । उन का एपरोच बिल्कुल सही है कि क्वालिफ़िकेशन्ज मुकर्रर कर दी जायेंगी और उन के मुताबिक जो काबिल साबित होंगे, वे रख लिए जायेंगे । दफ़ा ४ में दिया गया है कि करआने वाले व्यय में ऐसा व्यय भी शामिल होगा जो कि चाहे असेसी के अतिरिक्त उस के कार्य के लिये किसी दूसरे व्यक्ति ने किया हो---अर्थात जिसे यदि वह व्यक्ति न करता तो उसे करदाता खुद करता । मैं इस बारे में क्लैरिफ़िकेशन सीक करना चाहता हूं । फ़ाइनेंस मिनिस्टर साहब वराय मेहरबानी यह बतायें कि यहां इनडायरेक्टली से उन की क्या मुराद है । अगर किसी की शादी में कोई रिश्तेदार मामा वगैरह---दस हज़ार रुपए का भात ला दे, तो क्या वह भी उस शख्स के जिम्मे समझा जायेगा ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : इसी बात से हम बचना चाहते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : यदि कोई मामा विवाह के समय १०,००० का उपहार दे क्या वह व्यय होगा ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : यदि वह विवाह के लिये दिया जाये तो हां ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : यह तो बड़ी खतरनाक बात है—मामा अपना कर्तव्य पालन करता है आप उस पर कर लगाते हैं इस 'अप्रत्यक्ष' शब्द को निकाल देना चाहिये ।

खण्ड ५ (१) (क) में से "पूर्णतया" शब्द हटा दिये जायें । जब उपखण्डड (२) में "युक्ति-युक्त व्यय" लिखा गया है तो उपखण्ड (१) में 'पूर्णतया' शब्द की कोई जरुरत नहीं है ।

'आश्रित' शब्द की परिभाषा में शायद वयस्क लड़के लड़कियां भी आते हैं चाहे उनकी संख्या कितनी भी हो । किन्तु माननीय मंत्री के भाषण से ऐसा लगता है कि एक या दो लड़के या लड़कियां ही आश्रित हो सकते हैं । भारत में तो मां बाप भी लड़कों पर आश्रित होते हैं—उन्होंने सरकार का क्या बिगाड़ा है ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : लड़का अपने ऊपर ५,००० रुपये कम खर्च करके उसे मां बाप को दे सकता है ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : यदि किसी के दो लड़के और एक लड़की हो तो उन पर २५,००० रुपये व्यय करने के बाद क्या रह जाता है । भारत के लिये अलग नियम होने चाहियें । यहां पति के लिये कोई व्यवस्था ही नहीं की गई है । माननीय मंत्री ने भाषण करते समय कहा था कि व्यक्ति में पति भी सम्मिलित है : वास्तव में पति का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये । माननीय वित्त मंत्री जवाब देने में बड़े सिद्धहस्त हैं और यही कह देते हैं कि प्रवर समिति इस बात पर विचार करेगी । प्रवर समिति वही करेगी जिसे वह चाहेंगे । मैं उन्हें इन बातों के लिये राजी करना चाहता हुं ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं इस बात पर राजी हूं और व्यय कर विधेयक भी में भी आय कर विधेयक की धारा ३३क के समान एक धारा रखूंगा । मैं उन का सुझाव मानता हूं । उन्होंने कहा कि करदाता के पक्ष में पुनरीक्षण होना चाहिये—मैं इसे स्वीकार करने के लिये तैयार हूं ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मुझे खेद है कि माननीय मंत्री ने मेरे आरम्भ के भाषण को नहीं सुना । खैर मंत्री जी बड़े सफल व्यक्ति हैं । जब वह उद्योग मंत्री थे सभी लोग प्रसन्न थे—अब भी सभी प्रसन्न हैं—इस के बाद उन्हें पुनर्वास मंत्री बनाया जाये ताकि विस्थापित व्यक्ति भी प्रसन्न रहें ।

श्री रा० क० वर्मा (निमाड) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने आधा भाषण हिन्दी में दिया है और अब आधा अंग्रेज़ी में दे रहे हैं । दोनों ही भाषण अधूरे रह गये हैं, जिसका परिणाम यह है कि न हिन्दी जानने वाले पूरे भाषण को समझ सके हैं और न इंगलिश जानने वाले ही ।

उपाध्यक्ष महोदय : जब दोनों भाषाओं में बोलने की इजाज़त है, तो क्या किया जाये ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जनाब, इस में कम से कम यह तो मेरिट है कि आधा भाषण हिन्दी वाले समझ जायेंगे और आधा अंग्रेज़ी वाले ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

जहां तक इस टैक्स का सवाल है, इस को तो हटाया जा सकता नहीं है। यह तो लगेगा ही। जिससे हमारी फ़ाइव यीयर प्लैन के पूरा होने में मदद मिलती है, वह चीज़ चाहे अच्छी हो, चाहे बुरी, वह ठीक है और हम उसको सपोर्ट करेंगे।

मुझे अफ़सोस है कि मैंने ज्यादा वक्त ले लिया है, लेकिन चूंकि किसी दोस्त ने प्रोसीजरल मैटर्ज़ पर बहस नहीं की थी, इसी लिए मैं ने उन के बारे में ज़रा तफ़सील के साथ अर्ज़ करने की कोशिश की है। मैं समझता हूं कि प्रोसीजर भी उतना ही ज़रूरी है, जितना कि टैक्स, बल्कि वह ज्यादा ज़रूरी है। मुनासिब यही है—और ज़रूरी भी है—कि लोग टैक्स दें, लेकिन साथ ही साथ यह भी महसूस करें कि यह टैक्स ठीक है। मैं यह समझूं कि जो टैक्स लगाने वाला है, वह मेरा दुशमन नहीं है, वह मेरा दोस्त है। मेरे दोस्त जरूरत से ज्यादा टैक्स नहीं लगायेंगे। इसके साथ ही साथ मैं आशा करता हूं कि वे प्रोसीजर को भी दुरुस्त करेंगे। मैं आशा करता हूं कि जो सिलैक्ट कमेटी है वह इन सब बातों पर गौर करेगी और वहां से एक ऐसा उमदा बिल मर्ज हो कर निकलेगा जोकि एक माडल होगा और प्रवर समिति इनकम-टैक्स एक्ट की सारी प्राविज़ंस का जिन का मैंने जिक्र किया है तबदीली करने का सुझाव देगी।

† **उपाध्यक्ष महोदय :** मुझे सभा को यह बताना है कि कल रेलवे संरक्षण बल विधेयक पर मत विभाजन के बाद कुछ सदस्यों ने शिकायत की कि उनके पुश बटनों ने ठीक तरह से काम नहीं किया। सभा विसर्जित होने के बाद इस व्यवस्था की परीक्षा की गई, तो देखा गया कि ये बिल्कुल ठीक हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ सदस्यों ने बटनों और स्विचों को एक साथ नहीं दबाया। शायद वे बराबर में लगे पेच को ही दबाते रहे।

पंडित ब्रज नारायण "ब्रजेश" (शिवपुरी): उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सम्मुख जो बिल इस समय प्रस्तुत है उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज हम को योजना को सफल बनाने के लिए पैसे की आवश्यकता है और बिना कर लगाये पैसा एकत्र नहीं किया जा सकता है। अस्तु, धन एकत्र करने के लिए यह जो बिल सामने आया है इसका मैं स्वागत करता हूं। मैं समझता हूं कि इस देश में साम्य लाने के लिए, समता लाने के लिए तथा आज जो असन्तोष पैदा हो गया है और जो भेद आज पूंजीपतियों और गरीबों के बीच में उत्पन्न हो गया है, उस भेद को दूर करने के लिए, और लोगों में धन कमा कर अधिक से अधिक बड़ा बनने की जो भावना उत्पन्न हो गई है, उस भावना को परिवर्तित करने के लिए और उनके अन्दर यह भावना जगाने के लिए कि वे जो धन कमाते हैं केवल अपने लिए ही नहीं कमाते हैं बल्कि देश के लिए भी कमाते हैं, राज्य के लिए भी कमाते हैं। यह जो कर लगाने की बात कही गई है, सराहनीय है और ऐसा करना आवश्यक भी था। मैं समझता हूं कि इस देश में राज्य को सम्पन्न बनाने के लिये और विषमताओं को दूर करने के लिए सम्पन्न लोगों के पास जो सम्पत्ति है और जिस को वे कमा कर और बचा कर रखना चाहते हैं और यह समझते हैं कि सम्भवतः हम सदैव जीवित बने रहेंगे और हमारे कमाने के साधन भी न रहें तो भी यह जो हम ने कमा लिया है इसी को हम खाते रहेंगे, उनके हृदय में से यह भावना उड़ जाये और उन्हें यह पता लग जाये कि हम जो कमा रहे हैं वह हमारे ही काम आने वाला नहीं है बल्कि देश के काम भी आने वाला है, उस दृष्टि से भी यह बिल स्वागत योग्य है। इससे उनके कमाने के तरीकों में भी अन्तर आ जायेगा और वे जो कमायेंगे वह न्याय-पूर्वक कमायेंगे। बात केवल इतनी है कि हमको सावधानी से यह सब कार्य करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि लोग इसमें से बच निकलने के साधन न ढूंढ लें। पैसा तो वे कमा रहे हैं लेकिन जब देने का समय आये तो कहीं ऐसा न हो कि कानून में से ही लूपहोल निकाल कर वे टैक्स

---

†मूल अंग्रेजी में।

[पंडित ब्रज नारायण 'ब्रजेश']

देने से बच जाए और सरकार को एक प्रकार से धोखा दे दें और बाल बाल बच निकल जायें। इसके दो परिणाम होंगे, एक तो सरकार को पैसा नहीं मिल पायेगा और दूसरे बेईमानी अधिक बढ़ जाएगी। आप जितने भी टैक्स लगाते हैं उनके पीछे सेंस अवश्य होती है। एक्सपेंडिचर टैक्स के पीछे, इनकम टैक्स के पीछे, वैल्थ टैक्स के पीछे कुछ न कुछ सेंस अवश्य है। इन सब का अर्थ यह है कि राज्यकोष में पैसा आए क्योंकि राज्य को पैसे की आवश्यकता है। राज्य का कहना है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत अधिक कमाते हैं और उनके बहुत अधिक कमाने के कारण कुछ ऐसे लोग हैं जो कमा नहीं पाते हैं। हम उन लोगों में जो कम कमाते हैं अधिक कमाने की शक्ति पैदा करना चाहते हैं और जो बहुत अधिक कमाते हैं उनकी शक्ति को कम करके दूसरों को देना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में शक्ति को बांटना चाहते हैं। ठीक इसी तरह से यह एक्सपेंडिचर टैक्स है। क्या कारण है कि कुछ लोग तो ६०,००० से ऊपर तक रुपया खर्च कर देते हैं और दूसरी ओर कुछ ऐसे हैं जो १,००० भी खर्च नहीं करते हैं। वे एक हज़ार खर्च इस लिए नहीं करते कि वे करना नहीं चाहते हैं बल्कि इस लिए नहीं करते कि उनके पास खर्च करने को नहीं है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई ६०,००० या इसे भी ऊपर खर्च करता जाए और उसको देखने वाला ही कोई न हो। यह आवाज़ उठती है :

जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित है अति सुख से

मानव जग में बट जावे सुख दुःख से, दुःख सुख से।

जो सुखी है उसका दुख के साथ बटवारा हो, जो दुखी है उसका सुख के साथ बटवारा हो, जो ऊंचे हैं उनको थोड़ा नीचे लाया जाए और जो नीचे हैं उनको थोड़ा ऊपर उठाया जाए, ऐसा करने से देश में कुछ हद तक बराबरी आ जाएगी और जो लड़ाई झगड़े हैं वे समाप्त हो जाएंगे। जब ऐसा होगा तो लोगों में संग्रह कर के रखने की भावना भी लुप्त हो जाएगी। वे कहेंगे कि जो उनकी आवश्यकतायें हैं उनकी पूर्ति हो जाती है, अतः संग्रह करके रखने की आवश्यकता नहीं है।

अयं निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम्

उदार चरितानान्तु वसुधैव कुटुम्बकम्।

यह जो हिन्दुस्तान का नारा था वह फिर उठ कर खड़ा हो जाएगा। तो मैं समझता हूं कि जो टैक्स सरकार लगाने जा रही है यह अत्यन्त आवश्यक और उपयोगी है। इसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं जो कि सम्पत्ति इस समय कुछ हाथों में केन्द्रित है इससे विकेन्द्रीकरण में सहायता मिलेगी। गांधीजी का भी यही कहना था कि केन्द्रीकरण नहीं अपितु विकेन्द्रीकरण की ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए। एक स्थान पर किसी चीज़ के केन्द्रित हो जाने से खराबियां उत्पन्न होती हैं। आज एटम बम बन गए हैं और ये कुछ एक देशों के पास ही हैं। पता नहीं कब तूफान खड़ा हो जाएगा। १० करोड़ २० करोड़ उन्होंने इकट्ठा करके अपने पास रखा हुआ है। न जाने कब किस के ऊपर इनको पटक दिया जाएगा और किस का दिवाला निकाल दिया जाएगा। हमें अणुओं को अलग अलग करना होगा, इनको जगह जगह बिखेरना होगा, तभी हमारा काम चलेगा। इस दृष्टि से जो एक्सपेंडिचर टैक्स बिल आया है, उसके द्वारा बड़े आदमियों से सम्पत्ति लेकर, पैसा लेकर जनता में वितरित करने की राज्य की भावना है, उस भावना को मैं अपना सहयोग प्रदान करता हूं और मैं उसके प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट

करता हूं । मैं चाहता हूं कि दूसरी जगहों पर जहां भी पैसा दिखाई पड़ता हो, उसको इकट्ठा किया जाए ।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जहां हम बड़ों से पैसा लेने चले हैं वहां हमें छोटों को रगड़ने की बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि जिस को लेने की आदत पड़ जाती है वह यह नहीं देखता कि यह बड़ा है या छोटा और वह समझता है कि बड़ों से भी लेना है और छोटों से भी लेना है । बड़ों से लेने में कोई हानि नहीं है । इस देश में गरीबों का बहुमत है । यह देश एक दरिद्र देश है और दरिद्रता को दूर करने के लिए यदि बड़ों से ही पैसा वसूल किया जाएगा और छोटों को राज्य की सहानुभूति मिलेगी, तो इसके जो परिणाम होंगे वे अच्छे ही होंगे । एक तो राज्य सम्पन्न होगा, शक्तिशाली होगा, इसको बढ़ने तथा पनपने का अवसर मिलेगा और दूसरे बड़े लोगों में भी यह विश्वास उत्पन्न हो जाएगा कि वे अपने हृदय में गरीबों की सहानुभूति प्राप्त किए बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं और वे ऐसा करने का प्रयत्न भी करेंगे । इसके साथ ही साथ गरीबों की सहानुभूति भी राज्य को मिलेगी क्योंकि उनके अन्दर यह भावना उत्पन्न होगी कि राज्य बड़ों से पैसा लेकर उनके मध्य बांट रहा है । इस तरह से अमीरों के साथ साथ गरीबों की सहानुभूति भी राज्य को प्राप्त हो जाएगी । इस प्रकार से जो उत्तरदायित्व राज्य पर हैं उनको भी वह अच्छी तरह से पूरा कर सकेगा । इस भावना के साथ इस हाउस को इस बिल का समर्थन करना चाहिए । आज देश में हम देख रहे हैं कि लोगों से टैक्सों के रूप में भारी रक़में वसूल की जाती हैं और इतना ही नहीं बल्कि देखने में यह आ रहा है कि बड़े लोगों से पैसा लेने वाले भी बड़े होते जा रहे हैं । हमारे देखने में आता है कि पूंजीपतियों से इनकमटैक्स लेने वाले आदमी भी छोटे आदमी नहीं रह जाते हैं वे भी उन पूंजीपतियों के छोटे भाई बन जाते हैं । देश के पूंजीपतियों से जिनके जिम्मे पैसा लेना हो वह पूंजीपति न बनें, यह कैसे हो सकता है । इसका पता तो उस समय लगता है जब उनके यहा लड़कियों की शादियां होती हैं । लड़के के पक्ष वाले यह कहते सुने जाते हैं कि लड़की का बाप तो इनकमटैक्स अफ़सर है, क्या वह लड़की को दहेज़ में १५ हज़ार रुपये भी नहीं देगा । ऐसा कैसे हो सकता है, इतना तो उसको देना ही पड़ेगा आख़िर को इनकमटैक्स अफ़सर है । इसलिए हमारी सरकार को इस विषय में विशेष सतर्कता बरतनी होगी कि कहीं यह इनकमटैक्स अफ़सर टैक्स इकट्ठा करने के काम में अपनी जेबों में तो पैसा नहीं डाल रहे हैं क्योंकि चाहे उन्हें गंगा में डुबोइये या यमुना में डुबकी दिलाइये या सदैव गंगाजली उनके हाथ में रक्खे रहिये, वे इस तरह की गड़बड़ी करते रहेंगे । मैं चाहूंगा कि हमारी सरकार इस काम को करने के लिए ऐसे अफ़सर छांट कर रक्खे जो बिल्कुल पवित्र और ईमानदार हों और जो पबलिक से टैक्स का पैसा वसूल करते समय एक पाई की भी गड़बड़ी न करें और अपनी अनुचित कमाई न करें । मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर आपने ऐसे सुयोग्य और ईमानदार आदमियों के हाथ में यह काम सौंपा तो सरकार को काफी पैसा टैक्सों के रूप में सुलभ हो सकेगा और साथ ही अगर जनता को यह विश्वास हो जाय कि उनके पास से जो पैसा सरकार टैक्स के रूप में वसूल कर रही है उसका वास्तव में सदुपयोग होगा और वह जनहित कार्यों पर खर्च होगा तो देश का कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो अपना उचित टैक्स देने से इन्कार करे । उस देश में जहां लोगों ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया, और हज़ारों लोग फांसी के तख़्तों पर खुशी खुशी झूल गये, क्या आज उस देश के लोग अगर उनको विश्वास हो जाय कि उन से लिया गया पैसा वास्तव में सही तौर पर खर्च किया जायगा, वे कागज़ के टुकड़े देने से इंकार कर जायेंगे ? मैं ऐसा मानने को तैयार नहीं हूं । आज भी लोग देश हित के लिए अपना सर्वस्व देने को तैयार हो जायेंगे लेकिन शर्त यह है कि उनको यह विश्वास हो जाय कि उनसे जो पैसा टैक्सों की शक्ल में लिया जायगा वह बेकार खर्च नहीं होगा और उसका सही

[श्री ब्रज नारायण 'ब्रजेश']

इस्तेमाल होगा और वह रुपया देश के विकास और उसकी उन्नति के लिए तैयार की गई योजनाओं पर उचित रूप से लगाया जायेगा ।

अन्त में मैं और अधिक न कह कर यह जो बिल यहां आया है, उसका समर्थन करता हूं और जैसा कि आरम्भ में मैंने कहा था कि इस विषय पर कोई बहुत लम्बी चौड़ी स्पीच देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह निश्चित रूप से उपयोगी है और निर्विवाद है । बस इतना कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री टांटिया (सोकर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वेल्थ टैक्स और एक्सपेंडीचर टैक्स इन दोनों ही टैक्सों को स्पोर्ट करता हूं क्योंकि आज देश के सामने द्वितीय पंचवर्षीय योजना मौजूद है और उसको सफल बनाने के लिए जो अतिरिक्त धनराशि नये टैक्सों के रूप में सरकार जनता से वसूल करना चाहती है, वह उचित दिशा में एक कदम है और इस नाते मैं उनका समर्थन करता हूं । हमें अपनी योजना में निहित लक्ष्यों को पूरा करना है और उनको पूरा करने के लिए हमें अतिरिक्त धनराशि जुटानी पड़ेगी और यह ऐसा कार्य है जिसमें समस्त देशवासियों को अपना पार्ट अदा करना चाहिए ।

जहां तक वैल्थ टैक्स का सवाल है मैं चाहूंगा कि इसमें हम और आगे बढ़ें और बजाय २ लाख रुपये के ऊपर वैल्थ टैक्स लगाने के उसको ५० हज़ार रुपये पर लगायें क्योंकि जब हिन्दुस्तान में एक औसत आदमी के पास २ हज़ार रुपया भी नहीं आता है तब मैं समझता हूं कि एक सोशलिस्टिक पैट्रन आफ़ सोसाइटी में एक आदमी जिसके पास ५० हज़ार रुपये की सम्पत्ति हो उसको कोई हक़ नहीं है कि वह अपना भाग अदा न करे और वह इस टैक्स से बच जाये ।

इसी तरीक़े से एक्सपेंडीचर टैक्स की बाबत मुझे यह कहना है कि बजाय ३० हज़ार की लिमिट रखने के ७ से १० हज़ार तक की लिमिट कर दो जाये । जब ३ सौ रुपये प्रति आदमी की औसत आमदनी यहां हिन्दुस्तान में है, तो जो आदमी ५ हज़ार या ७ हज़ार रुपया खर्च करते हैं उनको भी तो इस देश के निर्माण और विकास कार्य में अपना थोड़ा बहुत योग देना चाहिए । हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि हमारा देश एक गरीब देश है और अंडरडेवेलप्ड कंट्री है और जब हम ने इनकमटैक्स की रेट घटा कर ३,००० रुपये कर दी है तो वेल्थ टैक्स २ लाख रुपये पर लेना कहां तक उचित होगा ? मेरा तो सुझाव यह है कि २ लाख की जगह उसको घटा कर ५० हज़ार कर दिया जाये ताकि ज्यादा से ज्यादा आदमी अपना योग दें और वे यह महसूस करें कि वे भी भारत की उन्नति और उसके निर्माण कार्य में अपना पार्ट अदा कर रहे हैं । इसलिए सेलेक्ट कमेटी की सेवा में मेरा नम्र निवेदन है कि इस स्लैब को कम करके ५० हज़ार रुपये कर दिया जाय और एक्सपेंडीचर टैक्स भी ३० हज़ार से घटा कर ७ से १० हज़ार के बीच में कर दिया जाये ।

दूसरों को उपदेश देना बहुत आसान है मगर स्वयं अमल करना हमेशा कठिन हुआ करता है । और इस सम्बन्ध में मुझे अपने वहां की वह भाट वाली कहावत याद आ जाती है जो यह कहता था कि मैं हाथी के हौदे पर नहीं चढ़ूंगा क्योंकि हमारे वहां हाथी के हौदा होता ही नहीं तो उस हालत में उसके ऐसा कहने की कीमत ही क्या है या सोने के थाल में मैं नहीं जीमूंगा । मैं तो चाहता हूं कि देश के हर देशवासी को कुछ न कुछ त्याग करना चाहिए और अपना योग देना चाहिए और मैं चाहता हूं कि हमारे लोगों में यह भावना फैले कि हर आदमी यह कहे कि मैं इसमें अपना योग देना चाहता हूं । जो लोग ८ हज़ार या १० हज़ार रुपया खर्च करते हैं, वे आगे बढ़ कर यह कहें

कि हम इस ऐक्सपेंडीचर टैक्स में कुछ हिस्सा देना चाहते हैं चाहे वह १०० रुपये हो या २०० रुपये हो। आज ज़रूरत इस बात की है कि हमारे देश के हर वर्ग के आदमी में ऐसा त्याग का भाव आना चाहिए और छोटे बड़े सब को अपना उचित योग देश को उन्नति पथ पर अग्रसर करने के लिए देना चाहिए। बस और अधिक न कह कर इन शब्दों के साथ मैं अपनी स्पीच को खत्म करता हूं।

†**श्री सूपकार** (सम्बलपुर) : श्रीमान् इस प्रकार व्यय पर कर की व्यवस्था करने वाला यह विधेयक भारत में ही पहली बार लाया जा रहा है। इससे फ़ज़ूलखर्ची केगी और बचत ज्यादा होगी। हमारे वित्त मंत्री ने इस कर को प्रोफेसर काल्डोर के सुझाव पर स्वीकार किया है। इससे भी पहले अमेरिका में ऐसे करारोपण का विचार किया गया था—प्रोफेसर जान एफ० ड्यू अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि इस प्रकार का कर लगाने के सुझाव अमेरिका में १९२१ में दिये गये थे। किन्तु इन पर कांग्रेस ने कभी भी गंभीरता से विचार नहीं किया।

विधेयक के पृष्ठ २१ को देखने से ज्ञात होता है कि कुल करदाता ४,५०० होंगे और हिन्दू अविभक्त परिवार १,५०० के लगभग होंगे जिन पर यह कर लगेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय वित्त मंत्री अब ६०,००० रुपये आय की शर्त भी छोड़ना चाहते हैं। उससे न जाने कितने लोगों पर यह कर लगेगा। व्यय कर में यदि न्यूनतम आय की सीमा न रखी जाये तो बड़ी विचित्र स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। हिन्दू परिवारों में व्यय का हिसाब पूरा पूरा नहीं रखा जाता—इसलिये हम यह नहीं कह सकते कि इस कर से सरकार को कितनी आय होगी और योजना को कितना फायदा होगा।

जब यह कर वसूल होना आरम्भ होगा तब योजना के दो वर्ष व्यतीत हो जायेंगे। इसके अतिरिक्त लोगों को व्यय का हिसाब रखने की आदत नहीं है—इसलिये बहुत सी कठिनाइयां मार्ग में आयेंगी। प्रोफैसर काल्डोर, के अनुसार इस कर के लगाने से अपवंचन समाप्त हो जायेगा। किन्तु जो बातें परिशिष्ट में दी गई हैं उनसे मेरे विचार में अपवंचन समाप्त नहीं हो सकता।

विधेयक के खण्ड ५ तथा ६ में कतिपय व्यय पर कर से छूट दी गयी है। प्रोफैसर काल्डोर ने अन्त्येष्टि क्रिया, पैदायश, इलाज तथा दुर्घटनाओं के कारण होने वाले व्यय पर छूट देने का सुझाव दिया है क्योंकि ये व्यय मजबूरी में करने पड़ते हैं—मैं समझता हूं कि प्रवर समिति इन सब बातों पर विचार करेगी।

अनुसूची के बारे में मेरा यह सुझाव है कि एक सीमा के बाद व्यय कर की समान दर रखने के बजाये कुछ दर्जे बना लिये जायें। यह तरीका अधिक न्याय्य होगा। प्रवर समिति इस सुझाव पर भी विचार करे।

श्री राम शंकर लाल (डुमरियागंज) : श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के उद्देश्य को सपोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारा देश पंचवर्षीय योजना को अपनाये हुए है और इस योजना को कामयाब बनाने के लिए कैपीटल फार्मेशन जरूरी है और इसके लिए यह टैक्स लगाना जरूरी है।

इसके अलावा जो इस बिल के पक्ष में है वह यह है कि इस बिल के जरिये से हम अपने टैक्सेशन की नींव को डाल रहे हैं। आपको याद होगा कि अभी थोड़े दिन हुए कि हमने यह तै किया था कि हम एक सोशलिस्ट पैटर्न पर चलना चाहते हैं और सोशलिस्ट पैटर्न में यह जरूरी बात

† मूल अंग्रेजी में।

[श्री राम शंकर लाल]

होती है कि लोगों की आमदनी में जो डाइवरजेंस है उसको जहां तक हो सके टैक्सेशन के ज़रिये कम किया जाये। यह एक मेजर है जिसके ज़रिये से हम लोगों की आमदनी में जो डिस्पेरिटी हैं उसको घटा सकते हैं जिससे लोगों की आमदनी में बहुत ज्यादा अन्तर न रहे।

इस बिल के ज़रिये से यह कोशिश की गयी है कि लोग ज्यादा खर्च न करें और अगर वह जरूरत से ज्यादा खर्च करते हैं तो उस पर टैक्स लगाकर आमदनी की जा सके जिससे हम अपने मुल्क को बनाने में और अपने काम को पूरा करने में कामयाब हो सकें।

इस टैक्स के सिलसिले में यह कहा गया है कि इसमें से फ्यूनरल और मैरिज वगैरह के खर्चों को निकाल दिया जाना चाहिए। लेकिन मेरे खयाल से अगर ऐसा कर दिया जायेगा तो इसमें फिर कुछ रह ही नहीं जायेगा। जो खर्चे कि निकाल देने चाहिए उनके लिए तो इसमें पहले से ही प्रावीज़न मौजूद है। हम जो फ्यूनरल्स में और शादियों में फिजूलखर्ची करते हैं उसको तो कम करना ही चाहिए और इस बिल के ज़रिये से यह कोशिश की गयी है कि इन कामों में लोग कम खर्च करें। अगर इन खर्चों में हम लोगों को मनमानी करने की छूट दे देंगे तो नतीजा यह होगा कि जो डिस्पेरिटी (असमानता) हम मिटाना चाहते हैं वह नहीं मिट सकेगी। इसलिए यह जरूरी है कि इन चीजों को इसमें शामिल न किया जाये। इन खर्चों को एग्जेम्पशन (विमुक्ति) की लिस्ट में न रखा जाये। यह बिल तो अभी सिलेक्ट कमेटी को जायेगा और अगर इसमें कोई कमी होगी तो उसको वहां ठीक कर दिया जायेगा।

एक बात इस के बारे में यह कही गयी है कि इस बिल का वर्किंग ऐसा होना चाहिए कि जिससे लोगों को तकलीफ न हो और वसूली के मैथड्स ऐसे होने चाहिए कि टैक्स आसानी से वसूल हो सके। इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं और मैं समझता हूं कि सिलेक्ट कमेटी ऐसी तजवीज़ करेगी कि जिससे टैक्स देने वालों को दिक्कत न हो और यह भी ध्यान रखेगी कि टैक्स इवेजन (अपवंचन) भी न हो सके जिसकी कि मुल्क में बहुत शिकायत है।

इन थोड़े शब्दों के साथ मैं इस बिल के प्रिंसिपल की मुआफिकत करता हूं और उसे सपोर्ट करता हूं और आनरेबल फाइनेन्स मिनिस्टर साहब को इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि इसके ज़रिये से उन्होंने हमारी आमदनी में समानता लाने का प्रयत्न किया है जिससे हम सोशलिस्ट पैटर्न ला सकें। यह सोशलिस्ट पैटर्न लाने के लिए नींव का काम करेगा। यह बिल राइट लाइन्स पर लाया गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि हर राइट माइंडेड आदमी इसको सपोर्ट करेगा।

† **डा० कृष्णस्वामी** (चिंगलपट) : इस विधेयक में प्रक्रिया सम्बन्धी बहुत सी कठिनाइयां हैं जिन्हें मैं सभा के सामने रखना चाहता हूं।

माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि यह कर नया है इसी कारण इसका विरोध न किया जाये। उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में भी कहा गया है कि इससे फजूलखर्ची रुकेगी। यह विधेयक बहुत कम लोगों पर लागू होगा और हो सकता है कि अब भी बहुत बचत करते हों। किन्तु हमें फिर भी इस विधेयक से बचत होने की आशा करनी चाहिये।

धन कर से बचत कम होती जायेगी किन्तु व्यय कर से बचत होगी—इन्हें क्रियान्वित करने में बड़ी प्रशासनिक कठिनाइयां आयेंगी। अध्याय ४ में लिखा है कि यह करदाता की जिम्मेदारी होगी कि वह व्यय का ब्यौरा प्रकट करें। इससे बड़ी हैरानी व परेशानी होगी।

---

† मूल अंग्रेजी में।

खण्ड १३ के अनुसार पिछले वर्ष के हिसाब का विवरण देना पड़ेगा—यदि कर पदाधिकारी सन्तुष्ट न हो तो उसे ऐसा साक्ष्य देना पड़ेगा जिससे वह अपनी बात को प्रमाणित कर सके। पदाधिकारी हर बात पूछ सकता है—इससे व्यक्ति की गरिमा को धक्का पहुंचता है—यह एक प्रकार का हस्तक्षेप ही तो है—यह अनुचित बात है। प्रोफैसर काल्डोर ने इस कर के इकट्ठा करने के लिये दूसरे ही सुझाव दिये थे। उनके अनुसार विमुक्त व्यय के ब्यौरे की आवश्यकता नहीं थी। एक व्यक्ति साल के आरम्भ में अपनी आस्तियां बताये तथा समाप्ति पर भी बताये और आय भी बताये और दोनों का जो अन्तर हो उसे व्यय समझा जाये। किन्तु यह बात नहीं मानी जा सकी—इसलिये ज्यादा ध्यान की जरूरत है।

प्रोफैसर काल्डोर का कहना है कि आय कर से कई एक प्रकार की आय छूट जाती हैं जैसे कि पूंजीगत लाभादि—किन्तु अभी हमारे देश में स्थिति उस प्रकार की नहीं है इसलिये वह बात यहां लागू नहीं होती।

अब बचते बटने की जो दलील है वह कुछ हद तक तो ठीक प्रतीत होती है—किन्तु लोग बचाते इसीलिये हैं कि वे बाद में खर्च कर सकें। कभी न कभी तो उन पर भी यह कर लगेगा। यह बात भी सन्देह जनक है कि इस कर से एक व्यक्ति बचत करने की प्रेरणा लेगा जब कि उसे आय कर आदि भी देने होंगे।

इस प्रकार के सामाजिक हालात में यह बड़ा कठिन है कि हम निश्चित कर सकें कि कितना व्यय होना चाहिये और उसकी कितनी सीमा निर्धारित की जाये। आप इन हालात में कानून से यह परिभाषा नहीं कर सकते कि कौन कौन से सदस्य परिवार का अंग माने जायेंगे। इस प्रकार की परिभाषा में बहुत से खतरे हैं—यहां तो सारा सामाजिक जीवन ही पारिवारिक बन्धनों से बंधा हुआ है। अभी तो यह कर ६,००० लोगों पर ही लगेगा किन्तु बाद में ज्यादा लोग इस जाल में फंसेंगे। इस कारण यह देखना होगा कि क्या आश्रितों पर किये जाने वाले व्यय से भी एक व्यक्ति कठिनाई में पड़ेगा या प्रत्येक मामला अपने गुणदोष के आधार पर तै किया जायेगा।

हमें यह देखना है कि कर प्रणाली में सुधार के साथ साथ हम कैसे सामाजिक प्रणाली की रक्षा करें। मैं चाहता हूं कि प्रवर समिति इस बात पर अच्छी तरह विचार करे।

पारिवारिक व्यय की अनुमति दिये बिना और इस बात को देखते हुए कि आयकर कानून से पारिवारिक जिम्मेदारियों का हिसाब नहीं लगता व्यय कर लगाने से और भी कठिनाइयां पैदा होंगी।

जितनी ज्यादा दरें होती हैं उतना ही लोग ज्यादा अपवंचन करना चाहते हैं। इस लिये अधिकर आदि की जो बड़ी बड़ी दरें हैं उन्हें कम कर दिया जाये—तो शायद अपवंचन भी कम हो। इसके बाद व्यापार के लिये खर्च किये गये धन तथा घर पर खर्च किये गये धन को अलग अलग करने में भी बड़ी कठिनाई होगी। अधिकारीगण लोगों से वाद-विवाद करेंगे और झगड़े होंगे।

श्रीमान्, मैं चाहता हूं कि प्रवर समिति इस बात पर ज्यादा ध्यान दे और यदि कुछ बातों को ठीक किया जा सकता हो तो ठीक किया जाये—यदि कठिनाइयां कम हो जायें तो बड़ा अच्छा है। लगता तो ऐसा है कि इससे फायदा कम और मुश्किल ज्यादा होगी।

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता पूर्व) : मैं संक्षिप्त रूप में विधेयक के कुछ पहलुओं के बारे में कहूंगा जिन पर मैं चाहता हूं कि प्रवर समिति विचार करे। धन कर की तरह व्यय कर में भी बहुत सी त्रुटियां हैं जिन से इस का प्रयोजन ही व्यर्थ हो जाता है। अचल सम्पत्ति के अधिग्रहण और निर्माण के व्यय को विमुक्त कर दिया गया है और धनी लोग अपना अधिक धन जहां तहां मकान बनाने पर ही व्यय करते हैं।

यह विमुक्ति समाज की समाजवादी व्यवस्था के हमारे उद्देश्य का उपहास मात्र ही है। यदि मकानों पर कुछ व्यय आवश्यक समझा जाता है तो उसकी निश्चित सीमा निर्धारित करनी चाहिये।

उपहारदान और न्यासों पर व्यय की विमुक्ति करने से क्या लाभ है। इससे तो लोग धन कर और व्यय कर दोनों से ही बच सकेंगे। यदि आप ऐसा करना ही चाहते हैं तो इसके लिये कोई सीमा निर्धारित कीजिये।

इसके अतिरिक्त चौबीस हज़ार रुपये की छूट दी गई है और उस पर भी प्रत्येक निर्भर व्यक्ति के लिये पांच हज़ार रुपये की छूट का प्रबन्ध है जिसका अभिप्राय यह हुआ कि एक धनी करदाता चौबीस हज़ार रुपये एक तथा अपने ऊपर आठ दस निर्भर व्यक्तियों के लिये चालीस हज़ार और पये बचा सकेगा।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी:** : मैं अपने माननीय मित्र को यह बताना चाहता हूं कि मैंने अपने प्रारम्भिक भाषण में यह बता दिया था कि हिन्दू संयुक्त परिवारों के सिवाय जहां तक व्यक्तियों का सम्बन्ध है कुल छूट पैंतीस हज़ार रुपये तक की होगी।

†**श्री साधन गुप्त:** : इससे भी कम से कम पैंतीस हज़ार रुपये मकान तथा अन्य चीज़ बचा लेते हैं।

व्यापारिक कार्यों के लिये भी छूट दी गई है। इसमें धोखा हो सकता है लोग घर के लिये नौकर रखकर यह दिखा सकते हैं कि वे व्यापार कार्य के लिये हैं। इसी प्रकार अचल सम्पत्ति के अधिग्रहण के समय बेचने वाले की मदद से अधिक राशि दिखा कर धोखा कर सकते हैं।

इन सब त्रुटियों के होते हुए यह दावा करना उचित नहीं है कि इससे समाजवादी व्यवस्था का निर्माण हो रहा है। अतः व्यापार सम्बन्धी व्यय तथा जी लगाने के लिये निर्धारित सीमा होनी चाहिये। इस से समाज की ऐसी व्यवस्था का निर्माण होगा जिसमें पूंजीपति पूंजी नहीं लगायेंगे वरन राज्य यह कार्य करेगा और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। तभी समाजवादी व्यवस्था का निर्माण होगा।

सम्पदा शुल्क के बारे में भी बहुत आशायें की गई थीं परन्तु आज हम देखते हैं कि उससे वसूली बहुत कम होती है। अतः व्ययकर की त्रुटियों को यदि दूर न किया गया तो इस कर की भी वही स्थिति होगी।

आयकर की प्रेक्टिस करने वालों के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि आप अनर्हत वकीलों को पैरवी नहीं करने देना चाहते तो यह व्यवस्था सामान्य आधार पर करना चाहिये न कि विशेष आधार पर। अर्थात ऐसा उपबन्ध करना चाहिये जो व्यक्ति आय कर न्यायाधिकरण के समक्ष जा सके वह व्ययकर न्यायाधिकर के सामने भी पैरवी कर सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

यदि आप आयकर अधिनियम में संशोधन करके कतिपय लोगों को पैरवी का अधिकार देंगे तब तो यह प्रतिबन्ध उचित ही होगा । मैं प्रवर समिति का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि व पहले तो त्रुटियों को दूर करें दूसरे विमुक्त व्यय की सीमा निर्धारित करें और कर सम्बन्धी वकीलों की स्थिति पर विचार करें ।

† **श्री भरूचा** (पूर्व खानदेश) : यह मान्य तथ्य है कि हमारा देश आर्थिक संकट में से गुज़र रहा है । यदि द्वितीय योजना असफल हो जाये तो हमें निराशा और आर्थिक अव्यवस्था का सामना करना पड़ेगा । अतः मैं इस व्यय कर का समर्थन करता हूं ।

माननीय वित्त मंत्री ने बताया है कि व्ययकर का लक्ष्य समाजवादी व्यवस्था निर्माण करना है और इन तथ्यों को अवश्य स्वीकार करना चाहिये ।

मैं अपने पूर्व वक्ता से इस बात पर सहमत नहीं हूं कि अचल सम्पत्ति के अधिग्रहण निक्षेप उपहार आदि के व्यय की विमुक्तियों को समाप्त कर देना चाहिये । यह नहीं समझना चाहिये कि पूंजीव्यय को कर विमुक्त कर देने से वह सर्वथा बच जाता है क्योंकि दूसरे रूप में उससे आयकर वसूल किया जा सकता है । मेरा विचार है कि अभी तो विधेयक की वर्तमान योजना को बने रहने देना चाहिये और फिर अनुभव प्राप्त करके उसमें रूपभेद किया जा सकता है ।

मेरा विचार है कि वित्त मंत्री के सुझाव से भी व्यय कर बहुत अधिक प्राप्त नहीं होगा । परन्तु क्योंकि भारतीय आयकर अधिनियम में आय की परिभाषा ऐसी है जिससे व्यक्ति की कर सम्बन्धी क्षमता की ठीक कसौटी नहीं प्राप्त होती । अतः व्यय कर अनिवार्य हो जाता है ।

इस कर के विरुद्ध कई आपत्तियां उठाई गई हैं । यह कहा गया हैं कि यह सर्वथा नई चीज है । इंगलैण्ड में १८५४ से पूर्व आय कर भी एक नई ही चीज़ थी । यह तो कोई तर्क न हुआ कि हमें कोई ऐसा कर नहीं लगाना चाहिये जो पहले कहीं न हो । फिर प्रोफेसर कालडोर की ओर निर्देश करते हुए कहा गया है कि व्यय कर आरम्भ करने पर धन कर और आय कर के लिये कोई स्थान नहीं रह जाता । परन्तु भारत की आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक बात में प्रोफेसर कालडोर का अनुकरण करना आवश्यक नहीं है ।

इस बात पर भी बल दिया गया है कि इस कर का प्रशासन बहुत कठिन होगा । करदाता को व्यय का ब्यौरेवार लेखा रखना होगा । यह सच है और मेरा माननीय वित्त मंत्री से निवेदन है कि वे कर योग्य व्यय की गणना प्रोफेसर कालडोर के सूत्र के अनुसार मोटे ढंग से करने पर विचार करें ।

यह भी कहा गया है कि व्यय कर का अपवंचन बहुत अधिक होगा । मैं स्वीकार करता हूं कि कर अपवंचन के लिये इसमें बहुत गुंजाइश है । परन्तु इस कारण राजस्व के इस संसाधन को सर्वथा छोड़ नहीं देना चाहिये ।

मेरे मित्र पं० ठाकुर दास भार्गव ने यह ठीक ही कहा है कि इससे संयुक्त परिवार के प्रति अन्याय होगा । प्रवर समिति को इस पर विचार करना चाहिये । यह सच है कि जैसा माननीय वित्त मंत्री अनुभव करते हैं कि यदि संयुक्त परिवार के अनुज्ञेय सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाये तो बहुत से लोग इसका आश्रय लें और कर अपवंचन करेंगे । पर फिर भी संयुक्त परिवार के प्रति न्याय तो होना ही चाहिये और इस पर विचार की आवश्यकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री भरुचा]

मैं समझता हूं कि यदि मृत्यु और अन्तेष्टि की रस्मों पर व्यय की विमुक्ति दे देनी चाहिये। इससे कुछ आपत्तियां दूर हो जायेंगी।

यदि हम वस्तुतः समाजवादी व्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं तो व्यय कर होना ही चाहिये। यह अनिवार्य है। धनी लोगों को यह कुर्बानी करनी ही होगी जो कि इस कर विधेयक की मांग है। इस नियम का कोई अपवाद नहीं हो सकता और धनी लोग जितना शीघ्र इसे स्वीकार कर ले यह उनके लिये, हमारे देश के लिये तथा राजस्व के संसाधनों के लिये अच्छा ही होगा।

श्री वाजपेयी (बलरामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, स विधेयक के मूल में जो उद्देश्य निहित है मैं उस का समर्थन करता हूं। कोई भी व्यक्ति अनाब शनाब व्यय करे यह हमारी परम्परा और संस्कृति के विरुद्ध है। भारतीय संस्कृति मर्यादाओं में विश्वास करती है और यह मर्यादाएं व्यक्तिगत व्यय पर भी लागू होनी चाहिऐं। जब कोई व्यक्ति अमर्यादित व्यय करता है तो समाज में उस के परिणामस्वरूप ऐसी प्रवृत्तियां पैदा होती हैं जिन से समाज का आधार ही हिल जाता है। स दृष्टि से व्यय पर मर्यादा लगाई जाए यह आवश्यक है।

इस के साथ ही हम राष्ट्र निर्माण के यज्ञ में भी ल े हैं। जो भी पंच वर्षीय योजना स्तुत की गई है उस से मैं पूर्णतया सहमत नहीं हूं और मैं ने इस बात को आप के सम्मुख रक्खा था कि उस योजना में देश के साधन स्रोतों और जनता की टैक्सों को झेलने की सहनशक्ति को देखते कुछ हेर फेर होना चाहिए। मैं पृष्ठ पोषण नहीं करना चाहता पिसे हुओं को पीसना हमारा उद्देश्य नहीं है किन्तु फिर भी जो विकास योजनाऐं हम ने अपने हाथ में ली ैं वे सफल हों यह हम सभी व्यक्ति चाहते हैं। राष्ट्र निर्माण का प्रश्न किसी पार्टी का प्रश्न नहीं है। आज सारा संसार भारत की ओर देख रहा है कि हम अपनी संम्पूर्ण शक्ति और क्षमता को एक कर के निर्माण योजनाओं को सफल बना सकते हैं या नहीं। इन योजनाओं के लिए हमें धन की आवश्यकता है और व्यय कर वह धन प्राप्त करने में हमें सहायक होगा इस दृष्टि से भी उस का स्वागत किया जाना चाहिए। किन्तु और इस "किन्तु" के बाद स विधेयक के सम्बन्ध में ो मेरी आशंका ें हैं उन्हें मैं सदन के सम्मुख उपस्थित करना चाहता हूं।

स्वय ं वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में यह स्वीकार किया है कि स ढंग का कर तिहास द्वारा अभी तक पुष्टि नहीं किया गया है। उनके शब्द ये हैं: यह इस प्रकार का कर जो अभी तक कभी भी नहीं लगाया गया तथा जिसका दूसरा उदाहरण इतिहास में मिलता हो।' मैं अपने मित्र श्री भरूचा से सहमत हूं कि यदि यह टैक्स अन्य देशों में नहीं लगाया गया है तो यह कोई कारण नहीं है कि हम अपने देश में न लगायें। हमें दूसरों की नकल करने की ही आवश्यकता नहीं है हम अपनी अक्ल का भी प्रयोग कर सकते हैं। अन्य देशों में यह टैक्स नहीं है, और केवल हम अपने देश में लगा रहे हैं, इससे कठिनाई पैदा हो सकती है। कल्पना कीजिये, कोई व्यक्ति इस टैक्स से बचने के लिए सम्पत्ति का संग्रह करता जाता है और संग्रह के बाद उसका व्यय करने के लिए दूसरे देश में चला जाता है। हमारा पड़ोसी देश ही, हमारा ही एक अंग, नये राज्य के रूप में विद्यमान हो गया है। मैं निवेदन करूंगा कि इस सम्भावना पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए। हमारा कोई नागरिक यहां संग्रह करे और किसी दूसरे देश में जाकर इसका व्यय करे इस बात को रोकने की आवश्यकता है।

युद्ध काल में अमरीका में एक्सपेंडीचर टैक्स लगाने के बारे में विचार हुआ था और प्रोफेसर फिशर ने उसके सम्बन्ध में कुछ सुझाव अमरीकी सरकार के सम्मुख रखे थे। उस समय की अमरीका की सरकार वर्तमान सरकार की तुलना में अधिक प्रगतिशील मानी जाती है। किन्तु व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण अमरीकी सरकार ने प्रोफेसर फिशर के उस सुझाव को स्वीकार नहीं किया और अमरीका में एक्सपेंडीचर टैक्स नहीं लगाया गया। मैं यह मानता हूं कि हमारी परिस्थिति अमरीका से सर्वथा भिन्न है। किन्तु टैक्स को लगाने में और उसे वसूल करने में जो व्यावहारिक कठिनाइयां हैं उनको हम दृष्टि से ओझल नहीं कर सकते। वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में इस बात को स्वीकार किया है कि इस टैक्स के लिए प्रभावशाली प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए। अब इस बात की ओर ध्यान देना आवश्यक है कि क्या "इफैक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव एरेंजमेंट", प्रभावशाली प्रशासनिक व्यवस्था, हम निर्माण कर सकते हैं। अभी तक का जो अनुभव है वह इस दृष्टि से उत्साह वर्धक नहीं है और मुझे आशंका है कि इसमें भविष्य में भी कितना सुधार किया जा सकेगा। हमारे पास जो भी लोग हैं उनसे हम अच्छी तरह से परिचित हैं। उनके हाथों में जब इस टैक्स को एकत्र करने के अधिकार रख दिये जायेंगे तो उससे परेशानियां नहीं होंगी, उत्पीड़न नहीं होगा, इसको विश्वासपूर्वक नहीं कहा जा सकता।

यह टैक्स व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, उसकी पवित्रता में और उसके रहस्यों में राज्य को प्रवेश करने के जितने विस्तृत अधिकार देता है उनसे सचमुच में अन्तःकरण में आशकायें उत्पन्न होती हैं। केम्ब्रिज यूनीवर्सिटी के डा० ए० के० क्रेस्टर ने इस बात को स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि इस बात पर विचार होना चाहिए कि क्या राज्य को व्यक्तिगत जीवन में प्रवेश करने के इतने अधिकार दिये जायें। और कर संग्रह करने की हमारी जैसी प्रणाली है और जैसे व्यक्ति हैं उनके द्वारा इसका दुरुपयोग न हो इस बात की सावधानी रखना आवश्यक है। प्रोफेसर काल्डर ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि इस टैक्स को यदि लागू किया गया तो अन्तरिम काल में अनेक कठिनाइयां खड़ी होंगी। हो सकता है कि जहां यह टैक्स लागू होने वाला है वहां लोग बैंकों में से अपनी सम्पत्ति को निकाल लें और इसलिए उन्होंने इस बात का सुझाव दिया है कि सम्भव है कि जितने भी बैंकों के नोट चल रहे हैं उन्हें हमको वापस लेना पड़े। जो संकेत प्रोफेसर काल्डर ने दिया है, मैं नहीं समझता वित्त मंत्री महोदय इतना गम्भीर कदम उठाने का विचार कर रहे हैं। ऐसा करना भी नहीं चाहिए। किन्तु इस टैक्स के फलस्वरूप अन्तरिम काल में जो कठिनाइयां होंगी उनका विचार आवश्यक है।

मुझे यह देखकर सचमुच में खेद हुआ है कि इस टैक्स के अन्तर्गत जम्मू और काश्मीर को समाविष्ट नहीं किया गया। कल जो सम्पत्ति कर रखा गया था उसमें जम्मू और काश्मीर को अलग नहीं किया गया था, किन्तु इस टैक्स के कार्यक्षेत्र में से जम्मू और काश्मीर को निकाल दिया गया है। मैं नहीं जानता कि किन विशेष कारणों से ऐसा किया गया है। यदि वहां सम्पत्ति कर लग सकता है तो सम्पत्ति के व्यय पर कर क्यों नहीं लग सकता। मैं समझता हूं कि इस बात पर फिर से विचार किया जाना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि प्रवर समिति जम्मू और काश्मीर के सम्बन्ध में कोई अन्तर नहीं करेगी।

एक और महत्वपूर्ण बात, जिसकी ओर मेरे आदरणीय बुजुर्ग पंडित ठाकुर दास भार्गव ने ध्यान दिलाया है और जिसकी श्री भरूचा ने भी पुष्टि की है, उसकी ओर मैं वित्तमंत्री महोदय का ध्यान खींचना चाहता हूं। हिन्दू संयुक्त परिवार की प्रणाली सामाजिक सुरक्षा की सबसे श्रेष्ठ पद्धति है

[श्री वाजपेयी]

जिसे हमने युगों से कसौटी पर कसकर खरा पाया है। जबतक राज्य प्रत्येक बूढ़े के लिए, प्रत्येक विधवा के लिए, प्रत्येक अपाहिज के लिए, भोजन, वस्त्र, निवास और चिकित्सा की व्यवस्था नहीं करता तब तक संयुक्त हिन्दू परिवार की प्रणाली सामाजिक सुरक्षा पद्धति के रूप में रखी जानी चाहिए। उसे तोड़ने का प्रयत्न नहीं होना चाहिए। काल प्रवाह के कारण वह टूट रही है इसे मैं स्वीकार करता हूं। किन्तु उसे बनाने के बजाये, उसे दृढ़ करने के बजाय हम इस प्रकार की अर्थ नीति का अवलम्बन करें जिससे वह संयुक्त परिवार की प्रणाली बिल्कुल ध्वस्त हो जाये, इससे मैं कदापि सहमत नहीं हूं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव ने इस बात का उल्लेख किया कि एक गैर-हिन्दू वित्त मंत्री आए थे, जिन्होंने संयुक्त हिन्दू परिवार की उपयोगिता को समझा। मैं इस सम्बन्ध में और अधिक नहीं कहना चाहता, लेकिन हम आर्थिक दृष्टि से देखें, तो हमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि जब तक हम किसी दूसरी पद्धति का विकास नहीं करते, और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उसके अन्तर्गत आश्रय नहीं मिल जाता, आज जो व्यवस्था है, उसमें हमें कोई ऐसा परिवर्तन नहीं करना चाहिए, जिससे संयुक्त परिवार की प्रणाली पर चोट आए। समाज सुधार का क्षेत्र अलग है। अर्थ-नीति का सम्बन्ध उसमें नहीं आना चाहिए और मैं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इस तथ्य को दृष्टि में रखें। मैं आशा करता हूं कि प्रवर समिति इस दृष्टि से विधेयक में आवश्यक संशोधन करेगी।

इन शब्दों के साथ विधेयक के मूल उद्देश्यों का समर्थन करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

[श्रीमती रेणु चक्रवर्त्ती पीठासीन हुईं]

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, संविधान के सातवें शिड्यूल की प्रथम सूची में उन विषयों का जिक्र किया गया है, जिनके बारे में केन्द्रीय सरकार—अर्थात् यह सदन—कानून बना सकती है। उस सूची में व्यय कर का कोई जिक्र नहीं है। उस सूची में ९७ क्रमांक के द्वारा इस सदन को उन सभी विषयों में कानून बनाने का अधिकार है जो विषय किसी भी सूची में नहीं है। इस प्रकार दूसरी और तीसरी सूची में भी इसका कोई उल्लेख नहीं है। मैं समझता हूं कि जिस समय यह संविधान बनाया जा रहा था, उस समय इसके निर्माताओं के दिमाग में यह बात नहीं आई कि इतनी जल्दी व्यय कर हिन्दुस्तान की कर-प्रणाली में शामिल किया जायगा। इसलिए यह कहा जा सकता है कि यह सदन एक विशेषाधिार का प्रयोग कर रहा है।

मेरा ख्याल है कि यह विधेयक न केवल कर लगाने के लिए लाया गया है, बल्कि समाज-सुधार भी इसका उद्देश्य है। हमारे देश की जो पुराने जमाने की सामाजिक प्रणाली है, उसमें बहुत तरह के व्यर्थ के खर्च शामिल हैं, जिन से कोई उत्पादन भी नहीं होता है और देश को कोई दूसरा फायदा भी नहीं होता है और व्यर्थ में धन बर्बाद होता है। इस विधेयक के द्वारा वह अपव्यय—फिजूलखर्ची—बहुत हद तक नियंत्रित हो जायगा। जैसा कि हम सभी समझते हैं, हमारी कर-प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसके द्वारा हमारे प्रशासकीय खर्च के लिए भी रुपया जुटे और साथ ही साथ व्यक्ति या व्यक्तियों काँ समूह ऐसे काम करने के लिए रुपया संग्रह करें, जिससे देश की सम्पत्ति बढ़े और देश समृद्ध हो। जैसा कि हमारे वित्त मंत्री महोदय ने बताया है, इस विधयक का मुख्य उद्देश्य रुपया संग्रह करना नहीं है, बल्कि अपव्यय को रोकना है और लोगों को इस बात का मौका देना है कि जो उपार्जन वे करते हैं, वे न सिर्फ उसको खर्च कर दें, बल्कि साथ ही बचायें और बचा कर देश की सम्पत्ति को बढ़ायें और समाज को उन्नत करें। इसी लिए इस सदन में किसी ने इस विधेयक का विरोध नहीं किया है। जहां-तहां मतभेद प्रकट किए गए हैं, आशंकायें और सन्देह प्रकट किए गए हैं, लेकिन सभी ने एक स्वर से इस विधेयक का समर्थन किया है।

मैं समझता हूं कि हम अपने देश में जो एक नई और सुसम्बद्ध कर-प्रणाली जारी कर रहे हैं यह विधेयक उसका एक प्रमुख अंग है। यदि इसको स्वीकृत न किया जाय, तो हमारी कर-प्रणाली, एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी से वंचित हो जायगी। यह व्यय कर हमारे आय-कर, सम्पत्ति कर और एस्टेट ड्यूटी के लिए सहायक और पूरक के रूप में सिद्ध होगा। अगर हम व्यय कर न लगायें, लेकिन आय-कर और सुपर टैक्स लगा दें, तो देश को न केवल रुपये की कमी हो जायगी, बल्कि टैक्स प्रणाली के प्रशासन में बहुत कमजोरियां आ जायेंगी और हम अपने देश में एक सुसम्बद्ध और सुधरी हुई कर-प्रणाली स्थापित नहीं कर सकेंगे। जैसा कि मैंने पहले विधेयक के सम्बन्ध में कहा था, मैं इसका बहुत स्वागत करता हूं।

जैसा कि सभी माननीय सदस्यों ने कहा है, यह कर एक नई चीज है और किसी देश का अनुभव हमारे सामने नहीं है—अपने देश का तो है ही नहीं। ऐसी अवस्था में प्रवर समिति को, जिसके सपुर्द यह विधेयक किया जा रहा है, इस पर दूसरे साधारण विधेयकों की अपेक्षा ज्यादा गम्भीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता होगा। यह सभी का अनुभव है कि यदि किसी विधेयक में—चाहे वह विधेयक अच्छे से अच्छा हो, उसके उद्देश्य कितने ही ऊंचे क्यों न हों—शब्द ठीक न हों, उसका ड्राफ्ट ठीक न हो, या उसमें कोई और कमियां रह जायें, तो वह नागरिक को बहुत खलता है और उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आय-कर हम लगाते हैं, उसमें हमारा उद्देश्य पवित्र होता है, लेकिन यदि उसका प्रशासन ठीक न हो, तो समाज पर बुरा असर पड़ता है। मुझे उम्मीद है कि प्रवर समिति इन सब बातों पर बड़ी सावधानी से विचार करेगी।

इस विधेयक में डिपेंडेंट शब्द की जो परिभाषा की गई है उसके अनुसार डिपेंडेंट (आश्रित), जहां करदाता एक व्यक्ति होगा, वह पुत्र अथवा पुत्री होगी जो करदाता पर आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से आश्रित है और जहां करदाता एक अविभक्त हिन्दू परिवार होगा, वहां कर्ता के अलावा प्रत्येक समांशी होगा अथवा कोई ऐसा सदस्य होगा जिसको किसी विधि आदेश या न्यायालय द्वारा संयुक्त परिवार की सम्पत्ति से धन लेने का अधिकार हो। मैं नहीं जानता कि जो संयुक्त परिवार नहीं है, उसमें वृद्ध माता पिता की गिनती डिपेंडेंट में की जायगी या नहीं। हिन्दुस्तान में जैसी हमारे समाज की व्यवस्था है, उसमें माता पिता परिवार का अंग हैं। अगर वे संयुक्त परिवार के सदस्य होंगे, तो वे उसमें आ सकते हैं, लेकिन अगर वे संयुक्त परिवार में न हों, तो दायभाग के मानने वाले परिवारों में माता पिता को डिपेंडेंट की श्रेणी में आना चाहिए, ऐसा मेरा ख्याल है।

जहां तक टैक्स की सीमा का प्रश्न है, धारा ३ के प्रोवाइजों में कहा गया है कि जिनकी आमदनी —टैक्स लगने वाली आमदनी—साठ हजार रुपये से कम होगी, उनको यह टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मेरा जहां तक ख्याल है इस तरह की सीमा न रखकर केवल यही रखा जाए कि इतना बेसिक खर्चा होना चाहिए जैसा की प्रोफैसर कालडोर ने कहा है कि खच की ही सीमा इसमें रखी जानी चाहिये इसके अन्दर, मेरे विचार से आमदनी की सीमा रखना ठीक नहीं है। यहां पर आप यह कह सकते हैं कि २५,००० या ३०,००० जो बेसिक खर्च करेगा उसी को यह कर देना पड़ेगा। यदि ऐसा किया गया तो मैं समझता हूं कि अधिक अच्छा होगा। ६०,००० आमदनी की जो सीमा निश्चित की गई है, उसको इसमें से हटा दिया जाना चाहिए और खर्च का जो परिमाण है उसका ही जिक्र रहना चाहिए।

एक चीज की तरफ और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं कोई वकील नहीं हूं, लेकिन फिर भी इसको मैं आपके विचारार्थ उपस्थित करना चाहता हूं। इसके अन्दर जो स्थायी प्रापर्टी (सम्पत्ति) का जिक्र है, उसके अन्दर जमीन भी आ जाती है या मकानात भी आ जाते हैं या दूसरी चीजें भी आ जाती हैं। मेरे ख्याल में मकान की मरम्मत और मेनटिनैन्स के लिए जो खर्च होगा वह इस खर्च में नहीं शामिल किया जाएगा। मेरे ख्याल में जो बड़े-बड़े मकान बनाये जाते हैं,

[श्री श्रीनारायण दास]

या बनाये गये हैं, या बनाये जायेंगे, उन मकानात की रिपेयर और मेनटिनैन्स के खर्च का जिक्र इसके अन्दर रहना चाहिए। अगर एक्वीजीशन और कंस्ट्रकशन में यह खर्च आ जाये और वह कानून की दृष्टि से ठीक हो तब तो ठीक है लेकिन अगर एक्वीजीशन और कंस्ट्रकशन में रिपेयर और मेनटिनैन्स के खर्च कानून की दृष्टि से न आयें तो इस चीज का इसमें खास तौर से जिक्र होना चाहिये। मकान जो हैं या जो बनेंगे और जो उनके मेनटेनेंस का खर्चा पड़ेगा उस खर्चे को "खर्चे" की परिभाषा से एग्जेम्पट कर दिया जाना चाहिए।

अब जो मैं कहने जा रहा हूं मैं नहीं जानता कि वह क्लाज ५ में या क्लाज ६ में आती है या नहीं। जिस सामाजिक व्यवस्था में हम रह रहे हैं उसमें इलैक्शन का खर्च भी एक महत्वपूर्ण खर्च है। बिजिनेस में मैं समझता हूं, वह नहीं आ सकता है। यह खर्च पांच साल में हमें एक बार करना पड़ता है और यह एक व्यक्तिगत खर्च है। कानून के द्वारा विभिन्न चुनाव के लिये खर्च की एक सीमा निर्धारित कर दी गई है। बहुत से उम्मीदवार कानून के खिलाफ जा कर भी बहुत ज्यादा खर्च कर देते हैं लेकिन जहां तक कानून के अन्दर रह कर खर्च करने का ताल्लुक है उसपर तो उम्मीदवार को छूट मिलनी चाहिए। कानून में जितना खर्च करने की इजाजत है उतने खर्चे की तो अवश्य छूट मिलनी चाहिए, एग्जैम्पशन मिलनी चाहिए। यह एक साधारण खर्च है और राष्ट्रीय हित में भी है।

आज की समाज व्यवस्था में एक और खर्च है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। उस खर्च को मैं बेकार समझता हूं और वह वह खर्चा है जो श्राद्धों, फ्यूनरल्स इत्यादि पर किया जाता है। माता पिता की मृत्यु के पश्चात् पुत्र यह अपना कर्त्तव्य समझते हैं कि उनके उपलक्ष्य में दान करें, ब्राह्मणों को भोजन करायें। यदि किसी संस्था को वे कुछ रुपया दे दें तो मैं समझता हूं कि शायद वे बच जायेंगे। लेकिन जो भोजन ब्राह्मणों को कराया जाता है या गरीबों को कराया जाता है, या जात बिरादरी वालों को कराया जाता है, उसमें काफी खर्चा हो जाता है। व्यक्तिगत रूप से मैं इसके खिलाफ हूं। लेकिन जब हम विधायकों के रूप में खड़े होकर यहां बोलते हैं तो हम समाज के नियमों के एक दम खिलाफ नहीं जा सकते हैं। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि श्राद्ध आदि पर खर्चे की कोई सीमा निश्चित कर दी जानी चाहिये जिस पर छूट दी जा सकें। मैं यह नहीं चाहता कि जितना कोई खर्च करे, उस सब की उसको छट मिल जाये परन्तु कोई सीमा यदि निश्चित कर दी जाए तो अच्छा रहे गा।

प्रोफेसर कालडोर ने कई बातों का जिक्र किया है। एक बात जिसको मैं बहुत महत्वपूर्ण समझता हूं, उसका जिक्र भी यहां करना चाहता हूं और वह है मैडिसिस के बारे में, दवाइयों के बारे में। इसके साथ ही साथ प्राकृतिक प्रकोप जो होते हैं उनका भी मैं जिक्र करना चाहता हूं। प्राकृतिक प्रकोप के अन्दर बहुत से लोगों के मकान यदि गिर नहीं जाते तो बिगड़ अवश्य जाते हैं या उनको भारी क्षति पहुंचती है। तो इन पर तथा दवाइयों पर जो खर्चा हो, उसकी छट भी हमें चाहता हूं लोगों को मिलनी चाहिये।

यदि कोई आदमी किसी मुकदमे में आकस्मात फंस जाये और यदि उसको उस मुकदमे में जुर्माना हो जाए, तो वह एक ऐसा खर्चा है जिसको रोका नहीं जा सकता है और जो जुर्माना होता है वह देना ही पड़ता है। वह जो जुर्माना होता है जोकि वह अदा करता है, उसकी भी छूट उसको मिलनी चाहिए। यह जुर्माना अदा करना या न करना उसकी इच्छी पर निर्भर नहीं करता है बल्कि उसे इसे जबर्दस्ती देना पड़ता है।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह एक नया विषय है जिस पर हम कानून बनाने जा रहे हैं। इस प्रकार का कानून आज तक हमारे देश में नहीं बना है और न ही दूसरे देशों में बना है। इस वास्ते इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए और जो माननीय सदस्य प्रवर समिति में

लिए गए हैं उनका यह कर्त्तव्य है कि वे इस कानून को ऐसा बनावें कि इसमें कोई त्रुटि शेष न रह जाए और लोगों को बचत करने का प्रोत्साहन मिले तथा लोग अपना धन उत्पादक कार्यों में लगायें। साथ ही साथ इस कानून को इस तरह से व्यवहार में लाया जाए कि लोग इसका स्वागत करें और उनको किसी प्रकार की तकलीफ न हो। इसके साथ ही साथ हमें आशा करनी चाहिये कि इस कानून के द्वारा हमारा आर्थिक सुधार होने के साथ साथ सामाजिक सुधार भी होगा।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूं कि मैंने प्रातः जो कुछ कहा था उसे पुनः दोहराने का अवसर मुझे मिला है अर्थात् सभा ने इस विधान का जो एक मत हो कर समर्थन किया है मैं उसके लिए आभार प्रकट कर सकता हूं। सब वक्ताओं ने इस विधान का समर्थन किया है और जो मेरे मित्र अन्त में बोले थे और जिन्होंने बड़े उदार भाव से इस का समर्थन किया था, मैं उनका विशेषरूप से आभारी हूं। मैं समझता हूं कि उन्होंने जो कहा था उसका बहुत महत्व है; निर्वाचन व्यय को न गिनने की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। वह व्यक्ति भी जो ३०,००० रुपये व्यय न कर रहा हो संभवतः ३०,००० रुपये से कुछ अधिक ही व्यय कर देगा। मैं समझता हूं कि इस मामले में कुछ संरक्षण आवश्यक है हम ने इस के बारे में विचार नहीं किया। ऐसी बातों में इकट्ठे विचार करने से सहायता मिलती है। मुझे विश्वास है कि श्री श्रीनारायण दास ने इस विषय में जो कुछ कहा है प्रवर समिति उस पर विचार करेगी।

जहां तक दाह संस्कार सम्बन्धी व्यय और विवाह सम्बंधी व्यय का सम्बन्ध है मुझे पता नहीं कि प्रवर समिति इस विषय पर विचार करेगी अथवा नहीं। संभवतः वह करेगी। पर मैं समझता हूं कि हमारे देश में विवाहों और अन्त्येष्टियों पर अधिक व्यय नहीं किया जा रहा। व्यय पर जो प्रतिबन्ध हम लगा रहे हैं यदि उससे हमारी दहेज प्रथा में कमी हो जाए तो मैं समझता हूं कि यह एक बड़ी बात होगी। जो व्यक्ति विवाह पर ४०,००० रुपया व्यय करेगा और २०,००० रुपया अपने होने वाले जमाई को देगा वह सरकार को भी ५,००० या ६,००० रुपया देने की चिन्ता नहीं करेगा। मैं अनुभव करता हूं कि मेरे माननीय मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव पुरानी प्रथाओं का समाप्त होना पसन्द नहीं करते। आजकल एक दरिद्र व्यक्ति भी विवाहों और अन्त्येष्टियों पर काफी धन व्यय करता है और यदि व्यय पर प्रतिबन्ध लगा कर इसे बन्द किया जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। अतः इस विधान से कुछ अच्छाई ही पैदा हो सकती है। धनी लोग तो संभवतः इसे पसंद न करें परन्तु समाज संभवतः इस विधान का इस लिए समर्थन करे कि इस से उन्हें सुधार करने में सहायता मिलेगी।

दूसरी जो बातें कहीं गई हैं उन के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं। मेरे माननीय मित्र श्री मुकर्जी ने कुछ बातें कहीं हैं। मैं आभारी हूं कि उन्होंने मुझे यह बताया है कि वे मेरा समर्थन तो करते पर वे अपने आप को इस योग्य नहीं पाते। यह मेरा दुर्भाग्य है। तो भी मैं समझता हूं कि उन्होंने जो बातें कहीं हैं वे इस कारण कही गई हैं कि उन्होने मेरी उन बातों को ध्यानपूर्वक नहीं सुना जो मैंने प्रारम्भिक भाषण में कही थीं।

खंड ३ के परन्तुक में जैसा कहा गया है कुल आय को ६०,००० रुपये तक सीमित करने के बारे में उन्होंने उल्लेख किया है। मैंने बताया था कि इस बात को छोड़ देना चाहिये। मैंने यह भी कहा था कि कुल व्यय की सीमा ३०,००० रुपये और एक निर्भर व्यक्ति के लिए ५,००० रुपये तक होनी चाहिये। उन्होंने यह शिकायत की है कि विधेयक में व्यय-कर की दरें उन दरों से कम हैं जिन का सुझाव प्रोफेसर कालडोर ने दिया था। मैं समझता हूं कि हम ने जो अनेक विधान बनाये हैं उनके

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

लिए मैं न केवल सभा से और लोगों से वरन् प्रोफेसर कालडोर से भी क्षमा प्रार्थी हूं। मैंने प्रतिवेदन को नहीं पढ़ा। परन्तु, मैं आपको जो बता रहा हूं वह गलत नहीं है कि मैंने उन से प्रतिवेदन पर बातचीत की थी। हम पांच छः बार मिले और हमने सारे विषय पर चर्चा की थी। उन्होंने मुझ से कहा था कि मैं अपनी पसंद बता दूं। मैंने कहा था कि यह ठीक नहीं वरन् लिखें कि वे क्या चाहते हैं। कोई भी सरकार किसी मंत्रणाकार को यह आश्वासन नहीं दिला सकती कि उसके परामर्श को पूर्णतः स्वीकार कर लिया जाएगा। वह एक शास्त्रज्ञ के रूप में काम कर रहा था और वह बड़े दृढ़ आधार पर यह अनुभव करता था कि भारत के लिए जो कि एक अविकसित देश है यह कर-व्यवस्था उपयुक्त नहीं है। जिस देश में यह १८०३ में आरम्भ की गई थी वहां भी इसका कोई उपयोग नहीं रहा। उन्होने जैसा कहा है इंगलैंड की नैतिकता उच्च समझी जाती है। पता नहीं कि यह कहां तक सच है। परन्तु वहां भी बहुत से लोग जिन पर वस्तुतः १ पाउंड में १९ शिलिंग ११ पेंस कर लगाया जाता है वे भी आराम से जीवन यापन करते हैं। उन्हें कही से धन मिलता ही होगा। इसी आधार पर हम ने कार्य आरम्भ किया था। उन्होंने बड़ी शिष्टता के भाव से मुझ से पूछा था कि मैं कुछ बातों पर आग्रह करना चाहता हूं अथ वा नहीं। मैं ने उन्हें केवल यह कहा कि हम जो भी करना चाहते हैं उस के लिए हमें स्वतंत्रता होनी चाहिये, चाहे हम प्रतिवेदन को स्वीकार करें या रद कर दें, उसे अंशतः स्वीकार करें अथवा पूर्णतः स्वीकार करें। उन्होंने यह स्वयं अपने ढंग से लिखा। अतः मैं सर्वथा यह नहीं कह सकता कि मुझे पता नहीं कि उसके मन में क्या था। परन्तु जैसा मैं ने बताया मैं यह स्वीकार करता हूं कि मैं ने प्रतिवेदन को नहीं पढ़ा। एक बात के लिए यह अच्छा है। क्योंकि यदि मैंने उस प्रतिवेदन को पढ़ा होता तो संभवतः जब कभी में प्रतिवेदन का विरोध करता तो हर बार में अपने आपको अपराधी अनुभव करता। मेरी अन्तरात्मा स्वतंत्र है। मैं परिवर्तन कर सकता हूं। अन्त में मैं समझता हूं कि जो माननीय सदस्य यह कहते हैं कि नैंने प्रोफेसर कालडोर की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया वह मेरे इस तर्क को स्वीकार नहीं करेंगे कि कुछ गड़बड़ हो गई है, प्रोफेसर कालडोर ने इस की सिफारिश की थी और मैंने इसे उपबंधित कर दिया है। आप पूछेंगे कि मेरी अपनी बुद्धि और अपने उत्तरदायित्व का क्या हुआ और मैं वित्त मंत्री होने के योग्य नहीं क्योंकि मैं स्वयं निर्णय नहीं कर सकता। अतः प्रोफेसर कालडोर के प्रति जिस ने हमारी कर व्यवस्था पर पूरी तरह विचार किया है और जिसने हमारी तथा व्यक्तिगत रूप में मेरी बहुत सहायता की है (उस समय मैं वित्त मंत्री नहीं था) पूर्ण सम्मान सहित यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने कई बार मुझ से मिल कर और इस विशेष विषय पर बातचीत कर के मेरे प्रति शिष्टता प्रकट की। मैं यह अवश्य कहूंगा कि जो भी प्रस्थापना मैंने प्रस्तुत की हैं उस के लिए मैं पूर्णतः उत्तरदायी हूं। माननीय सदस्यों को यह अनुभव करना चाहिये कि प्रोफेसर कालडोर का यह विचार था कि हमारे जितने भी कर हैं चाहे वे समवाय कर हैं या व्यक्तिगत कर या अधि कर वे ४५ प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिये। उस ने रुपये मे ७ आने का सुझाव दिया था। मुझे विश्वास है कि मेरे पूंजीवादी मित्र प्रायः मुझ से कहते हैं कि आप कालडोर के प्रतिवेदन को क्यों स्वीकार नहीं करते। मुझ से यह कहना सुगम है क्योंकि मैंने कतिपय सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, तो उसे पूरा ही क्यों न स्वीकार कर लिया जाए। यह उन के लिए अच्छा है। परन्तु मैं स्वीकार नहीं कर सकता। आखिर हम कर-व्यवस्था में कुछ परिवर्तन कर रहे हैं। यह प्रयोग के रूप में किया जा रहा है। यदि कर से अधिक आय हो तो मैं वचन देता हूं कि कुछ दिशाओं में परिवर्तन किये जाएंगे। जैसा श्री ही० ना० मुकर्जी ने कहा था, ऐसा समय आ सकता है जब हमारी सीमा २४,००० रुपये होगी। हम यह कह सकते हैं कि एक सामान्य अर्थात् निम्न मध्य वर्ग का परिवार ३,००० अथवा ४,००० रुपये व्यय करता है, किसी को भी २४,००० रुपये से अधिक व्यय नहीं करना चाहिये। यदि वे अधिक व्यय

करें तो उन्हें कर देना चाहिये। वह समय आ सकता है। पर दुर्भाग्य की बात है कि वह समय संभवतः मेरे काल में न आंए। जैसा मैंने बताया हमें इस कर के लागू होने के ढंग के बारे में बहुत कुछ सीखना है। अतः मैं इसे अधिक सख्त नहीं बनाना लाभदायक नहीं समझता।

श्री ही० ना० मुकर्जी ने कहा था कि आप इसी वर्ष से लागू क्यों नहीं करते। इस का यह अभिप्राय हुआ कि यह गत वर्ष १९५६–५७ के व्यय पर लागू होना चाहिये। एक बात तो यह है कि प्रशासन की दृष्टि से मेरे लिए इस कार्यान्वित करना संभव नहीं। मैं यह नहीं कहता कि मैं चाहता हूं राजस्व प्राप्त न हो। दूसरे मैं इसे अनुचित समझता हूं, जब तक भूतलक्षी प्रभाव का कर किसी बुराई को ठीक करने के लिए न हो वह अनुचित ही है। यदि माननीय सदस्य के कथनानुसार ये उपहार इस प्रकार के होंगे कि धन कर और व्यय कर और अन्य करों का उद्देश्य पूरा नहीं होगा तो हम उपहार कर भी लगा सकते हैं और वह उस समय के लिए भी लागू हो सकता जब कर अपवंचन किया गया हो। यह ठीक ही होगा क्योंकि लोग किसी विशेष कर से बचने के लिए कर अपवंचन का ढंग अपना रहे हैं। परन्तु मैं समझता हूं कि लोगों के गत वर्ष के व्यय पर नया कर लगाना जबकि उन्हें इस का कुछ भी ज्ञान नहीं था, ठीक नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि यह भी अनुमान लगाया जाए कि प्रशासन की दृष्टि से यह सुगम है, तो भी इस समय की विशेष परिस्थिति के कारण इस विषय को इस वर्ष लेना मेरे लिए संभव नहीं है। वित्त विधेयक अभी पारित नहीं हुआ। मैं आशा करता हूं कि यह ३१ अगस्त तक पारित हो जाएगा। पुराना कर निर्धारण भी तभी आरम्भ होगा। उसे भी स्थगित रखा गया है, केवल संसाधन से पुरानी दरों पर संग्रह किया गया है। प्रशासन अथवा न्याय के आधार पर इसे आरम्भ करना संभव नहीं।

यह सामान्य आलोचना की गई थी कि अधिक धनाढ्य करदाताओं के विरुद्ध आय-कर प्रशासन प्रभाव रहित रहा है। कुछ सीमा तक मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं। मैं उन लोगों में से हूं जिन्होंने कभी इस तथ्य को नहीं छुपाया कि कर की बहुत बड़ी राशि छुपाई जा रही है। मैं समझता हूं कि यह राशि काफी बड़ी है। मैंने अपने आय-व्ययक भाषण में भी इसी बात पर बल दिया था। मैं वेतन पाने वालों का समर्थन करना चाहता हूं जिन के वेतन से कर को प्रत्येक पाई वसूल कर ली जाती है। जिन लोगों को वेतन नहीं मिलता और जिन की आय व्यापार अथवा वृत्ति से होती है वे कर नहीं देते वे प्रायः समाज के अधिक धनाढ्य व्यक्ति होते हैं। कर अपवंचन को रोकने, प्रतिबंधित करने और उसका प्रतिरोध करने के लिए हम इन विभिन्न करों द्वारा प्रयत्न कर रहे हैं और साथ ही सम्पत्ति को समान स्तर पर लाने के लिए उनका सामाजिक उद्देश्य भी है। इस का उद्देश्य बहुमुखी है। हम आशा करते हैं कि हम स्थिति को सुधार लेंगे।

माननीय सदस्य ने कठोर दंडों का सुझाव दिया था। मैं भी अनुभव करता हूं कि वर्तमान विधि में कर अपवंचक के लिए बहुत गुंजाइश है। ऐसा है क्योंकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दो वर्ष से भी अधिक पुराने ५०० प्रलेख आवेदन पत्र पड़े हैं। उत्तर प्रदेश में कर की वसूली लगभग ५ करोड़ रुपये की है। और अवशेष लगभग २० करोड़ रुपया है। यह अधिकतः इस कारण है कि विधि में उस व्यक्ति के बचाव का उपबंध है जो विधि का पालन नहीं करता। मैं इस कारण उत्तर प्रदेश को विशेषतः नहीं लेना चाहता कि मैंने कहा था कि वह कम वसूली का क्षेत्र है। कम वसूली के क्षेत्र में अवशेष अधिक हैं। मैं यह नहीं कहता कि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति धोखा दे रहा है परन्तु वहां ऐसे लोग है जो कि ऐसा करने में बहुत चतुर हैं और मैं समझता हूं कि ऐसे बहुत से वकील हैं २० रुपये कर के प्रलेख आवेदन पत्र को स्वीकार कर लेते हैं और संभवतः वकील की फीस २० रुपये होती है। स्थिति ऐसी है कि हमें अवश्य विधि में परिवर्तन करना चाहिये।

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

श्री ही० ना० मुकर्जी ने कहा था कि आप विधि में परिवर्तन का प्रस्ताव क्यों नहीं रखते ? मैं उन्हीं के शब्दों को लेता हूं। मैं समझता हूं कि भयोत्पादनक दंड आवश्यक है। मैंने एक दिन समाचार पत्र में देखा था कि एक गंभीर अपराध के लिए एक व्यक्ति को साधारण कारावास का दंड दिया गया है। मुझे पता नहीं कि न्यायाधीश क्यों इस प्रकार की बात सोचते हैं। जो लोग गम्भीर अपराध करते हैं उन्हें अवश्य ही कठोर दंड मिलने चाहियें। यदि हम लोक मत को यह बात मानने के लिए तैयार कर सकें कि कर अपवंचक को कुछ समय के लिए सरकार का कुछ कठिन परिस्थितियों में महमान रहना चाहिये तो संभवतः २० प्रतिशत कर अपवंचक कम हो जाएंगे। और मुझे आशा है कि किसी दिन हम ये अधिकार मांगने के लिए सभा के समक्ष आएंगे। और इसे हम जितना शीघ्र कर सकते हैं करेंगे। मेरे कर्मचारियों के पास बहुत अधिक काम है। हम आशा करते हैं कि इन करों से हम तीन चार वर्षों में कर अपवंचन को कम करेंगे। मैं यह तो नहीं कहता कि इसे पूर्णतः समाप्त कर सकूंगा।

मेरे मित्र श्री ही० ना० मुकर्जी ने एक और बात कही थी जिस से मैं पूर्णतः सहमत हूं कि आयकर पदाधिकारियों को अधिक वेतन मिलना चाहिये। पर कठिनाई यह है कि "हिन्दू" में किसी ने पत्र लिखा है कि कर-संग्रह अभिकरण पर १९३९ में अमुक व्यय होता १९४६ मे इतना हो गया था और आजकल इतना है परन्तु उसी अनुपात में कर नहीं बढ़े। इस का यह अभिप्राय है कि हम अपने लोगों को अधिक वेतन दे रहे हैं, जीवन निर्वाह व्यय बढ़ गया है। मैं अनुभव करता हूं कि लगभग ८०० अथवा १,००० रुपये तक जल्दी जल्दी तरक्की देना उचित ही है। उसके बाद आवश्यक नहीं। हम करते यह हैं कि जब किसी अधिकारी का वेतन एक हजार रुपये तक पहुंच पाता है, तो शायद उसकी पदोन्नति जल्दी-जल्दी होने लगती है। लेकिन, सबसे कठिनाई का काल तो वह होता है, जबकि कोई व्यक्ति ३५० रुपये के वेतन से शुरू करता है। भारतीय प्रशासकीय सेवा में आने वाले अधिकारियों के लिये भी वेतन-क्रम पहले और दुसरे साल ३५० रुपये, और तीसरे तथा चौथे साल ३८० रुपये का रहता है। इस प्रकार, उसे चार साल तक ३८० रुपये ही मिलते हैं। फिर, नियुक्त होते ही वह शादी कर लेता है और बच्चे हो जाते हैं। नियुक्त होते ही, उसे कार खरीदनी पड़ती है और उसके लिये कर्ज लेना पड़ता है। इसी से तमाम कठिनाइयां सामने आने लगतीं हैं। मैंने कहीं कहा भी है कि मैं जहां तक सम्भव हो सकता है करारोपण की शक्तियां रखने वाले अधिकारियों को सरकार की ओर से क्वार्टस देने के लिये तैयार हूं, जिससे कि मकान मालिक उनके पास शुल्क निर्धारण के लिये न जायें। सरकार को इन अधिकारियों को क्वार्टस देने चाहियें। प्रसन्नता की बात है कि श्री मुकर्जी उनको अधिक उपलब्धियां देने के प्रस्ताव से सहमत हो गये हैं।

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर) : वे उन अधिकारियों की बात कर रहे थे जो घोषित नहीं किये जाते।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी**: मैं तो आय-कर विभाग को अधिक उपलब्धियां देने की बात कर रहा हूं, केवल अघोषित अधिकारियों की नहीं। मैं तो उनकी बात कर रहा हूं जो घोषित अधिकारियों की निचली श्रेणी के हैं और उनकी भी जो मूल्यांकन के लिये उत्तरदायी होते हैं।

इसके बाद, मैं पंडित ठाकुर दास भागव के भाषण के सम्बन्ध में कहूंगा। मैं उनकी एक बात स्वीकार करता हूं, वह यह कि हमें आय कर अधिनियम की धारा ३३क की तरह की ही एक उचित व्यवस्था करनी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

उन्होंने कई और परिवर्तन करने के भी सुझाव दिये हैं। उन सब की परीक्षा की जायेगी। हां, उन्होंने हिन्दू संयुक्त परिवार के सम्बन्ध में की गई व्यवस्था की भी निन्दा की थी। लेकिन, मुझे कठिनाई तो यह लगती है कि हिन्दू संयुक्त परिवार और कार्य-क्षम कर-संग्रह दोनो परस्पर मेल नहीं खाते, क्योंकि हमारे यहां हिंदू संयुक्त परिवार के नाम पर ही फालतू धन का सबसे अधिक निकास दिखाया जाता है। हिंदू संयुक्त परिवार की आड़ में कई प्रकार की अपवंचनायें की गयी हैं। हिंदू संयुक्त परिवार को रियायत देने का विचार जिसने भी निकाला है, उस ने इस देश के करारोपण प्रशासन की भारी हानि की है। संयुक्त परिवार वास्तव में छिन्न भिन्न हो रहा है, खत्म हो रहा है, अब उसका अस्तित्व ही नहीं रहा है ; लेकिन जब करारोपण का सवाल उठता है और शुल्क निर्धारित कराने वाले को उस से लाभ दिखता है, तो वह अपने बिखरे हुए परिवार को भी एक संयुक्त परिवार बताता है। कभी कभी आयकर अधिकारी की पकड़ से बचना भी बहुत कठिन हो जाता है। वह इस बात को मानता ही नहीं है कि आप संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य नहीं रह गये हैं। इसलिये मेरा विचार है कि इससे लाभ और हानियां दोनों ही हैं। लेकिन, मैं करारोपण प्रशासन की उन्नति चाहता हूं, इसलिये मैं तो यही कहता हूं कि संयुक्त हिन्दू परिवार का शीघ्र से शीघ्र खत्म होना ही देश को लिये अधिक अच्छा होगा।

मैं तो समझता हूं कि सभी के लिये अच्छा होगा, क्योंकि आज संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य का भी अपना अलग एक व्यक्तिगत अस्तित्व होता है। मलाबार में संयुक्त हिन्दू परिवार की इस प्रणाली का सब से अधिक जोर है, वहां भी स्थिति यही है। वहां सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में कठिनाई पैदा होने का कारण ही यह है कि संयुक्त हिन्दू परिवार की प्रणाली तो खत्म हो गयी है, लेकिन उस का स्थान लेने के लिये किसी दूसरी प्रणाली का जन्म नहीं हो पाया है।

डा० कृष्णास्वामी ने कल्डोर द्वारा सुझाई गई प्रणाली को अपनाने के लिये कहा है। शायद प्रवर समिति में हमें फिर से उन के विचार सुनने का अवसर मिलेगा।

मैं साधन गुप्त द्वारा बताये गये चरम उद्देश्य से सहमत नहीं हूं। उद्देश्य तक पहुंचने के मार्ग के सम्बन्ध में तो हम दोनों सहमत हैं, लेकिन हम दोनों के चरम उद्देश्य भिन्न भिन्न हैं। हमारे देश के जीवन में वेदान्ती दृष्टिकोण ही हावी रहा है इस लिये श्री साधन गुप्त की सहमति कुछ भी स्वाभाविक नहीं है। हम अभी तो इस समय केवल यही चाहते हैं कि लोग यह स्वीकार कर लें कि हम समाजवादी समाज के निर्माण के लिये प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन हम यह नहीं चाहते कि उस का निर्माण करने के दौरान में सभी वर्तमान चीजों को बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाये। हम पुनर्रचना में विश्वास करते हैं, और श्री साधन गुप्त ध्वंस में। हमारे दृष्टिकोणों में यही अन्तर है। उन्होंने कुछ कठिनाइयां बताई हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि उन में से कुछ कठिनाइयां तो ऐसी हैं जो उद्देश्यों के प्रति हमारे दृष्टिकोणों के अन्तर से पैदा होती हैं। और, कुछ कठिनाइयां ऐसी भी हैं जो उन की अपनी भ्रान्तियों के कारण पैदा हुई हैं, इसलिये पैदा हुई हैं कि उन्होंने सरकार के विचारों को सही ढ़ंग से नहीं समझा है। इन के अतिरिक्त शेष कठिनाइयों की परीक्षा की जायेगी और यथा सम्भव उन को दूर किया जायेगा।

श्री भरूचा का सुझाव है कि हमें व्यय की गणना करने की श्री कल्डोर की प्रणाली अपना लेनी चाहिये। पता नहीं प्रोफेसर कल्डोर भी इसे अपनाने पर इतना ही जोर देना चाहते थे या नहीं। करारोपण प्रशासन की प्रणाली का निर्णय प्रशासन पर ही छोड़ देना ठीक होगा। सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से उन का सुझाव ठीक हो सकता है, लेकिन व्यवहार में वह सम्भव नहीं होगा।

उदाहरण के लिये भूमि कर के सम्बन्ध में मेरे अपने कुछ विचार दस साल से बने हुए हैं। मैं ने उनके सम्बन्ध में कुछ कार्य भी किया है। मेरी भावना है कि यदि सम्बन्धित अधिकारी मेरी सलाह पर चलें तो उस से अधिक राजस्व प्राप्त किया जा सकता है और उस से छोटे-मोटे भूस्वामियों, या कम से कम उन को जिन के पास बिक्री के लिये फालतू उपज होती ही नहीं, कम कठिनाई होगी।

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

लेकिन, मेरे ऐसा कहने पर कई मंत्री रुष्ट हो जाते हैं। वे शायद यह सोचते हैं संघीय वित्त मंत्री शायद उन पर दबाव डालेगा कि वे अपनी भूमि की प्रणाली में परिवर्तन कर दें। उन्हें शायद यह मालूम नहीं है कि वित्त मंत्री के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है, और फिर वित्त मंत्री के भी तो कुछ विचार ऐसे हो सकते हैं, जो केवल शुद्ध सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से ही सही लगते हों। मेरे विचार भी उतने ही शुद्ध सैद्धान्तिक हैं, जितने कि इस विषय के संबंध में श्री कल्डोर के हैं। इसीलिये, उन की मान्यता भी उन से अधिक नहीं है।

मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करता हूं कि यदि मेरे भाषण में कुछ बातें रह गई होंगी, तो प्रवर समिति उन को देख लेगी। राजस्व केन्द्रीय बोर्ड के सचिवालय में हम यही प्रयत्न करेंगे कि इसे एक ऐसे रूप में रखा जाये जो प्रवर समिति के लिये वांछनीय हो।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि व्यय पर कर लगाने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को श्री अशोक कु० सेन, श्री हेडा, श्री प्रफुल्ल चन्द्र बरुआ, श्री रा० जगन्नाथ राव, श्री मुहम्मद खुदाबख्श, श्री नरेन्द्र भाई नथवानी, श्री शिवराम रंगो राने, श्री आनन्द चन्द्र जोशी, डा० मेलकोटे, ज्ञानी गुरुमुख सिंह मुसाफिर, श्री सोमानी, श्री मुरारका, श्री फिरोज गांधी, श्री च० द० पांडे, श्री त्रिभुवन नारायण सिंह, श्री हजारनवीस, श्री म० रं० कृष्णा, श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा, डा० राम सभग सिंह, श्री नेमीचन्द्र कासलीवाल, श्री तैयब जी, श्री फतेह सिंह राव, प्रताप सिंह राव गायकवाड़, श्री पेरियास्वामी गौंडर, श्री व० रा० भगत, श्री मल्लय्या, श्री रंगा, श्री नारायणन् कुट्टि मेनन, श्री प्रभात कार, श्री बिमल कुमार घोष, श्री लैसराम अचौ सिंह, श्री खाडिलकर, श्री मसानी, श्री कर्णी सिंह जी, डा० कृष्णास्वामी और प्रस्तावक की एक प्रवर समिति को सौंपा जाय और इसे १२ अगस्त, १९५७ तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुदेश दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*अनुदानों की मांगें (रेलवे)

†**सभापति महोदय** : अब हम रेलवे से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर विचार करेंगे।

चूंकि अब इस समय सभा में उपस्थिति काफी कम हो गई है, और शायद सभी माननीय सदस्यों को यह मालूम भी नहीं था कि यह वाद-विवाद पांच बजे तक चलेगा, इसलिये कटौती प्रस्ताव कल प्रश्न काल के बाद एक घंटे तक दिये जा सकते हैं।

क्या रेलवे मंत्री आरम्भ में कुछ कहना चाहते हैं।

†**रेलवे मंत्री** (श्री जगजीवन राम) : जी, नहीं।

सभापति महोदय द्वारा १९५८ वर्ष के लिये अनुदान की यह मांग प्रस्तुत की गयी :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
१	रेलवे बोर्ड	४१,७०,००० रुपये

†**श्री त० ब० विट्ठलराव**: (खम्मम्) : मैं इस सम्बन्ध में आप का ध्यान रेलवे कर्मचारियों के कष्टों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

---

† मूल अंग्रेजी में

*राष्ट्रपति की सिफ़ारिश से प्रस्तुत।

हाल ही में रेलवे कर्मचारियों के वेतन क्रम में परिवर्तन की घोषणा की गई थी। गत सत्र में, माननीय मंत्री ने कहा था कि उस से बहुत से कर्मचारियों को लाभ होगा।

१० फरवरी, १९५७ को कहा गया था कि उस से ३,००० सिगनलरों को लाभ होगा।

मैंने उस की जांच कर के देखा है रेलवे में कुल मिला कर ३,४०० सिगनलर हैं, और उस परिवर्तन से केवल १,२०० या १,५०० को ही लाभ पहुंचेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब तक रेलवे कर्मचारियों को सेवा-काल के हिसाब से सुविधायें नहीं दी जातीं, अधिक सेवा काल वाले कर्मचारियों को अधिक-वेतन-वृद्धि की व्यवस्था नहीं की जाती तब तक उन्हें कोई अधिक लाभ नहीं हो सकेगा। केन्द्रीय वेतन आयोग ने भी सिफारिश की थी कि तीन वर्ष के प्रत्येक सेवा काल के बाद एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि होनी चाहिये। इसीलिये, वरिष्ठ कर्मचारियों के लिये एक और वेतन वृद्धि की व्यवस्था की गई थी।

वरिष्ठ रेलवे कर्मचारियों को सेवा-काल के अनुसार वेतन-वृद्धि देनी ही चाहिये। यह उन का अधिकार है, और किसी भी कारण से उन्हें इस से वंचित नहीं करना चाहिये। वे तभी संतुष्ट होंगे।

दूसरी बात यह है कि मंहगाई भत्ते में भी वृद्धि करना आवश्यक है। केन्द्रीय वेतन आयोग ने व्यवस्था की थी कि मूल्यों में प्रत्येक २० अंकों की वृद्धि पर पांच रुपये की वृद्धि की जानी चाहिये। अब मूल्यों के देशनांक ४२० तक पहुंच गये हैं। मूल्यों में कमी की कोई भी आशा नहीं है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अब मूल्य इसी स्तर पर स्थायी हो जायेंगे। इसलिये, कम से कम वेतन आयोग की सिफ़ारिश को तो कार्यान्वित करना ही चाहिये, हालांकि वह २८० देशनांक के समय की गई थी।

द्वितीय वेतन आयोग की स्थापना के सम्बन्ध में रेलवेज़ को ही पहलक़दमी करनी चाहिये। १९५० में उचित तनखा समिति ने कर्मचारियों के वेतन-ढांचे की जांच करने की सिफ़ारिश की थी, लेकिन वेतन-ढांचा निर्धारित करते समय उसके सिद्धान्तों पर भी ध्यान नहीं दिया गया है।

संविधान के निदेशक तत्वों के अनुसार राज्य को निर्वाह मजूरी देनी चाहिये, लेकिन आज तक केवल न्यूनतम वेतन की व्यवस्था की गई है, जो उचित तनखा तक नहीं है।

अब विकास कार्यों को लीजिये। हाल ही में, रामगुन्दम् को निजामाबाद से मिलाने के सिलसिले में एक यातायात सर्वेक्षण किया गया था। मध्य रेलवे ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में ही ढाई साल लगा दिये थे। अब वह प्रतिवेदन रेलवे बोर्ड के पास पहुंच गया है, लेकिन मैंने सुना है कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना में उस पर कार्य नहीं होगा, क्योंकि सरकार गुना से उज्जैन तक एक लाइन डालने का विचार कर रही है। यह उचित नहीं होगा, क्योंकि यह लाइन आन्ध्र प्रदेश के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उस क्षेत्र में काफी औद्योगिक विकास हो चुका है, और इस लाइन के अभाव में वहां गतिरोध पैदा हो जायेगा।

मेरा अनुरोध है कि इस लाइन पर कार्य आरम्भ होना चाहिये।

इसके अतिरिक्त काज़ीपेट से मांचेर्ला होती हुई और नेल्लोर तक एक लाइन बनाने के लिये इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण होना चाहिये।

रेलवे कर्मचारियों के कार्मिक संघों को मान्यता देने की नीति भी ठीक नहीं है। हमें इसे यथार्थवादी दृष्टिकोण से देखना चाहिये और यह भली प्रकार समझ लेना चाहिये कि रेलवे कर्म-

चारियों के 'नैशनल फेडरेशन' और 'नैशनल रेलवे यूनियन' के नेतृत्व के बीच के मतभेद को समाप्त नहीं किया जा सकता। दोनों को मिलाकर एक निकाय बनाने के सभी प्रयत्न असफल रहे हैं। रेलवे मंत्री ने स्वयं उसका प्रयत्न करके देख लिया है। 'नैशनल फेडरेशन' अपनी सदस्य संख्या २ लाख बताता है, और 'नेशनल रेलवे यूनियन' १ लाख से कुछ अधिक। इन दोनों को ही रहने दीजिये, दोनों को ही मान्यता दे दीजिये। इससे कुछ तो औद्योगिक शान्ति का वातावरण बनेगा। अन्यथा, रेलवे बोर्ड रेलवे कर्मचारियों की इस फूट का अनुचित लाभ उठायेगा।

इसके बाद, मैं रेलवे के प्रैसों के सम्बन्ध में कहूंगा। हम मितव्ययता की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, रेकिन रेलवे प्रैस अपनी क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग नहीं करते। कई जगह तो पत्रिकायें आदि बाहर के प्रैसों में छपाई जाती हैं। कलकत्ता और सिकन्दराबाद दोनों ही स्थानों के रेलवे प्रैसों में मुद्रण की विशाल क्षमता होने पर भी, वहां बाहर के प्रैसों से काम कराया जा सकता है। मैंने माननीय मंत्री के पास इसके सम्बन्ध में एक अभ्यावेदन भेजा था, लेकिन अभी उसका उत्तर नहीं मिला है। दो-तीन वर्ष पहले हमें बताया गया था कि रेलवे मुद्रण प्रैसों के पुनर्गठन की सम्भावनाओं की जांच के लिये दो अधिकारियों को प्रत्यायोजित किया गया था। पता नहीं उन्होंने क्या प्रतिवेदन दिया है, या उस पर क्या कार्यवाही हुई है। रेलवे से बाहर के प्रैसों में काम करने की के कारण की जांच होनी चाहिये।

एक बात यह भी है कि ये रेलवे प्रैस फेक्टरी अधिनियम के अधीन तो हैं, लेकिन तमाम बातों में अधिनियम की व्यवस्थाओं को कार्यान्वित नहीं किया जाता। हमें उनको कार्यान्वित करना और रेलवे प्रैसों को उचित ढंग से संरक्षित करना चाहिये, अन्यथा उनमें चोरियां और अपव्यय होता ही रहेगा।

रेलवे कर्मचारियों पर लागू किये जाने वाले कार्यकारी भत्ते नियमों में भी बड़ी असमानता है। हमने कुछ असमानतायें दूर भी की हैं, जैसे छुट्टी सम्बंधी असमानता। कार्यकारी भत्तों के मामले में भी, तीसरी श्रेणी पर लागू होने वाले नियमों को चौथी श्रेणी के कर्मचारियों पर भी लागू करना चाहिये।

कार्यकारी भत्ते की संगणना की पद्धति भी बड़ी विचित्र है। यदि कोई व्यक्ति ४२ दिनों से एक दिन भी कम के काल के लिये स्थानापन्न रहता है तो उसे कार्यकारी भत्ता नहीं मिलता। इतना ही नहीं, यदि कोई अधिकारी एक महीने की छुट्टी पर जाये, तो उसके लिये स्थानापन्न अधिकारी को कार्यकारी भत्ता तो मिलेगा ही नहीं, बल्कि यदि छुट्टी बढ़ायी जाये, तो केवल बढ़ी हुई छुट्टी के काल के लिये ही कार्यकारी भत्ता दिया जायेगा। इस असमानता को दूर करना आवश्यक है।

रेलवे बोर्ड के सम्बन्ध में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि भारत सरकार के अन्य किसी भी विभाग में इतना प्रसार नहीं हुआ है। हम मितव्ययता की तो इतनी गुहार मचा रहे हैं, लेकिन रेलवे बोर्ड में पहले बढ़ाये हुये दो सदस्यों के बाद भी अब पांच या सात अतिरिक्त सदस्य नियुक्त किये जा रहे हैं। क्या इस पर विचार किया गया है कि उन में से प्रत्येक कितना-कितना कार्य करेगा? पहले चार सदस्यों का ही बोर्ड था, लेकिन अब दस से अधिक सदस्य हैं। क्या इसमें कमी नहीं की जा सकती?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** इस चर्चा को कल जारी रखा जायेगा। अभी मुझे एक ही माननीय सदस्य से कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सूचना मिली है। माननीय सदस्य अपना कटौती प्रस्ताव संख्या ५६ प्रस्तुत कर सकते हैं।

निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१	श्री फ्रैंक एन्थनी	रेलवे कर्मचारियों की निर्योग्यतायें	१०० रुपये

इंफ्लुएंजा महामारी

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता-पूर्व) : यह एक महत्वपूर्ण चर्चा है। मैं सब से पहले आपको बताना चाहता हूं कि यह महामारी फैली क्यों थी और क्या हमने उसके निदान के लिये सभी कुछ किया है। इस महामारी की कुछ ऐसी विशेषतायें देखने में आयी हैं जिन से भारी खतरा पैदा होता है।

सबसे पहले तो यह कि इसका प्रकोप पूरे देश भर में बड़ी भयंकरता से हुआ था। एक पुस्तिका में इसके सम्बन्ध में कुछ आंकड़े दिये गये हैं।

लेकिन, उन आंकड़ों पर विश्वास नहीं जमता। यह इसलिये कि उसमें पश्चिमी बंगाल में इससे पीड़ित होने वाले व्यक्तियों की संख्या ७२,७०० ही बताई गई है, जब कि मैंने स्वयं देखा है कि अकेले कलकत्ते में ही पीड़ितों की संख्या ७२,००० से कहीं अधिक थी।

इससे मरने वालों की संख्या देखने से ही पता चल जाता है कि पश्चिमी बंगाल सम्बन्धी आंकड़ों में कुछ गोलमाल है। मद्रास में पांच लाख पीड़ितों में से केवल ५९ ही मरे, लेकिन पश्चिमी बंगाल के ७२,००० पीड़ितों में से २११ की मृत्यु हो गई !

इसका कारण यह है कि कलकत्ता में बहुत कम मरीजों ने अपने नाम दर्ज कराये थे। वे अपने आप ही ठीक हो गये थे।

अन्य राज्यों में भी यही हुआ होगा। सब से अधिक महत्व की बात तो यह है कि इससे कई स्थानों पर समस्त सार्वजनिक जीवन अस्तव्यस्त हो गया था। व्यापार, शिक्षा, डाक व तार— सभी पर इसका प्रभाव पड़ा था।

इसीलिये यह प्रश्न उठता है कि क्या देश में इसे रोकने के लिये सभी संभव उपाय किये गये थे। यह कहना कठिन है। यह सभी जानते हैं कि हमारे देश में यह बीमारी सिंगापुर और मलाया से ही आई थी।

इसे रोकने के लिये किये गये उपायों की एक लम्बी सूची पेश की गई है। लेकिन, मेरा विचार है कि निरोधात्मक उपाय सन्तोषजनक रूप से नहीं किये गये थे। जहाजों के मरीजों को देश में न उतरने देने की व्यवस्था सन्तोषजनक नहीं थी। अन्यथा यह रोग हमारे देश में आ ही नहीं पाता। उस सूची में यह नहीं बताया गया कि बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में कितने

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री साधन गुप्त]

जहाजों को बन्दर पर आने से रोका गया था। जहाजी यात्रियों द्वारा ही इसका प्रसार हुआ होगा। मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि अब दूसरी बार इसके प्रकोप की संभावना है, और पूना में दूसरी बार शुरू भी हो चुका है। इस महामारी का आक्रमण दूसरी बार होता ही है। वैज्ञानिक की यही राय है। इसलिये, हमें अब भविष्य में अधिक सतर्क रहना चाहिये, और उस दशा में जहाजों को पूरी तौर पर रोक देना चाहिये, वे हमारे बन्दरों पर आ ही न सकें।

दूसरी बात यह है कि बहुत बड़े पैमाने पर रोक-रोध के उपाय करने चाहियें। पुस्तिका में कहा गया है कि सार्वजनिक रूप में टीके लगाना संभव नहीं हो सकेगा। हमें इसका प्रयास करना चाहिये। अन्य देशों में इसकी 'वैक्सीन' तैयार की जा चुकी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारे देश में उसे एक बड़े पैमाने पर तैयार करने में क्या कठिनाई है। इंगलैण्ड, अमरीका और आस्ट्रेलिया में तो बड़े पैमाने पर यह 'वैक्सीन' तैयार की जा रही है। हमें विश्व स्वास्थ्य संगठन के ज़रिये इन देशों से इसकी वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करके इसे बड़े पैमाने पर तैयार करना चाहिये।

'वैक्सीन' के अलावा, अन्य प्रकार के निरोधात्मक टीकों की संभावना पर भी विचार करना चाहिये। अभी कलकत्ता के एक डाक्टर ने एक लेख में लिखा है कि नये-नये नीरोग हुये मरीजों का रक्त अन्य रोगियों के शरीर में पहुंचाने से वे भी अच्छे होने लगते हैं। इस पद्धति की जांच करनी चाहिये। सार्वजनिक पैमाने पर निरोधात्मक टीके लगाने के विचार को त्याग नहीं देना चाहिये। टीकों के अतिरिक्त, अन्य उपायों की सम्भावना भी देखनी चाहिये। कृमिनाशकों के प्रयोग की भी जांच करनी चाहिये। इसकी भी जांच की जानी चाहिये कि नीम् जाति के कुछ फल इसकी चिकित्सा में उपयोगी होते हैं, या नहीं। हमें दूसरी बार इसका प्रकोप नहीं होने देना चाहिये।

†**श्री वें० प० नायर** (क्विलोन): श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, हमें मंत्री महोदय की टिप्पणी से बहुत ही निराशा हुई है। इससे यही मालूम पड़ता है कि उनके मंत्रालय के अधिकारी इंफ्लुएंजा की व्यापकता पर सोते ही रहे। यह जानते हुये भी कि यह व्याधि बहुत ही शीघ्र फैल जाती है, समय पर समुचित ढंग से इसका नियंत्रण नहीं किया गया। जो कुछ हुआ वह देरी से तथा दोषपूर्ण ढंग से हुआ। इसके लिये मंत्रालय कोई बहाना नहीं बना सकता।

भारत को इस समस्या का सामना बिलकुल भिन्न ढंग से करना पड़ा। भौगोलिक दृष्टिकोण से भी इसका वार भारत में होना अधिक संभव है। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में भी ऐसा ही लिखा है कि १९१८ में जब यह व्याधि विश्व में फैली तो इसका सब से अधिक प्रभाव भारत पर रहा। उसमें १२५ लाख व्यक्ति मरे। ऐसी स्थिति में मंत्रालय को सचेत होना ही चाहिये था।

इस रिपोर्ट के अनुसार केवल ५११ व्यक्ति मरे और लगभग १६ लाख व्यक्तियों पर सका प्रभाव हुआ। एलोपैथी उपचार तो १० प्रतिशत से अधिक लोग प्रयोग में नहीं ला सके, परन्तु इंन्फ्लुएंजा तो प्रत्येक ग्राम में सैकड़ों लोगों को हुआ। हम जानना यह चाहते हैं कि मौत के कारण क्या थे। उसका कोई उल्लेख नहीं, और न ही उसका शव-परीक्षण ही हो पाया। गर्भवती स्त्री के लिये इंफ्लुएंजा बहुत भयानक बताया गया है, और इससे आने वाली नस्लों पर बहुत ही बुरा प्रभाव होगा। केवल आंकड़ों से काम नहीं चलेगा हमें इन मौतों के तथ्यपूर्ण कारण

†मूल अंग्रेजी में।

भी बताये जाने चाहियें । हम सुन रहे हैं कि इसकी पुनः एक लहर आने वाली है, पता नहीं उससे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़े ।

डाक्टरों की काफी चांदी रही । पैंसलीन का खूब प्रयोग हुआ । ऐसी ऐसी दवाइयों के लिये विज्ञापन निकले जिनका इंफ्लुएंजा से दूर का भी वास्ता नहीं था । परन्तु सरकार ने कुछ न किया । ऐसी दवाइयां करोड़ों रुपयों की बिक गईं ।

टिप्पणी में मंत्री महोदय ने लोगों के सहयोग के प्रति आभार प्रकट किया है, परन्तु सार्वजनिक संस्थाओं से सहयोग प्राप्त करने का कोई कार्यक्रम नहीं प्रस्तुत किया गया । मैं तो प्राविधिक व्यक्ति नहीं, परन्तु ऐसे ढंग अवश्य निकाले जाने चाहियें ताकि इसके वेग को पुनः आने से रोका जाय । मैं मंत्री महोदय की पीड़ित व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति और उनके उपचार की उत्सुकता से भली भांति परिचित हूं । इसीलिये मैंने सब बातें उनके समक्ष रखी हैं और चाहता हूं कि उनका मंत्रालय जागरूक रहे ताकि बाद में पश्चाताप न हो ।

†**श्री द० स० राजू** (राजामुंद्री) : इंफ्लुएंजा सम्बन्धी आंकड़े गलत हों अथवा ठीक पर यह सत्य है कि इंफ्लुएंजा से काफी लोगों को कष्ट हुआ है और सैंकड़ों जानें भी गयीं । इस बात की जांच की जानी चाहिये कि क्या यह रोग सम्पर्क से व्यापक होता है, तो हमें सम्पक कम करने पड़ेंगे । दूसरी बात यह कि इस रोग का अधिक प्रभाव घनी आबादी वाले क्षेत्रों पर ही हुआ है । कई ग्राम इससे बचे रहे । हम नये नये औद्योगिक क्षेत्र बना रहे हैं, और वहां आबादी बढ़ रही है । हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि इन औद्योगिक केन्द्रों में बसने वाले लोगों को सब प्रकार की सुविधायें देने की व्यवस्था की जाये ।

भारत की जन संख्या का औसत ३०० व्यक्ति प्रति मील है, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र में आबादी कितनी होनी चाहिये । रोगों की व्यापकता को रोकने की दृष्टि से हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये । पता चला है कि इस रोग के लिये एक टीका तैयार किया जा रहा है परन्तु उसके तैयार होने तक रोग समाप्त हो ही जायेगा । फिर आश्चर्य यह कि इसे बहुत से लोगों को कैसे लगाया जायेगा । और भी कुछ औषधियां थोड़ी दर्द आदि कम करने में उपयोगी सिद्ध हुई हैं ।

यह रोग तीन चार दिन चलता है । बहुत से मामलों में तो यह मामूली ही होता, है । परन्तु जहां यह तीव्र होता है वहां अन्य व्याधियां भी अवश्य होती हैं । वास्तव में इंफ्लुएंजा मौत का कारण नहीं बनता, उसको तीव्र अवश्य कर देता है । हो सकता है कि बनाया जाने वाला टीका पूर्णतः उपयोगी सिद्ध न हो । बी० सी० जी० के टीकों के सम्बन्ध में भी तो काफी कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ा था ।

†**डा० मेलकोटे** (रायचूर) : यह अच्छा है कि हम इस रोग के विभिन्न पहलुओं पर विचार करें । इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि इस रोग के कीटाणु वायु से भी फैल जाते हैं । वायु जीवन के लिये आवश्यक है, इसलिये इंफ्लुएंजा के लिये इससे अलग होना भी असम्भव है । पुस्तिका में कहा गया है कि १६, १७ तारीख को सिंगापुर से मद्रास में कुछ लोग आये, उन्हीं से सारे देश में यह रोग फैल गया । यह सब वायु की ही करामात है । इस मामले में मेरा कहना यह है कि सब को एक सा उपचार मिलना चाहिये । गरीब अमीर का भेद भाव नहीं होना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[डा० मेलकोटे]

उसी पुस्तिका से पता चलता है कि मंत्रालय द्वारा भारत के सभी भागों में समुचित औषधियां भेजी गयी। हो सकता है कि वह काफी न हों, परन्तु लक्ष्य तो उनके सामने स्पष्टतः था ही।

इस रोग की औषधि का आविष्कार तो अभी तक हुआ नहीं। एस्प्रो इत्यादि को इस रोग के लिये लाभदायक बताने का प्रचार कोलम्बो रेडियो से होता रहा है। कुछ अखबारों में भी इसका विज्ञापन चलता रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय को इस ओर ध्यान देकर जनता के धन और स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिये। परन्तु यदि यह लोग बहुत व्यापक हो जाये तो तुरन्त हर एक का उपचार तो असम्भव ही हो जाता है। रोगियों को अलग रखना भी लगभग असम्भव सा ही है।

टीका जिस मात्रा में बना रहे हैं, उससे भी स्थिति का मुकाबला करना कठिन ही लगता है। सरकार चाहती हुई भी ३६ अथवा ३८ करोड़ व्यक्तियों के लिये उसकी व्यवस्था नहीं कर सकती। यदि अपेक्षित मात्रा में यह तैयार भी हो जाये, तो यह काफी दिन चल जायेगा ? क्या उसके गुण प्रकारों में कोई अन्तर तो नहीं आ जायेगा।

अन्तिम बात जो मैं कहना चाहता हूं यह है कि सभी प्रकार के डाक्टर हकीम औषधि विशेष को लेने का परामर्श दे देते हैं। अनजान जनता को कुछ पता नहीं होता। कई परिवार तो ऐसे हैं जो दवाइयां खरीद ही नहीं सकते। इसलिये मेरा कहना है कि गरीब लोगों की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। मंत्रालय को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि रोग की आने वाली व्यापकता इससे बहुत भयंकर हो सकती है। समस्या तो कठिन है, परन्तु फिर भी इस रोग की व्यापकता को रोकने के लिये जो कुछ स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया है, वह सराहनीय है।

†**डा० सुशीला नायर (झांसी): इस समस्या के दो पहलू हैं। एक यह कि क्या इसे रोका जा सकता था और दूसरा यह कि अब इसे पुनः फैलने से कैसे रोका जाये ? मेरे विचार में यह सम्भव नहीं था, क्योंकि यह कई प्रकार के कारणों से होता है। और यह भी नहीं कि वह देश में बार बार फैलता रहेगा।**

दूसरी बात, जो अधिक महत्व की है, वह यह है कि रोग के व्यापक हो जाने पर अथवा व्यापक होते समय, उसका नियन्त्रण करना है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में जो कुछ किया उस पर उसे बधाई दी जानी चाहिये, परन्तु और भी बहुत कुछ हो सकता था, और हो सकता है। इंफ्लुएंजा से स्थिति काफी शोचनीय हो गयी थी। कई स्थानों पर तो सारा का सारा परिवार ही इससे घिर गया था। दिल्ली में तो नियन्त्रण का प्रबन्ध काफी अच्छा हुआ, परन्तु सभी राज्यों में ऐसा नहीं हो सका। मेरे क्षेत्र झांसी में, इस आपात का मुकाबला करने के लिए प्रबन्ध समुचित नहीं था।

स्वास्थ्य का विषय राज्य के अन्तर्गत है। किसी रोग के नियन्त्रण की ओर तो राज्य सरकार को ही ध्यान देना चाहिए। केन्द्रीय सरकार तो उन्हें सामान्य आदेश, और दवाइयां ही दे सकती है। वास्तविक कार्य तो सम्बद्ध राज्यों को ही करना होता है। मेरे विचार में कमी इस बात की रही कि अधिकारियों ने डाक्टरी व्यवसाय को इस के लिए तैयार नहीं किया। अधिकारी प्रायः यह कहते हुये देखे गये हैं कि डाक्टर इस मामले में सहयोग नहीं करते। परन्तु डाक्टरों का कहना था कि सहयोग

†मूल अंग्रेजी में।

के लिये उन्हें किसी ने कहा ही नहीं। इस काम के लिये डाक्टरों में जनमत पैदा करना बड़ा आवश्यक है और इस प्रकार ही जनता की सेवा की जा सकती है। जनता में जोश उत्पन्न कर सद्भावना से ऐसे कामों को संगठित किया जा सकता है। हमारे अधिकारियों को यह नहीं सोचना चाहिए कि जनता हमें सहयोग देने आयेगी। हमें जनता के पास सहयोग के लिए जाना होगा। कई वैद्य और हकीमों का भी सहयोग इस संबंध में प्राप्त किया जा सकता था।

इस व्याधि की कोई औषधि विशेष नहीं, परन्तु उसे कई प्रकार से काफी हद तक कम किया जा सकता है। एक निवेदन यह भी है कि इस सम्बन्ध में विज्ञापन बाजो पर भी कड़ा नियन्त्रण रखा जाना चाहिए। वैसे भी दवाइयों के जो विज्ञापन हमारे अखबारों में प्रकाशित होते हैं, वे बहुत ही शोचनीय होते हैं, और उनसे स्वास्थ्य को भारी खतरे की सम्भावना है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए।

श्री राधे लाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका अनुगृहीत हूं। यहां पर अभी जैसा कि बतलाया गया है सबसे पहले मद्रास में यह बीमारी आई और वहां से आगे देश के दूसरे भागों में फैली। मैं समझता हूं कि यह बीमारी हवाई जहाज से आई होगी तभी पहले मद्रास में फिर बम्बई में, कलकत्ते में और दिल्ली आदि नगरों में फैली और इन बड़े शहरों में आने के बाद उसने अन्य भागों में और छोटे छोटे नगरों में फैलना आरम्भ कर दिया है। इस समय यह बीमारी मध्य प्रदेश में काफी फैल चुकी है। यहां जो आंकड़े दिये गये हैं उनके अनुसार वहां पर केवल इंफ्लुएंजा के ८,००० केस हुए हैं जब कि १० तारीख को जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे मालूम हुआ कि इससे कहीं अधिक लोग इस बीमारी के वहां पर शिकार हुए हैं। स्वयं मेरे घर में जिसमें ८, १० आदमी थे बीमार हो चुके थे। उज्जैन के विभिन्न मुहल्लों में मैंने जाकर देखा कि काफी व्यापक रूप में यह बीमारी फैल चुकी है और उज्जैन में कई हजार आदमी इस बीमारी के शिकार थे। घर के घर बीमार पड़े थे और कोई उनको पानी देने वाला भी न था। जब मैं डिस्ट्रिक्ट मेडिकल आफिसर से मिला तो मुझे मालूम हुआ कि उनको इसकी जानकारी नहीं है कि शहर में कितने लोग बीमार हैं उनको तो अस्पताल में आने वाले लोगों की बाबत ही जानकारी थी जब कि ऐसे लोगों की तादाद काफी थी जो कि अस्पताल नहीं गये। जो आंकड़े दिये गये हैं वह वास्तव में सही नहीं हैं और कहीं अधिक लोग वहां पर इस बीमारी के शिकार हुए हैं। उसी रोज मेरे पास देहातों से पत्र आये कि देहातों के भीतर यह बीमारी व्यापक रूप में फैल गयी है। मैंने उसी वक्त डिस्ट्रिक्ट मेडिकल आफिसर को इसकी बाबत चिट्ठी भेजी, उन्होंने केवल १०० आदमियों के वास्ते दवा की गोलियां भेजीं जो कि बहुत ही नाकाफी थीं क्योंकि मध्य प्रदेश में इस महीने के प्रथम सप्ताह में यह बीमारी काफी फैल चुकी थी। आज आवश्यकता इस बात की है कि चूंकी वैक्सीन जितनी चाहिये उतनी तैयार नहीं हो सकती है इसलिए केवल एलोपेथी पर ही निर्भर न रहा जाय और हमारे देश में जो आयुर्वेद पद्धति है और जो कि पूरी और मुक्कमिल है उसका लाभ उठाया जाय। वैद्य गांव गांव में मौजूद हैं और आयुर्वेद दवाओं में इस बीमारी के लिए बहुत अच्छी दवाएं मौजूद हैं और मैं चाहता हूं कि आयुर्वेद दवाओं का भी प्रयोग किया जाय क्योंकि एलोपैथी दवा जितनी चाहिए हम गांवों में पहुंचा नहीं पाते हैं। केन्द्रीय सरकार को चाहिये कि आयुर्वेद दवाएं जो कि पर्याप्त मात्रा में देश में हर जगह मिल सकती हैं और वैद्य लोग भी काफी तादाद में गावों में होते हैं, वैद्यों की सलाह लेनी चाहिए और वैद्यों से सलाह करके पटवारियों, स्कूल मास्टरों और सरकारी कर्मचारियों के पास इसकी जानकारी करा देनी चाहिए कि अगर सारे देश में यह बीमारी फैल जाये और हो सकता है कि अंग्रेजी दवा जितनी चाहिए सुलभ न हो सके तो उस हालत में आयुर्वेद में ऐसी कौन सी दवाई है जोकि उस बीमारी में दी जा सकती है। इस तरह की जानकारी होने से देहातों में जहां अक्सर अंग्रेजी दवाएं वक्त पर और जरूरत मुताबिक नहीं पहुंच पाती हैं, आयुर्वेद दवा को इस्तेमाल करके लाभ उठा सकेंगे।

[श्री राधे लाल व्यास]

इसके अतिरिक्त मैं ने उज्जैन में देखा कि वहां सफाई की ओर जितना ध्यान अधिकारियों का जाना चाहिए था उतना नहीं गया। अधिकारियों का ध्यान सफाई बनाये रखने की ओर विशेष रूप से दिलाना चाहिए क्योंकि अगर सफाई नहीं रहती है तो यह बीमारी फैलने का ज्यादा डर बना रहता है अगर अभी से इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो मुझे भय है कि हमें भयंकर स्थिति का सामना करना पड़ सकता है और ऐसी स्थिति हमारे सामने पैदा हो सकती है कि जिसका सम्हालना मुश्किल हो सकता है ।

सन् १९१८ में श्रीमान् जब यह बीमारी हमारे देश में फैली, यह काला बुखार, और जिसके कि कारण लोग अभी भी घबराये हुए हैं क्योंकि मिनिस्टर महोदय ने प्रश्नोत्तर के समय कहा था कि इंफ्लुएंजा की देश में दूसरी वेव आने का खतरा मौजूद है। उस समय भी पहले इसका माइल्ड अटैक हुआ था, मामूली रूप में शुरू हुई थी और खत्म भी हो गई लेकिन अक्तूबर के महीने में फिर यह बीमारी आई और उसने उस समय करीब १ करोड़ या डेढ़ करोड़ लोगों को मृत्यु के मुंह में ढकेल दिया। अभी तो फिलहाल उसका भय नहीं है लेकिन इंफ्लुएंजा वेव जापान में चल रही है और अब के उसके साथ डिस्सेंटरी है और इस सेकेंड वव की बाबत लोगों में एक डर समाया हुआ है कि अगर वह हमारे देश में आ गई तो क्या होगा। लोगों में जगह जगह गांवों में इसको लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। उज्जैन में मैं ने देखा कि जो वैद्य और डाक्टर थे वह भी बीमार हो गये थे लोगों का इलाज करते करते। मैं चाहूंगा कि वैद्यों और डाक्टरों को इस बात का प्रीकाशन लेना चाहिए कि वे बीमार न पड़ें क्योंकि उनके बीमार पड़ जाने से लोगों का इलाज रुक जायगा, इसके लिए जो वैद्य वैक्सीन तैयार हो पहले उन्हीं को देना चाहिये ताकि वह ठीक रह कर इलाज कर सकें और खुद बीमार न पड़ जायें। मेरा सुझाव यह है कि इस बीमारी के आयुर्वेदिक इलाज की जानकारी देश भर में करा दी जाय ताकि यह जो सेकेंड वेव आफ इंफ्लुएंजा आने का खतरा है उसका सामना करने के लिए आवश्यक मात्रा में देश भर में जगह जगह पर आयुर्वेदिक दवाएं और अंग्रेजी दवाएं जुटाई जा सकें और हमें उस तरह की स्थिति का सामना न करना पड़े जैसे कि सन् १९१८ में हमें इस बीमारी के वक्त करना पड़ा था कि लोगों को समय पर पर्याप्त मात्रा में दवा सुलभ नहीं हो सकी थी। आज भी दवाएं सुलभ नहीं है और जब मैं ने इसकी बाबत डिस्ट्रिक्ट मैडीकल आफिसर से बात की और मैंने कहा कि अगर पैसे की जरूरत हो तो हम लोग चन्दा करें तो उन्होंने कहा कि पैसा तो है लेकिन बाजार में दवा उपलब्ध नहीं है। आप भुपाल जा रहेहैं तो वहां हेल्थ मिनिस्टर को कहिये। मैंने वह इनफारमेशन उनको पास आन कर दी। कहने का तात्पर्य यह है कि आज भी हमारे वहां दवाएं नहीं मिल रही हैं और हमारे मध्य प्रदेश में यह बीमारी गांवों में फैल गयी है, इसलिए इस ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और जैसे भी हो दवा का समुचित प्रबन्ध करना चाहिए और अंग्रेजी दवा चूंकी जरूरत के मुताबिक नहीं मिल पाती इसलिए मैंने सुझाव दिया है कि आयुर्वेदिक पद्धति का सहारा लेना चाहिए और वैद्यों का भी सहयोग लिया जाना चाहिये क्योंकि आयुर्वेदिक दवाएं भारत के हर गांव और कस्बे में सुलभ हैं।

मध्य प्रदेश में जहां इस का प्रकोप हो रहा है मैं चाहता हूं कि केन्दीय सरकार को उसकी बाबत नियमित रूप से जानकारी मिलती रहनी चाहिये कि वहां पर कैसी हालत है और प्रति सप्ताह वहां की रिपोर्ट भारत सरकार के पास आती रहनी चाहिए ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो कुछ कर सकती है वह करे।

†**श्री जोकीम आल्वा** (कनारा) : मैं मैसूर का हूं। मैसूर के शीरोगा जिले में एक बुखार फैला था, उसकी गवषणा के लिये भारतीय और विदेशी लोग वहां गये थे। क्या उस बुखार को रोकने के लिये भारत सरकार ने जो पग उठाये थे, वही इंफ्लुएंजा को रोकने के लिए उठाये जा रहे हैं। दो

†मूल अंग्रजी में

वक्ताओं ने रेडियो और अखबारों में चल रहे विज्ञापनों का उल्लेख किया है। यह विज्ञापन-बाजी अच्छे अच्छे अखबारों में चल रही है। सरकार को इसे रोकना चाहिये।

स्वास्थ्य मंत्री को अस्पताल में जब रोगियों को देखने जाना हो, तो उन्हें मुंह ढक कर नहीं जाना चाहिए। गरीब परिवारों में यह भावना पैदा नहीं होनी कि बड़े लोगों के बचाव के लिये तो सब कुछ है और छोटे ऐसे ही मर रहे हैं। डा० सुशीला नायर ने ठीक कहा है कि कई परिवारों को पीने के लिये पानी भी नहीं मिल रहा था।

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने यह प्रश्न उठाया और आपने उसे प्राथमिकता दी। हमारी तो स्वभावत: यह इच्छा रहती ही है कि जनता और सभा के सदस्य जानने वाली बातों की जानकारी प्राप्त करें। और उन्हें सभी प्रकार के सझाव प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाये, जिनसे कि लाभ उठाया जा सकता है। जो कुछ भी लाभदायक हो सकता था वह सभा में कहा जा चुका है। यद्यपि गत दो मास में रोग की व्यापकता तो बहुत ही भयंकर थी परन्तु फिर भी हमने काफी गंभीरतापूर्वक वाद विवाद में भाग लिया है। आम तौर पर ऐसे अवसरों पर लोग बहुत उत्तेजित हो जाते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सभा की चर्चा में कोई आंतक की भावना नहीं थी।

मुझे यह भी प्रसन्नता है कि उन कठिनाइयों को भी प्रस्तुत करने का प्रयन्न नहीं किया गया जिन्हें कि कृत्रिम कहा जा सके। और उनके रास्ते में रूकावट बन रही हैं जो कि इस रोग के उपचार को व्यवस्था कर रहे हैं। अब तो काफी सीमा तक इस पर काबू पा लिया गया परन्तु सम्भावना है कि निकट भविष्य में यह गम्भीर रूप धारण न कर ले।

विवाद के सम्बन्ध में सब से प्रथम मैं उन बातों को लूंगा जो कि माननीय सदस्यों ने कही हैं और तत्पश्चात् सामान्य विचार प्रकट करूंगा।

मैं स्पष्टता स्वीकार करता हूं कि मुझे विवाद को प्रारम्भ करने वाले अपने सहयोगी मित्र के विचारों से काफी निराशा हुई है। मैं उनसे कुछ ठोस बातों की आशा करता था। परन्तु जो कुछ उन्होंने कहा है वह न तो हमारे लिये ही लाभदायक है और न ही रोग के उपचार में ही कुछ सहायक हो सकता है।

पहले उन्होंने आंकडों की बात कही। हमने कभी यह नहीं कहा कि यह आंकडे स्थिति का परिपूर्ण रूप प्रस्तुत करते हैं। यह आंकडे राज्यों द्वारा, अपने अधिकारियों से प्राप्त कर प्रस्तुत किये गये हैं। अधिकारी वर्ग इस काम में लगे डाक्टरों इत्यादि से ही यह आंकडे एकत्रित करते हैं। और इसी कारण हमने सभा में इस सम्बन्ध में कोई भी अधिकृत बात नहीं कही। विवरण में, इंफ्लुएन्जा के मामले और उनसे हुई मौतें दिखलाई गयी थीं। मेरे विचार में मेरे मित्र श्री साधन गुप्त बड़ी सरलता से इस बात को स्वीकार कर लेंगे कि हमने किसी गलत बात का दावा नहीं किया। यह तो ठीक ही है, और यह किसी के बताने की बात नहीं कि यह संख्या बहुत अधिक है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने रिपोर्ट नहीं की। इस कारण इस बात को हमने इस प्रकार के गम्भीर प्रकाशन में सम्मिलित नहीं किया।

दूसरी बात जो मेरे मित्र श्री साधन गुप्त ने कही कि काफी गड़ बड़ हुई। मैं इस से पूर्णत: सहमत हूं, और इसी लिये मैं इस कठिनाई की ओर अधिक सचेत होने को कहता हूं। क्योंकि कुछ राज्यों में अभी यह रोग चल रहा है और इसके पुन: फैलने का भी भय है।

केवल एक बात जिसका कि मैं वास्तव में उत्तर देना चाहता हूं वह यह है कि उनका कहना है कि रोग निरोध का समुचित प्रबन्ध नहीं किया गया। मेरे विचार में उन्होंने इस छोटे से विवरण को

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री करमरकर]

ठीक ढंग से पढने का समय नहीं निकाला, नहीं तो वह ऐसी बात न करते। हमने यह बताया कि मद्रास पत्तन पर पहले दो जहाज आये तो उनके निरोध की व्यवस्था की गयी, और खर्चा कर के भी पत्तन से ३½ मील दूर पूरे पांच दिन तक निरोधात्मक कार्यवाही की। इसमें कुछ खतरा भी मोल लेना पड़ा। मद्रास जन स्वास्थ्य विभाग की ओर से कुछ कर्मचारी, डाक्टर और नर्सें भी वहां पहुंचे। ये सब लगभग १०० की संख्या में थे। ३० डाक्टर और ७० नर्सें थी। ये सब रात के समय गये, खतरा भी उठाया, और उनमें से दस को इंफ्लुएन्जा हो गया। और कुछ हो ही नहीं सकता परन्तु हमने निरोध के सम्बन्ध में कोई कसर बाकी नहीं रखी। जो कुछ हमारी मानवीय शक्ति से सम्भव हो सका वह हमने कर दिया। हमने सभी राज्यों को भी सचेत कर दिया और मुझे बिलकुल विश्वास है कि जो कुछ भी सम्भव है वह उन्होंने किया है। कोई लापरवाही नहीं की गयी, और यदि किसी प्रकार की लापरवाही की ओर मेरा ध्यान दिलाया जाय तो हम तुरन्त उसे राज्य सरकारों के ध्यान में लायेंगे, परन्तु अभी तक राज्य सरकारों ने बहुत ही उत्तम कार्य किया है।

दूसरी बात मैं पटना में हुए इन्फ्लुएंजा के दूसरे दौर के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। जैसा कि मैं कल बता चुका हूं कुछ विशेषज्ञों की यह राय है कि दूसरा दौर प्रारम्भ हो सकता है तथापि इसका आना निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। इसलिये हमें इस सम्बन्ध में घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं सभा को यह आश्वासन देता हूं कि राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार, उपलब्ध संसाधनों के द्वारा, यथासम्भव सभी कार्यवाही कर रही हैं।

जहाँ तक रक्त देने का सुझाव है प्रश्न यह होता है कि क्या हाल ही में चंगा हुआ इन्फ्लुएंजा का कोई रोगी रक्त देने को तैयार होगा। यदि कोई व्यक्ति रक्त देने को तैयार हो भी तो, रक्त को दूसरे के शरीर में पहुंचाने का कार्य बहुत सावधानी से करना होता है। यदि इस तरीके को अपनाया भी जायेगा तो भी यह उन्हीं चिकित्सा अधिकारियों के द्वारा ही काम में लाया जायेगा जिनके अधीन रोगी होंगे।

मेरे एक माननीय मित्र ने नीबू का सुझाव दिया है। यह सुझाव व्यावहारिक है। वस्तुतः हम सभी को ऐसे कार्य करने चाहियें जिन से इस रोग की रोकथाम हो सके।

यहां पर मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि अनुभव से यह ज्ञात हुआ है कि यद्यपि इन्फ्लुएंजा सारे देश तथा अन्य नगरों में भी फैल गया है तथापि घने बसे हुये स्थानों में इसका अधिक प्रकोप हुआ, जिससे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुये वहां सार्वजनिक सफाई इत्यादि पर तुरन्त ध्यान देना अत्यावश्यक है। इसलिये राज्य अथवा स्थानीय संस्थाओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य रक्षा इत्यादि के मामलों में ढील नहीं देनी चाहिये।

व्यक्तिगत स्वास्थ्य रक्षा भी महत्वपूर्ण है। मुझे बताया गया है कि सभी लोग अपनी अपनी सलाह दे रहे हैं। समाचार पत्रों में भी वैद्यों के बहुत से पत्र प्रकाशित हुये हैं। जिनमें उन्होंने अपने द्वारा आविष्कृत औषधियों का प्रभाव बताया है तथा सरकार को उन्हें बहुत बड़ी मात्रा में खरीदने की सलाह दी है। सरकार को किसी विशेष नुसखे से ले कर योगासन करने तथा हर सम्भव तरीके को अपनाने की सलाह दी गई है। यह बहुत अच्छी बात है इससे ज्ञात होता है कि जनता इस रोग का सामना करने के लिये कटिबद्ध है।

कुछ भी हो, सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत स्वास्थ्य रक्षा से, इस रोग के दूसरे दौर में बहुत सहायता मिल सकती है। इन्फ्लुएंजा का दूसरा दौर आना सम्भव नहीं है क्योंकि सार्वजनिक

स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस तत्परता से इस बार कार्य किया है, उससे मुझे विश्वास है कि इन्फ्लुएंजा को दूबारा भारत में आने का साहस नहीं होगा। तथापि हमने इस सम्बन्ध में कोई उपेक्षा नहीं की है।

श्री वें० प० नायर ने कल कुछ अन्तर्बाधा दी थी। अतः मैं उनसे कुछ शब्द कहना चाहता हूं। कल से आज तक उन्हें बहुत सी बातें ज्ञात हुई होंगी। मैं ने सोचा था कि वे पुनः रेडियो सक्रियता की बातें कहेंगे। मुझ प्रसन्नता है कि अब उन्हें सच्ची बात ज्ञात हो गई। इसलिये आज उन्होंने इस सम्बन्ध में बहुत कम बातें कहीं। आज वे इस बात से सहमत ज्ञात होते हैं कि इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है।

उनके द्वारा कही गयी एक बात से मुझे यह ज्ञात होता है कि उन्होंने १९१८ में हुई पहिली महामारी के सम्बन्ध में काफी अध्ययन किया है। क्योंकि इस सम्बन्ध में इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में बहुत जानकारी दी गई है। किन्तु वे वर्तमान महामारी के सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सके।

वर्तमान महामारी के सम्बन्ध में उन्होंने केवल विज्ञापनों के विरुद्ध शिकायतें की। इस सम्बन्ध में बहुत से विज्ञापन प्रकाशित होते हैं सभी को दण्ड देना संभव नहीं है।

उदाहरण के लिये साबुन का विज्ञापन है, जिसमें मुंह धोने के पहिले और मुंह धोने के बाद की तस्वीर दी हुई होती है। माननीय मित्र इस पर आपत्ति करेंगे तथापि इसे कानून के अन्दर नहीं लाया जा सकता है। कानून के अन्दर आने वाले विज्ञापनों पर नजर रखी जाती है। यदि आप हमें कुछ ऐसे मामले बता दें, जिन पर प्राधिकारियों का ध्यान नहीं गया है तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी और हम विधि उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे।

†**श्री वें० प० नायर :** औषधि और जादूई चिकित्सा (विज्ञापनों का प्रतिषेध) अधिनियम के अन्तर्गत क्या सरकार उन पर कार्यवाही नहीं कर सकती है ?

†**श्री करमरकर :** यह एक टेक्नीकल विषय है। मैं इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री से आधे घंटे बातचीत करूंगा।

सरदर्द की दवा को इन्फ्लुएंजा की दवा भी बताया जाता है। इन्फ्लुएंज़ा में तापक्रम बढ़ जाता है इस लिये सामान्य दवा दी जाती है। यह दवा जो तापक्रम उतारने के लिये दी जाती है वही सरदर्द दूर करने के लिये भी दी जाती है। कोई व्यक्ति भी इसका विज्ञापन करे यह कह सकता है कि यह सरदर्द रोकने के लिये लाभदायक है। वह कह सकता है यह इन्फ्लुएंजा में भी लाभदायक है। इन्फ्लुएंजा की समस्त बीमारी के लिये यह बात सत्य नहीं है तथापि सरदर्द के लिये यह बात सत्य है।

इस बात की जांच करना आवश्यक है। मैं माननीय सदस्य को आवश्यक समय देने को तैयार हूं तथापि मुझे विश्वास है कि उन्होंने इस सम्बन्ध में विधियों को नहीं पढ़ा होगा। मैं इस कानून को स्वयं पढ़ूंगा और यदि कोई वास्तविक मामला होगा तो इस पर गम्भीरता से ध्यान दिया जायेगा। मेरे सहयोगी डाक्टर राजू ने यह ठीक ही कहा कि यह घने जन संख्या वाले क्षेत्रों में हुआ है। उन्होंने कुछ नई बातें भी बताईं। हम हैजा-विरोधी वैक्सीन के सम्बन्ध में जानते हैं जो रोगावरोधक के रूप में कार्य करती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री करमरकर]

तथापि इस वायरस (विषाणु) के सम्बन्ध में यह बात है कि पहिले हमें रोगी के रक्त से पृथक किया जाता है। तब उससे वैक्सीन बनाई जाती है । वह उस विशेष प्रकार के वायरस के लिये उपयोगी होती है यह भी ठीक ही कहा गया है कि वैक्सीन बनाने में कुछ समय लगता है ।

वायरस के सम्बन्ध में निश्चित कुछ नहीं कहा जा सकता है । वे कहते हैं कि वायरस में उत्परिवर्तन हो जाता है । फैलते समय वायरस में उत्परीवतन हो जाता है । संभव है अगले दौर के इन्फ्लुएंजा में उत्परिवर्तन हो जाय । निश्चित निरोधक औषधि के लिये वैक्सीन को रोगी के रक्त से ही बनाना होगा ।

तथापि इस सम्बन्ध में एक युक्तिपूर्ण बात भी है । इन्फ्लुएंजा के कई प्रकार एक दूसरे से सम्बन्धित हैं । एक विशेष स्थान पर एक विशेष समय हुई महामारी में, केवल ऐसी ही वैक्सीन प्रभावशाली सिद्ध हो सकती है । जो उससे घनिष्ट रूप से सम्बन्धित हो । उस सम्बन्ध में जैसा कि डा० मेलकोटे ने कहा उसके परिरक्षण इत्यादि की कठिनाइयां हैं ।

महत्वपूर्ण व्यक्तियों से हमारा आशय उन चिकित्सकों से था, जिन्होंने रोगियों की चिकित्सा की । हमें उन्हें रोगमुक्त करना चाहिये । हमने इन्फ्लुएंजा के इस विशेष प्रकार की वैक्सीन का विदेशों से आयात करने का प्रयत्न किया था हमें ज्ञात हुआ कि उसका मूल्य ६ शिलिंग प्रति खुराक है । हमारी गरीब जनता इसे नहीं खरीद सकती और इसमें बहुत सा धन लगाना होगा । इसलिये बनाई जाने वाली वैक्सीन भी कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों और समाज के कुछ विशेष वर्गों के लिये ही लाभदायक होगी ।

अन्य लोगों में इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिये हम उनके लिये सर्वोत्तम प्रकार के उपचार की व्यवस्था करेंगे ।

डा० मेलकोटे ने ठीक ही कहा है कि इन्फ्लुएंजा की कई किस्में हैं । इसलिये भविष्य के सम्बन्ध में कुछ अनुमान लगाना बहुत कठिन है ।

डाक्टर सुशीला नायर ने सहयोग का जिक्र किया है । जब महामारी पूरे जोरों पर थी तो वे यहां नहीं थीं । अन्यथा वे कुछ ऐसी बातें नहीं कहतीं जो उन्होंने कही हैं । सार्वजनिक कार्यों को जानने वाले की हैसियत से मैं यह कह सकता हूं कि इस महामारी के सम्बन्ध में एक महत्व-पूर्ण बात थी । वह यह, कि सरकार तथा जनता ने इसका सामना करने के लिये सहयोग किया । आप जनता के सम्पर्क में रहने के कारण जानते हैं कि इस सम्बन्ध में कितनी कम शिकायतें या आलोचना हुई । इससे इस बात का संकेत मिलता है कि प्राधिकारियों और जनता के बीच किस प्रकार के सम्बन्ध थे । मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं । इस स्थान पर खड़े होकर, मैं मद्रास, बम्बई तथा अन्य सभी स्थानों में, जनता तथा सरकारी प्राधिकारियों द्वारा, इन्फ्लुएंजा का सामना करने के लिये की गई प्रभावशाली और सफल तरकीबों की प्रशंसा करता हूं ।

मैं यह बता देना भी अपना कर्तव्य समझता हूं कि प्राधिकारियों को सभी प्रकार के राज-नैतिक दलों, तथा व्यक्तियों, जिन्हें दो दो घंटे तक लाइन में दवा पाने के लिये खड़ा रहना होता था, से सार्वजनिक सहयोग पाने पर बहुत प्रसन्नता हुई है । हमें इस बात को कदापि नहीं भूलना चाहिये सहयोग की इसी भावना से प्रेरित हो कर उन्होंने निर्भयता से इस रोग का सामना किया । वस्तुतः हमें कहीं से भी इस प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई कि डाक्टरों ने उतना सहयोग नहीं दिया जितना कि देना चाहिये था ।

वस्तुतः सभी दलों तथा भारत सेवक समाज, कांग्रेस, जनसंघ, साम्यवादी दल सब ने हमारे साथ सहयोग किया। हमने एक सार्वजनिक प्रार्थना की। प्रत्येक डाक्टर के घर नहीं गये। म्यूनिसिपल कर्मचारियों ने भी अपील की। कई डाक्टर स्वेच्छा से हमारी सहायता के लिये आये। उन्होंने अपने निजी कार्य को छोड़ कर इस सार्वजनिक कार्य में सहयोग दिया। उन्होंने बहुत त्याग किया। एक बुरे व्यक्ति के कारण सबको बदनाम नहीं करना चाहिये। यदि कुछ व्यक्तियों ने सहयोग नहीं किया तो इसका कारण यह हो सकता है कि उन्होंने अपने ग्राहकों की सेवा करना अन्य लोगों की सेवा करने से अधिक ठीक समझा। संभव है कि उन्हें प्रलोभन भी हो गया हो। प्रलोभनों पर विजय पाना सदैव संभव नहीं है। मनुष्य की दुर्बलताओं को क्षमा करना ही होगा।

श्री व्यास ने आयुर्वेदिक औषधियों पर बहुत जोर डाला है। हमने आयुर्वेद और डाक्टरी दवाइयों में कोई विभेद नहीं किया। वस्तुतः डाक्टरी, वैद्यक, होमियोपैथिक व यूनानी सभी प्रणालियों से साथ साथ चिकित्सा होते हुये देखना बड़ा आनन्ददायक था। सन्ध्या को वे सब बिना किसी झगड़े के निवृत्त हो जाते थे। इससे रोगियों पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता था।

†**श्री राघेलाल व्यास** : मेरे कथन का तात्पर्य यह है कि सरकार को गांवों में सरलता से उपलब्ध होने वाली औषधियों के सम्बन्ध में प्रचार करना चाहिये।

†**श्री करमरकर** : यह कार्य दीर्घकालीन कार्यक्रम के अन्तर्गत जामनगर संस्था में किया जा रहा है। हम नहीं जानते कि आयुर्वेद में इसकी अचूक दवा है या नहीं। हम इस सम्बन्ध में प्रयोग कर रहे हैं। मैं अपने माननीय मित्रों को यह बता देना चाहता हूं कि भारत सरकार आयुर्वेद से पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं करती है। हम उपचार चाहते हैं चाहे वह कहीं से भी हो।

श्री ज़ोकीम आल्वा कुछ असंगत बातें कह गये थे। उन्होंने एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछा था। मैं भी इसका एक व्यक्तिगत उत्तर दे रहा हूं। मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि मुझे अपने जीवन की कोई चिन्ता नहीं है। निमंत्रण पाकर मुझे कहीं भी जाने पर, चाहे वह कुष्टाश्रम ही क्यों न हो, आनन्द प्राप्त होता है। मैं इसे अपना कर्तव्य समझता हूं। स्वास्थ्य मंत्री होने के पूर्व मैंने पांच कुष्टाश्रम देखे थे। तथापि मैंने उनसे हाथ नहीं मिलाया, क्योंकि डाक्टर उनसे कुछ दूर रहने की सलाह देते हैं। मुझे ऐसा करने से प्रसन्नता होती है और रोगियों को भी हमसे प्रसन्नता होती है।

मेरे विचार से माननीय सदस्य मेरे नाक पर कपड़ा लगाने की बात का उल्लेख कर रहे थे। वस्तुतः हमारे चिकित्सा सलाहकार इस बात के लिये सतर्क थे कि स्वास्थ्य मंत्री निरोग रहे जिससे वह सेवा कर सके। संक्रामक क्षेत्रों में उसका उपयोग करना उचित भी है तथापि मैंने ऐसे मित्रों की आशा नहीं की थी जो इस बात को दूसरे दिन ही प्रकाशित कर देंगे। मैंने सोचा था कि माननीय मित्र मुझे बधाई देंगे क्योंकि मंत्री को नाक में कपड़ा लगाये हुये देख कर कई अन्य लोगों को भी इसका प्रयोग करने की प्रेरणा मिलेगी।

श्री विभूति मिश्र (बगहा) : मैं यह जानना चाहता था कि स्वास्थ्य मंत्री ने विभिन्न राज्य को कितनी दवाएं दी हैं और कितना पैसा दिया है। यहां पर यह नहीं मेन्शन (उल्लेख) किया गया।

श्री करमरकर : जिस वक्त आपने यह सवाल किया, उस वक्त मैं इसके बारे में ही कहने जा रहा था।

मैं यही बात कह रहा था। सभा को ज्ञात है कि एक प्रकार का श्रम विभाजन है। केन्द्र समन्वय प्राधिकारी की तरह है। वस्तुतः राज्य अपने द्वारा किये जाने वाले कार्यों के लिये पूरे

†मूल अंग्रेजी में

[श्री करमरकर]

जिम्मेदार हैं। यह कोई प्रशंसा की बात नहीं है तथापि एक कर्त्तव्य है। सर्वोत्तम पुरस्कार सर्व-साधारण की प्रशंसा प्राप्त करना है।

९ मई को जैसे ही हमें ज्ञात हुआ कि भारत में इन्फ्लुएंजा का प्रवेश हो सकता है तब से सभा मुझ पर यह असावधानी का आरोप नहीं लगा सकती है। जहां तक राज्य सरकारों का सम्बन्ध है, कुछ राज्य सरकारों तथा कुछ सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राधिकारियों ने यह विश्वास होने के कारण कि उनका नगर अधिक स्वास्थ्यप्रद है, अथवा किसी अन्य कारण से वहां इन्फ्लुएंजा का प्रवेश नहीं हो सकता है, कुछ असावधानी बरती हो। तथापि राज्य सरकारों ने इस सम्बन्ध में व्यय करने में कोई कमी नहीं की। हमें पूरा विश्वास है कि यदि राज्य सरकारें इससे सहायता मांगती तो वित्त मंत्री ऐसी कठिन स्थिति में भी अवश्य सहायता करते। सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने जनता से कुछ भी धन नहीं लिया तथा दिल्ली, मद्रास और बम्बई इत्यादि में बहुत अच्छा काम किया गया।

रोकथाम के सभी उपायों को काम में लाने के बाद भी, पड़ोसी देश के इन्फ्लुएंजा से पीड़ित होने पर इन्फ्लुएंजा को भारत में आने से नहीं रोका जा सकता है। यह बहुत संक्रामक रोग है। मैं सभा को यह आश्वासन नहीं दे सकता कि दूसरा दौर शुरू नहीं होगा अथवा हम उसकी रोक थाम करने में समर्थ होंगे। यह बात हमारी क्षमता से बाहर है तथापि उसके प्रवेश करने पर उसका सामना करने की तरकीब सरल है। पहिला सार्वजनिक स्वास्थ्य रक्षा के उपाय काम में लाने होंगे। दूसरे हमें अपने को इसके संक्रमण से दूर रखना होगा और सारे सार्वजनिक सम्मेलन के स्थान, सिनेमा, स्कूल इत्यादि बन्द कर दिये जायेंगे।

कुछ राज्यों में यह तरकीब भी काम में लाई गई। जैसे ही आपको रोग की शुरुवात ज्ञात हों, नगर की जनसंख्या को नगर के बाहर फैला दिया जाय। अर्थात् यदि ५०,००० जनसंख्या हो तो उसे पांच स्थानों में १०,००० के हिसाब से फैला दी जाये। तब वहां यह घोषणा की जाये कि प्रत्येक व्यक्ति के लिये एक औषधि है। इसका कारण यह है कि चलते फिरते रोगी जिन्हें हल्का इन्फ्लुएंजा है कोई समस्या पैदा नहीं करते हैं। वे दो तीन दिन में ठीक हो जाते हैं। वस्तुतः गम्भीर मामले भी इन साधारण मामलों के साथ मिल जाते हैं। जैसे ही आपको कोई गम्भीर मामला ज्ञात हो, आप अस्पताल में स्थान ले कर उसका इलाज करवाइये। यही इस रोग के इलाज का सब से निश्चित उपाय है।

मुझे विश्वास है कि सभा इस बात से सहमत होगी कि सामान्यतः जो कुछ भी किया गया है वह सन्तोषजनक है। मैं सारी सूचनाओं को ध्यान से पढ़ रहा हूं। मैं ने सम्बन्धित लोगों से बातचीत भी की है। यदि मैं यह कहूं कि जो कुछ किया जाना था वह किया गया, तो गलत न होगा। यदि कुछ त्रुटि रह गई तो इसके लिये हमें सभा का सहयोग आवश्यक है। यहां का प्रत्येक सदस्य एक विशेष क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। वे त्रुटियों पर हमारा ध्यान आकर्षित कर तथा जनता का सहयोग प्राप्त कर महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं।

मैंने सभा का बहुत समय ले लिया है तथापि एक बार मैं फिर अपने मंत्रालय के पदाधिकारियों की प्रशंसा करूंगा। मैं उन समस्त संस्थाओं का कृतज्ञ हूं जिन्होंने मुझे विभिन्न रायें भेजी हैं। मैं जनता को भी धन्यवाद देता हूं क्योंकि जनता ही किसी वस्तु का रूप निश्चित करती है। दूसरा दौर होने पर भी भय का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जनता उसका सामना करने और उसका मुकाबला करने के लिये मानसिक रूप से तैयार है।

इसके पश्चात लोक-सभा गुरुवार १८ जुलाई १९५७ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

दैनिक संक्षेपिका

[बुधवार, १७ जुलाई, १९५७]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर		१७१९–२४
तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
९४	विदेशी मुद्रा	१७२९—३१
९५	दिल्ली में बम विस्फोट	१७३१–३२
९६	दीर्घकालीन ऋण पर पूंजी वस्तुओं का संभरण .	१७३२—३४
९७	सरकारी कर्मचारियों के लिये अनिवार्य सामूहिक बीमा .	१७३४—३६
९८	राष्ट्रीय पुस्तक न्यास	१७३६–३७
९९	केरल में अल्लापडी घाटी का विकास . .	१७३७–३८
१००	कोयला उत्पादन की लागत	१७३८–३९
१०१	माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के वेतन . .	१७४०–४१
१०२	निवृत्त सैनिक पदाधिकारी . . .	१७४१—४३
१०३	भारतीय पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र . . .	१७४३
१०४	व्यापारियों से वित्त मंत्री की भेंट . . .	१७४४–४५
१०५	आर्थिक विकास के लिये संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट निधि .	१७४५–४६
१०६	ग्रेफाइट उत्पादन	१७४६–४७
१०८	विदेशी जहाजी कम्पनियां	१७४७–४८
१०९	उमरेर (बम्बई) में खनिज निक्षेप . . .	१७४८
११०	प्रतिरक्षा कर्मचारियों की नौकरी की शर्तें . . .	१७४९–५०
११४	लोक सहायक सेना	१७५१–५२
११५	रूस को भारतीय सैनिक शिष्ट मंडल . . .	१७५२–५३
११६	रूरकेला में उर्वरक का कारखाना . . .	१७५३
११७	प्रतिरक्षा प्रधान कार्यालय भवन . . .	१७५३
तारांकित प्रश्न संख्या १०२ के उत्तर में शुद्धि		१७४८
प्रश्नों के लिखित उत्तर		१७५४—५६
तारांकित प्रश्न संख्या		
१०७	क्योंझरगढ़ जिले में सोना	१७५४
१११	लौह अयस्क परियोजना	१७५४
११३	त्रिपुरा में आदिम जातियों के छात्र . . .	१७५५
११८	जीवन बीमा निगम	१७५५
११९	टेक्नकल शिक्षा की अखिल भारतीय परिषद .	१७५५
१२०	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की वर्दियां . . .	१७५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१२१	डा० अम्बेडकर की मृत्यु	१७५६
१२२	सौर्य शक्ति	१७५६
१२३	विकलांग बालकों के लिये स्कूल	१७५६–५७
१२४	बीमा कर्मचारियों की भविष्य निधि	१७५७
१२५	व्हील एक्सल और टायर का कारखाना	१७५७
१२६	प्रतिरक्षा अधिकारियों के लिये पेंशनें	१७५८
१२७	न्याय प्रशासन	१७५८–५९
१२८	जेल के नियमों में संशोधन के लिये समिति	१७५९
१२९	त्रिपुरा में बिक्री कर	१७५९
१३०	दिल्ली में तम्बुओं में स्कूल	१७५९–६०
१३१	दिल्ली विश्वविद्यालय के अन्तर्गत संध्या कालीन कक्षायें	१७६०
अतारांकित प्रश्न संख्या		
६७	साहित्य अकादमी	१७६०
७८	विदेशियों को पेंशनें	१७६०–६१
६९	हिन्दी प्रचार के लिये अनुदान	१७६१
७०	शिक्षा योजनाओं के लिये राज्यों को अनुदान	१७६१
७१	अन्दमान और निकोबार-द्वीप में छोटे पैमाने के उद्योग	१७६२
७२	अधिकारियों का स्थानांतरण	१७६२
७३	प्रायमिक शिक्षा	१७६२
७४	त्रिपुरा में परामर्शदाता परिषद	१७६३
७५	अमेरिका में भारतीय पुस्तकालयाध्यक्षों का प्रशिक्षण	१७६३
७६	सम्पदा शुल्क	१७६३
७७	भूतपूर्व आय-कर पदाधिकारी	१७६४
७८	उज्जैन में खुदाई	१७६४
७९	छठवें खुदा सरकारी कर्मचारी	१७६४–६५
८०	दिल्ली के विद्यार्थियों को वृत्तियां	१७६५
८१	भारतीय प्रशासन सेवा के परिवीक्षार्थी	१७६५
८२	स्टेनोग्राफी का स्कूल	१७६५–६६
८३	सैलम जिले में खनिज पदार्थ	१७६६
सभा पटल पर रखे गये पत्र		१७६६

निम्न पत्र सभा पटल पर रखे गये :-

(१) कोयले वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) अधिनियम १९५७ की धारा २७ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत कोयले वाले क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) नियम, १९५७ की, जो दिनांक २२ जून, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २०४२ में प्रकाशित हुये, एक प्रति ।

(२) मंत्रियों द्वारा विभिन्न सत्रों में, जैसा कि प्रत्येक के सामने दिखाया गया है, दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं के बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के निम्न विवरणों की एक एक प्रति ।

(एक) पहला विवरण दूसरी लोक सभा का पहला सत्र, १९५७

(दो) अनुपूरक विवरण संख्या २ पहली लोक सभा का पन्द्रहवां सत्र, १९५७

(तीन) अनुपूरक विवरण संख्या १पू पहली लोक सभा का बारहवां सत्र, १९५७

(३) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप धारा (२) के अन्तर्गत दस अधिसूचनाओं की एक एक प्रति ।

(४) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत ८ अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति ।

(५) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा १६९ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत लोक प्रतिनिधित्व 'निर्वाचनों का संचालन तथा निर्वाचन याचिकाओं का निबटाया जाना) नियम, १९५६ में आगे कुछ और संशोधन करने वाली तीन अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति ।

(६) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० की धारा २८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचक नामावलियां का तैयार किया जाना) नियम, १९५६ में कुछ संशोधन करने वाली दिनाक १० जनवरी, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १४० की एक प्रति ।

(७) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० की धारा २८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचक नामावलियां का तैयार किया जाना) नियम, १९५७ में आगे कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १३ जून, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १९८५ की एक प्रति ।

(८) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा १६९ की उपधारा (३) के अन्तर्गत लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचनों का संचालन तथा निर्वाचन याचिकाओं का निबटाया जाना) नियम, १९५६ में आगे कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १६ जुलाई, १९५७ के शुद्धि-पत्र के साथ दिनांक १८ जून, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १९९३ए की एक प्रति ।

(९) समुद्र-सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उप-धारा (१) के अन्तर्गत दो अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति ।

प्राक्कलन समिति की बैठकों की कार्यवाही का सारांश सभा पटल पर रखा गया १७२९

१९५६–५७ में हुई प्राक्कलन समिति की बैठकों की कार्यवाही का सारांश (खंड ६, अंक १–३) सभा पटल पर रखा गया ।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

पहला प्रतिवेदन उप-स्थापित किया गया ।

मंत्री द्वारा वक्तव्य १७७०

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) ने २९ मई, १९५७ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५५२ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर को शुद्ध करने के बारे में एक वक्तव्य दिया ।

विषय पृष्ठ

प्रवर समिति को सौंपे गये विधेयक १७७०—७३, १७७३—१८१०

(१) धन-कर विधेयक, १९५७ को प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर और आगे चर्चा समाप्त हुई और प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(२) वित्त मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि व्यय कर विधेयक, १९५७ को प्रवर समिति को सौंपा जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुदान की मांग १८१०—१३

रेलवे के बारे में अनुदान की मांग पर चर्चा हुई । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

इन्फ्लुएंजा महामारी पर चर्चा । १८१३—२४

श्री साधन गुप्त ने देश में इन्फ्लुएंजा महामारी पर चर्चा उठाई । स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) ने चर्चा का उत्तर दिया ।

गुरुवार, १८ जुलाई, १९५७ के लिये कार्यावलि—

रेलवे के बारे में अनुदान की मांग संख्या १ पर और आगे चर्चा ।